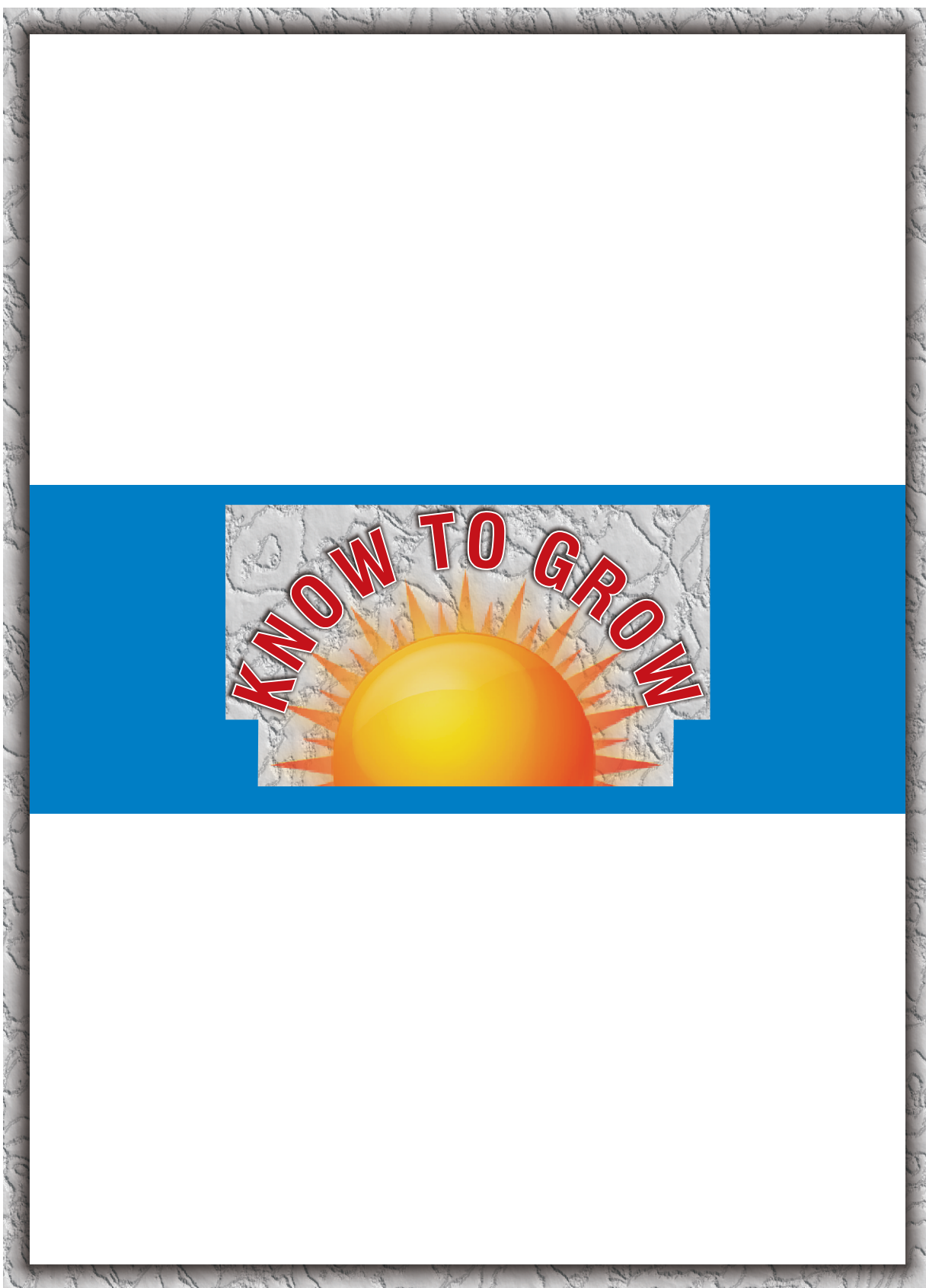




DMV Journal

Annual Journal of Durga Mahavidyalaya, Raipur (C.G.)
Ph : 0771-2523753, Fax : 2884300,
Website : www.durgacollege.in
E-mail : info@durgacollege.in, principal@durgacollege.in



Chief Editor
Dr. S.S. Khanuja
Principal, Durga Mahavidyalaya,
Raipur (C.G.)

ISSN - 0976-3007
Volume - 8
Number - 1
December - 2015

Dr. S.S. Khanuja¹ - Mukta Mehrotra²
डॉ. राकेश कुमार तिवारी*

Dr. Madhu Kamra
डॉ. बबिता पाठक - डॉ. गिरजा शंकर गुप्ता
डॉ. नारायणी श्रीवास्तव
Dr. Pratibha Mukherjee Sahukar
डॉ. किशोर कुमार पटेल
डॉ. अजय चन्द्राकर
डॉ. अजय कुमार शर्मा
डॉ. राजेश शुक्ला
डॉ. राजेन्द्र शुक्ल - क. मीना पिंजानी
Dr. Deepali Sharma
डॉ. विजय कुमार चौबे - डॉ. विवेक सराफ
डॉ. सुभाष चन्द्राकर
डॉ. संजीवनी ठाकुर
डॉ. नमिता खोटेले
Mrs. Pratibha Khandelwal
डॉ. शिखा बनर्जी
डॉ. श्रीमती ऋचा पाण्डेय
डॉ. गणेश शंकर पाण्डेय
प्रो. दिव्या शुक्ला
Shivam dixit
डॉ. मोती लाल शाकर
डॉ. लोकेश्वर प्रसाद सिन्हा
Dr. Jaya Tiwari
Dr. Ashish Dubey
Dr. Harjeet Singh Bhatiya - Miss Divya Pawar
Dr. H.S. Bhatiya - Ms. Shweta Tiwari

DMV Journal

Annual Journal of Durga Mahavidyalaya, Raipur (C.G.)

ISSN - 0976 - 3007

Volume - 8

Number - 1

December - 2015



Chief Editor

Dr. S.S. Khanuja

Principal

Editorial Board

Dr. Babita Pathak

Dr. Narayani Shrivastava

Dr. Protibha Mukherjee Sahukar

Dr. K.K. Patel

Dr. S.K. Agrawal

Prof. Ravindra Rajput

Dr. Archana Gomasta

The views expressed in these articles are those of the individual authors, DMV does not take responsibility for issues related to intellectual property on other matters.

Published by :

Dr. S.S. Khanuja

Principal

Durga Mahavidyalaya

Raipur (C.G.)

Ph. : 0771 - 2523753

Fax : 0771 - 2884300

Website : www.durgacollege.in

E-mail : info@durgacollege.in

principal@durgacollege.in

Composing & Printed By :

Akansha Offset

Brahmanpara, Raipur (C.G.)

Ph. : +0771 - 4033748

Mo : +91 99268 20122

अनुक्रम

1.	Life insurance Industry in India – Post IRDA	Dr. S.S. Khanuja ¹ Mukta Mehrotra ²	01-06
2.	चीनी-साहित्य पर भारतीय प्रभाव	डॉ. राकेश कुमार तिवारी *	07-12
3.	Inches of Eternity: (De) Myth/Mystifying myths of Chattisgarh	Dr. Madhu Kamra	13-15
4.	भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों का निजीकरण एक विवेचना	डॉ. बबीता पाठक डॉ. गिरजा शंकर गुप्ता	16-20
5.	महिलाओं के अधिकार	डॉ. नारायणी श्रीवास्तव	21-24
6.	Mother Love in Toni Morrison's <i>Sula</i>	Dr. Protibha Mukherjee Sahukar	25-31
7.	गांधी जी की अहिंसा और हम	डॉ. किशोर कुमार पटेल	32-38
8.	शिक्षा का लक्ष्य	डॉ. अजय चन्द्राकर	39-41
9.	भारत में कृषि वित्त	डॉ. अजय कुमार शर्मा	42-47
10.	भारतीय ग्रामों में जाति, गुटबाजी, तनाव एवं नेतृत्व प्रतिमान	डॉ. राजेश शुक्ला	48-52
11.	औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु ब्याज अनुदान योजना का समीक्षात्मक अध्ययन	डॉ. राजेन्द्र शुक्ल कु. मीना पिंजानी	53-56
12.	Advertising Inside Out	Dr. Deepali Sharma	57-59
13.	भारत में पर्यटन उद्योग का महत्व, समस्याएँ एवं संभावनायें	डॉ. विजय कुमार चौबे डॉ. विवेक सराफ	60-63
14.	छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की समस्या के कारण एवं निदान के उपाय	डॉ. सुभाष चन्द्राकर	64-71
15.	इन्टरनेट और शिक्षा	डॉ. संजीवनी ठाकुर	72-74
16.	विद्यालय प्रबंधन में प्रधान अध्यापक की भूमिका	डॉ. नमिता खोटेले	75-78
17.	Teacher Effectiveness : A comparative Study on Secondary School Teachers	Mrs. Pratibha Khandelwal	79-83
18.	"बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों के अभ्यास शिक्षण के दौरान सक्रिय अधिगम विधि एवं व्याख्यान विधि का तुलनात्मक अध्ययन"	डॉ. शिखा बनर्जी	84-88
19.	भारतीय अर्थव्यवस्था के अभिशाप : गरीबी, असमानता एवं बेरोजगारी	डॉ. श्रीमती ऋचा पाण्डेय	89-93
20.	मुक्त परंपरा के सवाहक कवि : सुरेश चन्द्र शुक्ल	डॉ. गणेश शंकर पाण्डेय	94-98
21.	छत्तीसगढ़ राज्य में वनों पर आधारित उद्योगों के विकास की सम्भावनाएँ	प्रो. दिव्या शुक्ला	99-104

22.	Role and Impotance of Management	Shivam dixit	105-107
23.	भाषा की परिवर्तनशीलता	डॉ. मोती लाल शाकार	108-115
24.	लोक संस्कृति का दर्शनशास्त्र मड़ई-मेला	डॉ. लोकेश्वर प्रसाद सिन्हा	116-118
25.	New Modern Woman in Nissim Ezekiel's 'Nalini'	Dr. Jaya Tiwari	119-122
26.	A study on negative trade balance in India and its impact on Indian economic	Dr Ashish Dubey	123-126
27.	Financial Facilities Given by Commercial Bank to Small Scale Industries	Dr. Harjeet Singh Bhatiya Miss Divya Pawar	127-130
28.	A STUDY OF RETAIL INDUSTRY FORMATS IN INDIA	Dr. H. S. Bhatiya Ms. Shweta Tiwari	131-136

Life insurance Industry in India – Post IRDA

Dr. S.S. Khanuja¹
¹Principal Durga
Mahavidyalaya, Raipur

Mukta Mehrotra²
Asstt. Professor
MATS University, Raipur

Abstract :

The study is made to understand the progress of the insurance sector in India during the post IRDA period. The impact on progress of LIC of India post IRDA. Comparison of market share of LIC of India and other Insurance companies. The number of life insurance companies grew in number, with expansion of total market, but decline in the market share of LIC of India.

Key Words: Private Players, market share, IRDA.

INTRODUCTION

The history of Life Insurance dates back to 3000 BC. The word “Yogakshemam” found in Rig Veda refers to sort of social welfare insurance. Insurance in an organized effort came to India in 1818 in the form of Oriental Life Insurance Company which was started in Calcutta by the Europeans for the benefit of Europeans only. Despite many insurance companies in India there was no insurance legislation in India. The first insurance legislation was enacted in 1870 by the British Government with a subsequent enactment in 1909 which had no jurisdiction on the activities of the insurers transacting business in India. After a long wait in 1912 a comprehensive legislature for regulating and administering life insurance was enacted. It was known as the Life Insurance Companies Act. In 1928, the government amended the earlier legislation of 1912 as a temporary reprieve to assuage the feeling of the hurt of Indian people. The Indian Insurance Act, 1938 was the first comprehensive legislation to regulate the insurance industry in India. Post independence in the year 1956, The Life Insurance Corporation came into existence as a monopoly to conduct life insurance business in India. The Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 was established to protect the interest of policy holders, to regulate, promote and ensure orderly growth of insurance industry and for matters connected therewith. The IRDA Act, 1999 opened up the insurance industry for the private sector.

Objective

The paper focuses on the growth of private players and the market share analysis of total life insurance business.

Table No.1

LIST OF LIFE INSURANCE COMPANIES OPERATING IN INDIA

S.No	NAME OF INSURANCE COMPANY
1	PUBLIC SECTOR
	Life Insurance Corporation of India
	PRIVATE SECTOR
	2 Aegon Religare Life Insurance Co. Ltd.
	3 Aviva Life Insurance Co. Ltd.
	4 Bajaj Allianz Life Insurance Co. Ltd.
	5 Bharati AXA Life Insurance Co. Ltd.
	6 Birla Sun Life Insurance Co. Ltd.
	7 Canara HSBS OBC Life Insurance Co. Ltd.
	8 DHFL Pramerica Life Insurance Co. Ltd.
	9 Edleweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd.
	10 Exide Life Insurance Co. Ltd.
	11 Future Generali Life Insurance Co. Ltd.
	12 HDFC Standard Life Insurance Co. Ltd.
	13 ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.
	14 IDBI Federal Life Insurance Co. Ltd.
	15 India First Life Insurance Co. Ltd.
	16 Kotak Mahindra Old Mutual Life Insurance Co. Ltd.
	17 Max Life Insurance Co. Ltd.
	18 PNB Met Life Insurance Co. Ltd.
	19 Reliance Life Insurance Co. Ltd.
	20 Sahara Life Insurance Co. Ltd.
	21 SBI Life Insurance Co. Ltd.
	22 Shriram Life Insurance Co. Ltd.
	23 Star Union Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd.
24	TATAAIA Life Insurance Co. Ltd.

Source Annexure -1 Annual Report 2012-2013 , IRDA

Private Life Insurance Companies

Initially on liberalization, of the insurance sector in the year 2000-2001 there were only 10 private life insurance companies which have grown in number to 23 by the year 2012-2013 and continue at 23 till 2014-2015. India continues to be a country of savers though we have witnessed a

decline in the household savings rate in the past couple of years. The Indians have a habit of investing their savings in the non productive assets such as real estate and gold. But even then the future looks interesting for the life insurance industry in India due to several changes in the regulatory framework which lead the industry to make changes in the conduct of its business and also improve conduct with the customers. Demographic factors such as growing number of middle class, young insurable population, increase in literacy rate of both men and women, retirement planning and growing awareness of the need for protection will support the growth of the Indian insurance industry.

Comparative performance of LIC and Private Players - Post Liberalization.

The IRDA Act made way for the private players to enter the life insurance industry. Before liberalization LIC of India was the sole player in the life insurance industry, with liberalization came privatization and the monopoly of LIC of India was broken with the coming of private players in life insurance industry. The growth of LIC of India would be hampered was the basic thought with the entry of private players but the reverse was observed. A comparative growth of LIC and the private players was observed from the new business income which includes single premium to make a comparative review as the private players will not have any renewal premium in the initial years.

Table No. 2
GROWTH OF FIRST YEAR PREMIUM OF LIC AND PRIVATE PLAYERS

Year	Premium income (in crores) of LIC	Annual Growth (in %)	Premium Income (incrores) of Private players	Annual Growth (in %)
2000-2001	9701	-----	6.45	-----
2001-2002	19589	101.93	269	4061.7
2002-2003	15977	-18.44	966	251.65
2003-2004	17348	8.58	2441	152.74
2004-2005	20653	19.05	5565	127.99
2005-2006	28516	38.07	10270	84.55
2006-2007	56224	97.17	19426	89.16
2007-2008	59997	6.71	33716	73.56
2008-2009	53179	-11.36	34152	1.29
2009-2010	71522	34.49	38372	12.36
2010-2011	87012	21.66	39386	2.64
2011-2012	81862	-5.92	32104	-18.49
2012-2013	76612	-6.41	30750	-4.22

Sources : IRDA ANNUAL Report 2012-2013

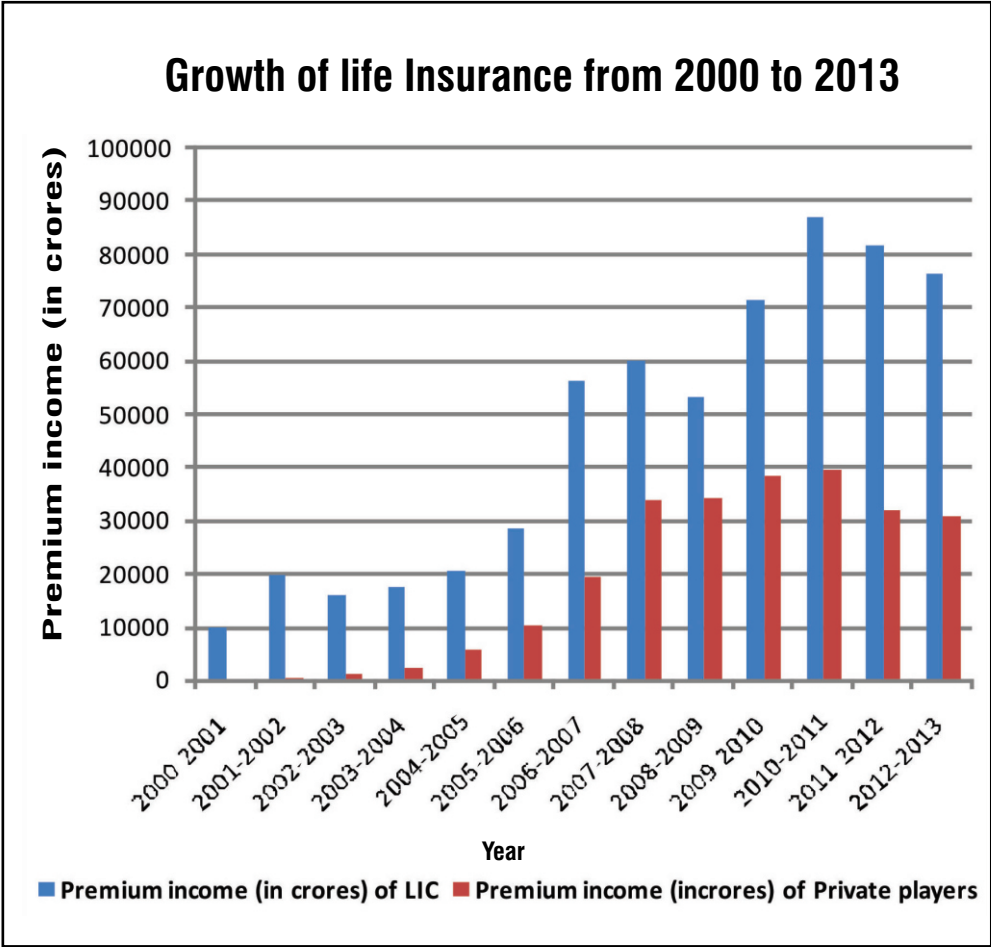


Chart 1 Source: IRDA ANNUAL Report 2012-2013

In 2000 -2001 LIC has a premium income of 9701 in crores of rupees where as that of the private players in aggregate had only Rs. 6.45 crores. In 2010-2011 the premium income for LIC showed a high of Rs.87, 012 crore and 39,386 in crores of rupees for the private players. In 2012-2013 LIC's 1st year premium in crores of rupees was 76,612 and Rs. 30750 crores for private sector. Although LIC in comparison to other private players shows an increasing trend but on a % basis in 2012-2013 LIC had a negative growth of -6.41% and the private players a negative growth of -4.22%.

GROWTH OF TOTAL BUSINESS ANALYSIS

The growth of total business analysis is done on the basis of total life insurance premium. The total life insurance premium means the aggregate of the regular premium, single premium, renewal premium, first year premium. Considering Table 3 and chart 2.

Table : 3 Growth of Total Business

Year	LIC	PRIVATE PLAYERS	TOTAL
	Rs. In Crores	Rs. In Crores	Rs. In Crores
2000-2001	34892.02	6.45	34898.47
2001-2002	49821.91	272.55	50094.46
2002-2003	54628.49	1119.06	55747.55
2003-2004	63533.43	3120.33	66653.75
2004-2005	75127.29	7727.51	82854.8
2005-2006	90792.22	15083.54	105875.76
2006-2007	127822.84	28253	156075.76
2007-2008	149789.99	51561.42	201351.41
2008-2009	157288.04	64497.43	221785.47
2009-2010	186077.31	79369.43	265447.25
2010-2011	203473.4	88165.24	291638.64
2011-2012	202889.28	84182.83	287072.11
2012-2013	208803.58	78398.9	287202.49

IRDA Annual Report 2012-2013.

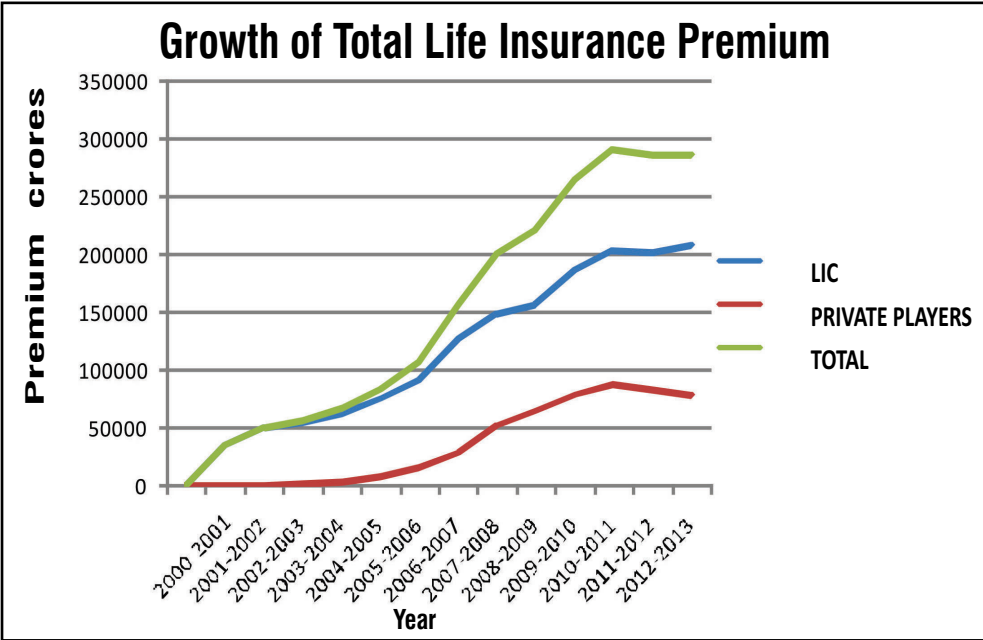


Chart 2 Source : IRDA ANNUAL Report 2012-2013

Based on the data of table 3, an analysis of the data in the table shows that the LIC and the private players have shown an increase from 2000-2001 to 2010-2011 there being a dip in the business in 2011-2012 again picking up in 2012-2013 by LIC .But the overall volume of total business of LIC and private players has increased.

Conclusions

The above study shows that the Indian insurance industry is growing day by day. The number of life insurance companies has grown to 24 out of which 23 are private players and 1 is the LIC of India. The LIC of India continues to be leader as can be seen by both the charts and the various tables.

Reference

1. Mukta Mehrotra and Dr. S. S. Khanuja , “ The products of LIC of India are most preferred by the customer an analytical study (with Special reference to Raipur Division).” Indian Journal of Applied Research, (July 2015, Issue 7) Volume: 5, pp 27- 29,
2. IRDA Annual Report 2012-2013
3. IRDA Annual Report 2013-2014
3. IRDA Annual Report 2014- 2015
4. Kothari C. R., Research Methodology Methods and techniques, 2005 New Age International
5. Mishra M.N and Mishra S.B, Insurance Principle and Practice .S. Chand & Company Ltd. New Delhi,2007.



चीनी-साहित्य पर भारतीय प्रभाव

डॉ. राकेश कुमार तिवारी *
हिन्दी विभागाध्यक्ष
दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर

संस्कृत की तरह विश्व का एक अति पुरातन व समृद्ध साहित्य चीनी भाषा में उपलब्ध है। चीनी-साहित्य का इतिहास आज से करीब साढ़े तीन हजार वर्ष पुराना है। ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में (आज से करीब 2300 वर्ष पूर्व) चीनी-साहित्य में पहली बार भारतीय प्रभाव लक्षित किया गया।

चीनी भाषा के सबसे प्राचीन कवि चू य्वान् (340-278ई.पू.) हैं। इनके प्रसिद्ध कविता संग्रह का नाम 'लि साव' है। चीनी साहित्य के इतिहास के शोध-कर्त्ताओं को 'चू य्वान' से पूर्व के किसी भी रचनाकार के नाम-धाम की कोई जानकारी आज तक प्राप्त नहीं हुई है।

चू य्वान् की एक प्रसिद्ध कविता का शीर्षक है- 'चन्द्रमा में खरगोश'। इस कविता में उपमा व रूपक संस्कृत साहित्य के अनुरूप हैं। यह कविता चन्द्रमा के संबंध में बहुत पुरानी भारतीय सोच के अनुरूप लिखी गई है। चीनी विद्वान इसे 'भारतीय प्रभाव' ही मानते हैं, क्योंकि उनके देश में चन्द्रमा के संबंध में ऐसी धारणा कभी भी प्रचलित नहीं रही और न ही वहां चन्द्रमा उपमा का विषय रहा। चीनी साहित्यकार सुदर्शना नायिका के सुन्दर मुखड़े की उपमा फूलों से करके इतने आत्म विभोर हो उठते थे कि उन्हें आकाश की ओर देखने की सुध ही नहीं रह जाती थी।

ईसा की पहली शताब्दी के बाद से चीनी साहित्य पर भारतीय प्रभाव क्रमशः बढ़ता गया। विशेषकर, भारत से चीन में बौद्ध-साहित्य के पहुंचने के साथ-साथ यह प्रभाव वृद्धिगत हुआ। फाह्यान, ह्वेनसांग जैसे चीनी भिक्षुक बौद्ध-साहित्य चीन लेकर गये और उसका चीनी भाषा में अनुवाद किया गया। इस अनूदित भारतीय साहित्य ने तत्कालीन और परवर्ती चीनी-साहित्यकारों को काफी प्रभावित किया। बौद्ध ग्रंथों ने यहां लेखन व आलोचना दोनों को प्रभावित किया।

बौद्धों के महायान सम्प्रदाय के एक उप सम्प्रदाय सहजयान का चीनी कविता की व्यंजना ध्वनि पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसके बाद, चीनी-साहित्य में गद्य और पद्य की मिली जुली विधा का विकास हुआ, जैसे संस्कृत के पुराने नाटकों में गद्य व पद्य दोनों एक साथ मिलते हैं। इसी प्रकार पेचिंग ओपेरा में प्रदर्शित पुराने चीनी नाटकों में संस्कृत नाटकों की भांति गद्य व पद्य दोनों रूप एक साथ मौजूद हैं।

भारतीय वेदों की तरह चीनी में एक अतिपुरातन कविता संग्रह है, जिसका नाम 'सिचिंग' है। यह आज से करीब तीन हजार वर्ष पुराना है। इसके रचयिता के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। यह वस्तुतः लोक कविताओं का संग्रह है। इसमें प्रेम, मानवीयता, नीति की बातें आदि बहुत कुछ चीजें मौजूद हैं। कविताएं वेदों की तरह श्लोक बद्ध हैं।

चीन में 1949 की मुक्ति की क्रांति के बाद के साहित्य पर रविन्द्रनाथ ठाकुर की रचनाओं का प्रभाव पड़ा। उनकी रोमांटिक शैली एवं विचार, दोनों ने चीनी साहित्यकारों को प्रभावित किया। एक महिला चीनी कवयित्री पिनसिंग और एक अन्य प्रसिद्ध कवि काम्जा पर रविन्द्र नाथ ठाकुर का गहरा असर पड़ा।

1966में चीन की सांस्कृतिक क्रांति शुरू होने के पहले वहां के साहित्यकार रविन्द्र-साहित्य में उपस्थित एक अज्ञात शक्ति, मानवता एवं प्रेम को बहुत पसंद करते थे।

मुक्ति की क्रांति के बाद के चीनी-साहित्य पर भारतीय कथा-साहित्य और खासकर प्रेमचन्द के साहित्य का प्रभाव पड़ा। चीन में प्रेम चन्द की करीब 300 कहानियों, सभी उपन्यासों एवं कुछ निबंधों का अनुवाद हुआ। आधुनिक चीनी कथा-साहित्य के एक सशक्त हस्ताक्षर हाओ-रान पर प्रेम चन्द का अच्छा खासा प्रभाव है। हाओ-रान ग्रामीण जीवन के चितरे हैं। वे प्रेमचन्द की लेखन शैली से बहुत प्रभावित हुए।

भारत और चीन की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिस्थितियाँ सर्वथा भिन्न होने के कारण दोनों देशों के साहित्य का युग विशेष की प्रवृत्तियों में कोई समानता ढूंढना निरर्थक व बेतुका कार्य है लेकिन हिन्दी-साहित्य के वीरगाथाकाल व रीतिकाल की तरह चीनी-साहित्य में भी थांग राजवंशकाल, युआन राजवंशकाल, मिंग राजवंशकाल, छिंग राजवंशकाल की रचनाओं में राजा की वीरता, साहस, दानशीलता, ऐय्याशी आदि वर्णन की मुख्य विषय-वस्तु होती थी।

ईसा की छठवीं से 8वीं शताब्दी में थांग राजवंशकाल में कविता का स्तर सबसे ऊंचा था। इस काल में लि पो (705-762 ई.), तु फू, पो छू-यि जैसे बहुत उच्च कोटि के कवि हुए। कवि लि पो की एक महत्वपूर्ण कविता की यह पंक्ति उल्लेखनीय है जिसमें उनकी आंतरिक व्यथा प्रगट होती है -

मेरे सफेद होते हुए बालों से
एक लंबा बहुत लंबा रस्सा बनेगा,
फिर भी उससे मेरे दुख की
गहराई की थाह नहीं मापी जा सकती।

भारतीय साहित्य में भी इस भावभूमि पर रचनाएँ मिल जाती हैं। इस काल के दूसरे बड़े कवि पो छू यि (772-786ई.) ने लाओत्स के 'ताओ ते चिंग' पर जो कटाक्ष किया वह बड़ा चर्चित हुआ। उन्होंने लिखा है -

‘जो जानता है वह कहता नहीं और जो कहता है वह जानता नहीं।’

इसे लाओत्स ने अपने वाक्य के रूप में प्रस्तुत किया है। इसी संदर्भ को लेकर लाओत्स के 'पांच हजार' से अधिक शब्दों पर सवाल उठाया जाता है।

संस्कृत व हिन्दी की तरह चीनी भाषा के प्रारंभिक काल का साहित्य केवल पद्य में मिलता है। कविताएँ छंद बद्ध होती थीं। चीनी भाषा एक टोन लैंग्वेज है। इसके एक शब्द को चार अलग-अलग सुरों व अलग-अलग बलाघातों में बोलने से उसके भिन्न-भिन्न अर्थ होते हैं। जैसे चीनी में 'म' अक्षर को अलग-अलग ढंग से चार बार बोलने से उसके चार भिन्न अर्थ होते हैं। चीनी भाषा के भिन्न-भिन्न छंद ध्वनि की इसी भिन्नता के आधार पर बने हैं।

चीन का प्राचीन साहित्य 'पाँच क्लासिकल' के रूप में उपलब्ध होता है। जिसके प्राचीनतम भाग को ईसा पूर्व लगभग 10 वीं शताब्दी का माना जाता है। इसमें इतिहास (शू चिंग), प्रशस्तिगीत (शिह छिंग), परिवर्तन (ई चिंग), विधि विधान (लि चि) तथा कनफ्यूशियस (552-479 ई.पू.) द्वारा संग्रहित बसंत और शरद-विवरण (छुन छिउ) नामक तत्कालीन इतिहास शामिल है जो छिन राजवंशों के पूर्व का एकमात्र ऐतिहासिक संग्रह है।

1300 से 1500 ईस्वी में युआन राजवंशकाल में नाट्य-साहित्य का जोर बढ़ा। इस काल में प्रेम विषयक बहुत नाटक लिखे गये हैं। 'पश्चिमी बंगले की कहानी' इस काल की प्रतिनिधि रचना है। इसके केन्द्र में प्रेम कथा है। इसके बाद उपन्यास लेखन शुरू हुआ। मिंग राजवंश काल में कविता और उपन्यास दोनों विधाओं ने समान रूप से विकास किया। ऊ छंग अन का प्रसिद्ध उपन्यास 'पश्चिम की यात्रा' मिंग राजवंश की प्रतिनिधि रचना मानी जाती है।

चीनी उपन्यास कला का सबसे ऊँचा स्तर त्साओ श्यवे छिन (1724-1764 ई.) के उपन्यास हुंग लौ मंग (लाल भवन का स्वप्न) में देखने को मिलता है। इसका कथानक बोल चाल की भाषा में सरल और आकर्षक शैली में लिखा गया है। सामंती समाज का और शासक वर्ग की बुराइयों का चित्रण इसमें किया गया है। इसमें हास्य और करुण रस का सुन्दर प्रयोग मिलता है। इसी से यह रचना काव्यात्मक भी बन पड़ी है। यह कृति 24 भागों में और 4000 पृष्ठों में प्रकाशित हुई है, इसमें 9 लाख शब्द हैं और 448 पात्र। मंचू राजाओं ने इसे अनैतिक साहित्य बताकर नष्ट करने की

घोषणा की थी। इस युग की दूसरी बड़ी रचना 'विद्वानों का जीवन है'। इस उपन्यास के लेखक वू छिंद-त्स थे।

प्रथम विश्वयुद्ध के बाद भारत की तरह वहां भी आर्थिक और राजनीतिक बदलाव आये। जिससे साहित्य भी प्रभावित हुआ और साहित्यकारों में नयी जागृति आई। 4 मई 1919 के क्रांतिकारी आंदोलन के बाद चीनी कविता में आम लोगों के संघर्षों और तकलीफों के चित्रण की शुरुआत हुयी।

मुक्ति की क्रांति के बाद और सांस्कृतिक क्रांति से पहले चीनी कविता व कथा-साहित्य में किसान, मजदूर, नेता एवं सेना ही लेखन की मुख्य विषय वस्तु होती थीं। बुद्धिजीवी वर्ग की बातों को साहित्य में उपेक्षित किया गया। इस काल के साहित्य में क्रांति व वीरता की शिक्षा पर जोर दिया गया। इसी दौरान चीन पर जापानी आक्रमण से वहां की जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। चीन-जापान का युद्ध करीब 8वर्ष चला और लगभग एक करोड़ चीनी युद्ध में मारे गये। इसकी प्रतिक्रिया-स्वरूप चीनी भाषा में एक बहुत बड़ा युद्ध साहित्य निर्मित हुआ। जैसे हिन्दी में हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर काफी साहित्य सृजन हुआ। उसी प्रकार चीनी में वहां के राष्ट्रीय मुक्ति युद्ध पर बहुत कुछ लिखा गया है। मुक्ति के बाद (1949) से सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत (1966) तक आदर्शवादी साहित्य का जोर था।

चीन में सांस्कृतिक क्रांति (1966से 1976) के दौरान लोगों को भारी सरकारी उत्पीड़न से गुजरना पड़ा। इसकी प्रतिक्रिया-स्वरूप चीनी-साहित्य में एक सम्प्रदाय का जन्म हुआ जिसे '**जख्मी साहित्य**' कहते हैं। चीनी भाषा का आधुनिक साहित्य तीन हिस्सों में बंटा है- **जख्मी साहित्य, सिंहावलोकन का साहित्य एवं सुधारवादी साहित्य**। सिंहावलोकन साहित्य में मुक्ति से लेकर अब तक चीनियों ने क्या किया। इसका लेखा-जोखा है सुधारवादी साहित्य में चीन के आधुनिकीकरण व प्रगति को प्रमुखता दी गयी है।

सांस्कृतिक क्रांति के बाद बुद्धिजीवियों से संबंधित विषय वस्तुओं पर भी साहित्य सृजन बहुत अधिक होने लगा है। प्रसिद्ध लेखक लुई चोव के उपन्यास '**पहाड़ की कहानी**' बुद्धिजीवियों को लेकर लिखा गया एक बहुचर्चित उपन्यास है। इस उपन्यास का मुख्य पात्र एक लेखक है जिसे सांस्कृतिक क्रांति के दौरान सुधारने के नाम पर एक गांव के पशु पालन केन्द्र में भेज दिया जाता है। वस्तुतः इसमें सांस्कृतिक क्रांति के दौरान चीन की तत्कालीन सरकार द्वारा बुद्धिजीवियों को दी गई यातनाओं को उजागर किया गया है।

“चीन के गोर्की कहे जाने वाले **लु शुन** (1881-1936) आधुनिक चीनी साहित्य में मौलिक

कहानियों के जन्मदाता कहे जाते हैं। अपनी लेखनी द्वारा उन्होंने सामंती समाज पर बड़े प्रहार किए हैं। कला और जीवन का वे घनिष्ठ संबंध स्वीकार करते हैं। लु शुन ने समाज का याथार्थवादी चित्रण किया। उनकी रचना 'साबुन की टिकिया' में परंपरागत पितृभक्ति की भावना पर तीखा प्रहार किया गया है। 'आह क्यू की सच्ची कहानी' में लु शुन ने अपनी लाज को बचाने की हिन मनोवृत्ति पर व्यंग किया है। उन्होंने 'मेरा पुराना घर' एवं 'नये वर्ष का बलिदान' कहानियों में किसानों की पीड़ा को रेखांकित किया है।

आजकल लुसिंग यू, वांग मांग जैसे प्रसिद्ध कथाकार नई-नई सामाजिक समस्याओं को लेकर कहानियां लिख रहे हैं। आधुनिकीकरण और औद्योगिकीकरण के लिए चीन आज नई करवट बदल रहा है और यहां आधुनिक साहित्यकारों के लिए यही लेखन की मुख्य विषय वस्तु बन गये हैं।

22 जनवरी, 1986को भारतीय साहित्य के दो चीनी विद्वान श्री नी पेगिंग और श्री सी.जे. हान भोपाल पधारे। 'चीनी-साहित्य पर भारतीय प्रभाव' विषय पर उनके साथ मेरी विस्तार से चर्चा हुई है। दोनों चीनी विद्वानों ने मुझे बताया कि आधुनिक चीनी कथा-साहित्य को भारतीय कथा-साहित्य काफी प्रभावित कर रहा है। हिन्दी के कथाकार, यशपाल, मुल्कराज आनंद, फणीश्वर रेणु, भीष्म साहनी, राजेन्द्र सिंह बेदी श्री लाल शुक्ल, मराठी रचनाकार खांडेकर, मलयाली लेखक तक्षी शिवशंकर पिल्ले, बंगला कथाकार शरतचन्द्र, बंकिमचंद्र, ताराशंकर वंद्योपाध्याय की रचनाओं का चीनी में अनुवाद हुआ और इन अनूदित रचनाओं को वहां बहुत रुचि के साथ पढ़ा गया।

श्री नी पेगिंग चीन के पेचिंग शहर में भारतीय साहित्य के अध्ययन से संबंधित चीनी संगठन के महा-सचिव थे। उन्होंने कहा कि हमारा देश चाहता है कि साहित्य के माध्यम से दोनों देशों की मित्रता अधिक बढ़े। हम अधिक से अधिक भारतीय साहित्य को चीनी में अनुवाद कर आम चीनी जनता तक उसे पहुंचाने के लिए प्रयासरत हैं। साथ ही, हम यह भी चाहते हैं कि भारत के विद्वान चीनी साहित्य का बड़े पैमाने पर अनुवाद करें। चीन की दो महत्वपूर्ण सांस्कृतिक योजनाओं की चर्चा करते हुए श्री नी पेगिंग ने बताया कि हम वेदकाल से अब तक (समूचे भारतीय साहित्य) के इतिहास के लेखन एवं विश्व साहित्य कोष तैयार करने में लगे हैं। विश्व साहित्य कोष में 300 भारतीय लेखकों को शामिल किया गया है। इन लेखकों के बारे में पूरी जानकारी कोष में उपलब्ध होगी।

'समकालीन भारतीय साहित्य के तुलनात्मक काव्य शास्त्र' पर शोधरत श्री सी.जे. हॉन ने बताया कि चीन में प्रकाशन कार्य संबंधी सुझाव व मार्ग-दर्शन देने का दायित्व दो प्रकाशन केन्द्रों के पास है। ये हैं संघई प्रकाशन गृह और चिन्ता प्रकाशन गृह।

दोनों चीनी विद्वानों ने बताया कि चीनी में कविता का स्तर कथा-साहित्य की तुलना में अधिक ऊंचा नहीं उठा। चीनी पाठक कविता की अपेक्षा कथा-साहित्य को पढ़ना अधिक पसंद करते हैं। उन्होंने आज के प्रसिद्ध चीनी कथा-लेखक वांग मांग, चोंग ची लोग, चांग चे, लुई चोव की चर्चा करते हुए कहा कि चीनी में आज कथा-साहित्य सर्वाधिक विकसित विधा है और उन पर भारतीय प्रभाव लगातार बढ़ रहा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. चीनी विद्वान नी पेगिंग एवं सी.जे. हान से हुई वार्ता के अंश।
2. पत्रिका 'पंजाब सौरभ' अक्टूबर 1986 भाषा विभाग पंजाब सरकार में प्रकाशित लेखक डॉ. आर.के. तिवारी के आलेख।
3. Nienhauser, William H, ed. (1986). The Indian companion to traditional chinese literature - Indiana University Press.
4. Watson, Burton, ed. (1984). The columbia Book of Chinese Poetry. From Early Times to the Thirteenth Century. New York : Columbia University Press.



Inches of Eternity: (De) Myth/Mystifying myths of Chattisgarh

Dr. Madhu Kamra

Why to we need myths – for awareness, for awakening or for adorning what should be held sacred. Derived from the Greek “mythos”, 'myth' is a story or a narrative with symbolic implications to exemplify a belief system of a group or a community. In essence, myths are stories of wisdom with longevity, at times, as ancient as an old banyan tree of ageless living. Of all, myths are all time favourites to most of those who write – be it modern or a contemporary writer. With Socio – cultural roots, myths are territory – markers, defining 'locale' and 'nativity'. A somewhat measurable scanning of literature is quite likely to bring one face to face with myths. The popular bed-time stories of enlightened Prahalad or Prince Dhruv after who we identity Dhruv – Tara with earlier surprise and with growing age adoration, speak loud of their deep – seatedness in copious memory of generation at large. Myth can also be named as pre-school learning into humanity – the very first lessons children learn of methods to preserve humanity and our surroundings. In a way myths mould meaning of life with all its essential essence. Myths, contain basic psychological, sociological or spiritual twists and help preserve integrity of the indigenous cultural. In as much a myth is not just a story but a sign which deals with the origin of the world in its paradisiacal state. Myths can be classified much broadly to distinguish their features -

Types of Myths.

1. Myths of creation
2. Myths of destruction
3. Myths of culture-heroes
4. Myths of divinity and destiny
5. Myths of Transformation

According to Roland Barthes myth is a speech whereby ideals and feelings are exchanged for transmission of what is regarded as important and meaningful. Hence myths is a subtotal of 'communication competence'.

Chattisgarh is a fertile land of myths – scattered in every hook and corner of this large and wide state. Surprisingly nearly a large volume of chattisgarhi myths – to use an umbrella term to cover all myths in its various dialects – pertains to vegetative and wild life. Here Myths aim at orderly meaningful, purposive and simplistic life and direct at 'order-seeking' approach of collective living. consequently Chhattisgarhi – myths are imbued with “we feeling” Myth is a mode of explanation of the life – related things like nature and universal force. Chattisgarh – uses myths as genre, narrative mode, metaphor or a sign. Thereby myths of chattisgarh function as derivative senses of ideologies and philosophies. The myths of chattisgarh reflect the sacred mind – set of the natives.

The most talked of myths are –'Phulbasan', Satvan and Jhaapi. The myth of 'Phulbasan' which records how Goddess Sita had entrusted Lakshman with the duty of providing her the sacred flower for the deity worshipped. Lakshman's effort is detailed to show how precious is the flower and the way Lakshman delicately holds it shows his reverence for the vegetative world. Here Sita is ranked as a woman of common human weakness like greed and desire. This is an example of 'myth' aimed at interpreting natural instincts. This myth reflects the 'human aspect' of superhuman being. The desire of 'Sita' to offer 'Phulbasan' to her deity shows that even Gods are beings of human emotions. Along with this myth contains an element of magic because the flower is impossible to obtain. This myth falls into the category of "matriarchal myth" as Sita reflects the idyllic time Women had enjoyed. Myths have 'Closure' in Chattisgarhi literature – "Good is rewarded and Evil is Punished" For Eg. The myth of Santwin who was later deified as the Goddess of Bastar with another name – Gondin". The myth discloses the consequences of evil – mindedness and establishes the theory of "Karma" Santwin is the seventh child of a widow who survived on remains collected from the forest to feed her family comprising of six sons also. One day Santwin's mother fell sick whereby the unskilled young Santwin had to Cook food. Due to no-training in Cooking she cuts her finger deeply while chopping vegetables. As the blood flows profusely, it gets mixed up with the curry she cooks. The brothers are wonder struck at the taste of the curry and inquire persistently about it. Santwin gives the detail by showing her wound. The brothers plan to eat her flesh, believing it to be rare in taste. They kill her in the jungle and when the widow mother learns about this brutal act from her youngest son she dies out of shock. Santwin is then established as 'girl' of 'Sweet blood' and 'Soft flesh". Her brother out of repentance built a temple in her memory and all devout prayers were answered with promptness and certainty, establishing Santwin as Goddess of extreme mercy and compassion

Myths contain indispensable violence even though they are much in opposition to science. Such events described as myths' seem impossible in the world. But their volume – laden sentiments give them long life of existence and thoughtfulness.

Myths can-not be ignored and overlooked, or crushed because they serve as effective means of understanding and reflect our ancient aesthetic expressions. The Myth 'Jhapi' is another tale of animal blessed with human emotions Sumari has no family to go for her 'Teej' Puja for the longevity of her husband. Her desperate and earnest prayer is answered in the form of a lion appearing in the guise of a man to perform all relative rituals as a brother. Seeing the expensive gifts received by Sumari her co-sister grows jealous of her. On the next festival, she goes along with Sumari to the lion – brother's house and is shocked at the mysterious truth. Collecting the neighbourhood, she plans to kill the lion and its family but in return falls into a danger to her life. Sumari's prayers move the lion to forgive her co-sister and their bond of human sister and lion-brother became eternal.

As guide to morality, myths are elements of elixir to life. Jung, Fromm and Malinowski used myths to emphasize universal truths though with the contributions of scholars like Gregory Schrempf and Levi-Strauss myths are nothing more than stories of "high-change" dramatic appeal. Nevertheless myth serves 'to encourage 'people's skills' and 'welfare – being' within the society.

Scholars like Brainslaw Malinowski and Paul Radin insisted on using myths as charters for social action. In the light of this, myths of Chattisgarh focus on the victory of good over evil, hence rich in ideological concept and emotive feel. The setting of these myths of Chattisgarh is the wilderness of a jungle with 'fate and chance' as its major tripping point. Yet they appeal as good stories of human values and are therefore still alive among folks who enjoy oral pattern of Storytime. To rational minds, such stories are "impossible extra-human worlds". As value-laden discourse, they still exist as a lesser genre, and Chhattisgarh is no less a fertile ground.

Acknowledgement:

'Phulbasan' is the contribution of Dr. Roshni Mishra, Dept. of Hindi



भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों का निजीकरण एक विवेचना

डॉ. बबीता पाठक

सहायक प्राध्यापक
दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

डॉ. गिरजा शंकर गुप्ता

सहायक प्राध्यापक
दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

भारत की 1991 में प्रस्तुत आर्थिक नीति के अंतर्गत निजीकरण एक महत्वपूर्ण वैचारिक विषय के रूप में उपस्थित हुआ है। निजीकरण का मूल उद्देश्य है सार्वजनिक क्षेत्र की कार्यप्रणाली में सुधार लाना ताकि कर दाताओं का वित्तीय बोझ घट सके। सार्वजनिक क्षेत्रों द्वारा वांछित उत्पादन न कर पाने के कारण राज्यों में बजटीय स्रोतों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे बाह्य ऋण तथा धारा बहुत बढ़ गया है। इसी कारण कुछ सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के निजीकरण बजटीय स्रोतों को घटाने में ही सहायक नहीं बल्कि इससे विदेशी ऋण का बोझ भी घटेगा यदि कुछ चुनिंदा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विदेशी समता को आकर्षित किया जाता है तो निजीकरण उन सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों को भविष्य के निवेश के लिये अधिक उत्पादन करने के योग्य बना सकता है तथा इससे सत्रातों के अभावों की आवश्यकता से निपटने के लिये विदेशी सहायता की आवश्यकता कम होगी।

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये निजीकरण आवश्यक परन्तु किस प्रकार का निजीकरण किया जाय यह एक विचारणीय प्रश्न है। क्या सार्वजनिक क्षेत्रों के स्वाभित्व को व्यक्तिगत इकाईयों में हस्तांतरण करना या अन्तराष्ट्रीय साक्षा उद्यम एवं परिसमापन कर या एक प्रबंध को निजी क्षेत्र में सौंपना एवं निर्णय लेने में स्वतंत्रता प्रदान करना है। निजीकरण के संदर्भ में सन् 1984 में हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गाँधी ने विचार रखा था, लेकिन उस समय हमारी सरकार इसे अपनाने की दिशा में हिचकिचा रही थी, लेकिन जब 1990-91 में नयी आर्थिक नीति तैयार की जा रही थी उस समय हमारे ऊपर विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष का दबाव था। इसके पीछे उनकी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) की नीति को भारत में लागू करवाने की मंशा थी अतः नई आर्थिक नीति में निजीकरण की नीति भी जोड़ी गई अर्थात् सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण इस हेतु सार्वजनिक उपक्रमों की कुछ कमियाँ बतायी गई :-

1. विनियोजित पूँजी पर निम्न प्रत्याय दर :- कुछ सार्वजनिक उपक्रम जैसे वस्त्र उद्योग उपभोक्ता वस्तु, कृषि उत्पाद आधारित उद्योग तथा पर्यटन सेवायें इनका निष्पादन नकारात्मक रहा साथ ही रसायन एवं उर्वरक उद्योगों की प्रत्याय दर भी 8 प्रतिशत तक ही रही।

2. राष्ट्रीय बचत में निम्न अंशदान² - 1991 में एक तथ्य यह भी सामने आया की योजना काल के 39 वर्षों के बाद भी सार्वजनिक क्षेत्र का अंशदान 92 प्रतिशत रहा।
3. आवश्यकता से अधिक मानवीय संसाधनों का प्रयोग एवं नौकरशाही :- सार्वजनिक क्षेत्र में 25-30 प्रतिशत तक आवश्यकता से अधिक नियुक्तियाँ तथा बिना किसी योजना के कार्य विभाजन पाया गया। साथ ही अफसरों में अत्याधिक नौकरशाही पायी गई इसके कारण जो हमारे सीमित साधन थे उनका अपव्यय होता रहा और उनका सही उपयोग नहीं हो पाया।
4. राज्य सरकार से उपक्रमों की निम्न कार्यक्षमता :- केन्द्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार के अधीन सार्वजनिक उपक्रम जैसे राज्य बिजली बोर्ड, सिंचाई कार्य एवं सड़क निर्माण कार्य आदि उपक्रमों की कार्यक्षमता भी निम्न रही।
5. दोषपूर्ण कीमत नीति :- सार्वजनिक क्षेत्र की कीमत नीति विवेक पूर्ण आर्थिक परिणामों पर आधारित नहीं रही। जैसे- पावर क्षेत्र, सिंचाई, सार्वजनिक यातायात, दुग्ध, पूर्ति आदि।
6. निर्णय लेने से स्वतंत्रता का अभाव :- सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में प्रबंधकीय संचालकों के निर्णय पूर्ण रूप से मंत्रालयों एवं मंत्रियों पर निर्भर रहे हैं। इस कारण से ये अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं कर पाये थे। इसका परिणाम निम्न उत्पादकता के रूप में सामने आया।
7. कार्य संस्कृति का अभाव :- सरकारी उपक्रमों में श्रमिकों के अनुशासन हीनता एवं श्रम प्रबंध संबंध अच्छे न होने के कारण कार्य संस्कृति का अभाव पाया गया।

अतः इन सभी अक्षमताओं को आधार बताते हुए बहुत से सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण किया गया। निजी क्षेत्र के लिये अधिक विस्तृत क्षेत्र उपलब्ध कराने के लिये बहुत से नीति संबंधी परिवर्तन किये गये, जिनका संबंध औद्योगिक लाइसेंस, प्रतिबंधों को हटाने, एवं राजकोषीय तथा प्रशासनिक नियमन प्रणाली के सरलीकरण से था। कुछ निजी क्षेत्रों ने अपनी तकनीकी एवं प्रबंधकीय कुशलता से उत्तम निष्पादन दिया तथा साथ ही जो क्षेत्र पहले सार्वजनिक क्षेत्रों के लिये आरक्षित थे उन पर भी अपना आधिपत्य स्थापित किया। उदा. सड़क निर्माण कार्य, पुल निर्माण कार्य में महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और गुजरात सरकारों ने निजी क्षेत्र के टेन्डर स्वीकार कर विकास को नई गति प्रदान की है। छत्तीसगढ़ हमारे देश का प्रथम राज्य है, जिसने राज्य परिवहन सेवाओं का निजीकरण किया है जहाँ वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्गों पर निजी

क्षेत्र की बसें चलाई जा रही है। प्राप्त प्रमाणों के आधार पर यह कहना ठीक नहीं होगा कि निजी क्षेत्र निष्पादन की दृष्टि से सार्वजनिक क्षेत्र से निश्चित रूप से श्रेष्ठ है। सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी के निष्पादन के तुलनात्मक अध्ययन से प्राप्त कुछ परिणाम इस प्रकार हैं :-

1. सार्वजनिक क्षेत्र के दूरसंचार यातायात एवं पेट्रोलियम क्षेत्र का निष्पादन अच्छा रहा विशेष रूप से पेट्रोलियम क्षेत्र की सकल लाभ दर ⁴ 32.2 प्रतिशत रही है। इस में कुल विनियोजित पूँजी का प्रतिशत 17.2 प्रतिशत रहा है।
2. शुद्ध लाभ बिक्री अनुपात :- 2013-14 तथा 2014-15 में सार्वजनिक का शुद्ध लाभ का बिक्री पर अनुपात 5.8 प्रतिशत एवं 6.7 प्रतिशत था किन्तु निजी क्षेत्र में यह प्रतिशत इन्हीं दो वर्षों में 1.2 प्रतिशत तथा 4.5 प्रतिशत रहा। इसके दो वर्षों में भी सार्वजनिक क्षेत्र का निष्पादन अच्छा रहा।
3. लाभांश निष्पादन अनुपात :- सन् 2013 के आंकड़ों के अनुसार लाभांश की घोषणा न करने वाली कंपनियाँ सार्वजनिक क्षेत्र की 24.1 प्रतिशत और निजी क्षेत्र की 60 प्रतिशत थी 1 प्रतिशत से कम लाभांश घोषित करने वाली कंपनियों में सार्वजनिक क्षेत्र की 13.8 प्रतिशत तथा निजी क्षेत्र की 3.9 प्रतिशत कंपनी रही। 10 प्रतिशत तथा निजी क्षेत्र की 35.6 प्रतिशत कंपनियाँ थी।
4. विनियोजित पूँजी पर सकल प्रत्याय दर ⁷ :- विनियोजित पूँजी पर सकल प्रत्याय सार्वजनिक क्षेत्र में 2008-09 में 11.12 प्रतिशत थी वहीं 2012-13 में यह दर 16.1 प्रतिशत पर पहुंच गई। यह दर क्रमशः वृद्धि की ओर अग्रसर रही।

इन आधारों पर यदि देखा जाये तो सार्वजनिक क्षेत्र कुछ सुधार की ओर अग्रसर रहे है। अतः यह धारणा रखना अनुचित है कि सार्वजनिक क्षेत्र अकुशलता के प्रतीक हैं और निजी क्षेत्र कुशलता का प्रतिरूप है। बिना यह विचार किये कि सार्वजनिक क्षेत्र के कार्य संचालन को अच्छे परिणामों हेतु किस तरह सुधारा जा सकता है, बहुत सी शक्ति सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण के प्रयास में लगाई जा रही है। सरकार के द्वारा किये गये कुछ निजीकरण के प्रयासों में उल्लेखनीय है- भारत एल्युमीनियम कंपनी (बाल्को) जो कि लाभ कमाने वाली कंपनी थी, इसके अलावा आलविन निसार जो कि आन्ध्रप्रदेश की सार्वजनिक क्षेत्र की फर्म का महिन्द्रा को हस्तान्तरण, महाराष्ट्र स्कूटर्स का बजाज आटो इंडिया लिमिटेड को हस्तांतरण, इस तरह से सरकार ने लाभ प्रदान करने वाले उपक्रमों को भी निजी क्षेत्र में हस्तान्तरित किया, जो कि लोकहित की दृष्टि से उचित नहीं है। निजीकरण किस सीमा तक हो और इसकी गति क्या हो हमारे नीति निर्धारकों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अत्यधिक निजीकरण पूँजीवाद और

एकाधिकार को बढ़ावा देता है और हमारे संविधान में जो समाजवादी अर्थव्यवस्था को प्रथमिकता देने की बात की गई थी, उसे हम वर्तमान परिवेश में पूरा नहीं कर पायेंगे।

वर्तमान में जो निजीकरण का ढाँचा है वह 1956 के बनाये हुए सार्वजनिक क्षेत्र के ढाँचे से खड़ा है। भूतकाल में कुछ निजी क्षेत्रों की बीमार इकाइयों को सरकारी स्वामित्व में लिया गया था, इस आधार पर भी हम अपने सार्वजनिक क्षेत्र की उपेक्षा नहीं कर सकते। विकास की प्रारंभिक अवस्था में निजी क्षेत्र आधार संरचना और भारी उद्योगों में विनियोग करने की स्थिति में नहीं था तब सार्वजनिक क्षेत्र ने अग्र क्षेत्र का कार्य किया था। सार्वजनिक क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई सभी अकुशलताओं के बावजूद इसने सहाय्यित दरों पर सिंचाई, ऊर्जा और संचालन शक्ति उपलब्ध करायी। इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा मध्यवर्ती वस्तुएँ भी सस्ती दरों पर निजी क्षेत्रों को उपलब्ध कराई। सभी दृष्टि से भी सार्वजनिक क्षेत्र ने निजी क्षेत्र के तीव्र विकास में योगदान दिया है।

निजीकरण से जो बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग द्वारा हमारे देश में आयी इससे अर्थव्यवस्था में बाजारीकरण को बढ़ावा मिला है इसके साथ ही एक विचारणीय तथ्य यह भी है कि इन कंपनियों के द्वारा अर्जित लाभ का कहाँ और कितना उपयोग होगा इस संबंध में भी कोई उचित नीति एवं नियम निर्धारण नहीं किये गये हैं। यदि यह लाभ विदेशों में भेज दिया जाता है तो हमारे संसाधनों के उपयोग का प्रतिफल अन्य देशों को प्राप्त होगा, इस लाभ के उपयोग की सीमा का निर्धारण करना अनिवार्य है। विदेशी कंपनियों द्वारा रोजगार निर्माण किस मात्रा में और किन पदों पर किया जा रहा है, इस ओर भी ध्यान देना आवश्यक होगा।

निजीकरण अगर राष्ट्रीकरण को हटाकर किया जाता है तो इसका भी हमारे देश में श्रम संघों ने विरोध किया है। बैंकिंग, बीमा, बिजली उत्पादन, कोयला खनन, डाक सेवाएँ इन सबका निजीकरण छंटनी का सूचक है। इसकी क्षतिपूर्ति के लिये "स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना" रखी गई लेकिन कर्मचारियों ने इसका विरोध किया है, इसका एक प्रमुख कारण भारत में विकसित देशों की तुलना में सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का अभाव है। सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों व कर्मचारियों को बेहतर वेतनमान, अवकाश अन्य लाभ सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त होते हैं, इसके विरुद्ध निजी क्षेत्र शोषणात्मक कुलशलता का प्रतीक है इसिलिये भी कर्मचारियों द्वारा निजीकरण का विरोध किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिकों में अनुशासनहीनता, कार्य संस्कृति का अभाव है, साथ ही उनके द्वारा सेवा सुरक्षा का अनुचित लाभ उठाया जाता है निजी क्षेत्रों के श्रमिकों में प्रतिस्पर्धा की भावना रहती है। दोनों क्षेत्र अपने स्वभाव में अंतर होने के कारण अलग-अलग किस्म की कमजोरियों से ग्रसित है। अतः निजी क्षेत्र को अधिक मानवीय बनाना होगा और सार्वजनिक क्षेत्र जो कि अधिक मानवीय है, को

अधिक कुशल बनाना होगा। इस हेतु सार्वजनिक क्षेत्र की प्रबंधकीय प्रक्रियाओं में अधिकारी समीकरण समाप्त करने के उपाय द्वारा सार्वजनिक उद्यमों की कार्य पद्धति को कुशल बनाने का प्रयास आवश्यक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने औद्योगिक रूग्णता के कारणों के बारे में एक अध्ययन किया है। 378 बड़ी बीमार इकाइयों के संबंध में उपलब्ध कराये गये आंकड़ों से पता चलता है कि 66 प्रतिशत औद्योगिक रूग्णता का कारण कुप्रबंध है। केवल 2 प्रतिशत कम्पनियों में श्रमिकों को इसके लिये जिम्मेदार ठहराया गया। ऐसी परिस्थितियों में छंटनी या बेरोजगारी के रूप में श्रमिकों को दण्ड देना उचित नहीं है। इसकी अपेक्षा अकुशल प्रबंध का सक्षम और कुशल प्रबंध से प्रतिस्थापना होना चाहिये। अतः आवश्यकता सार्वजनिक क्षेत्र के स्वामित्व को निजी क्षेत्र में हस्तांतरण की नहीं है बल्कि निजी क्षेत्र की कार्य संस्कृति, उत्तम प्रबंधकीय एवं तकनीकी योग्यताओं को सार्वजनिक उपक्रमों में अपनाने की है जिससे सार्वजनिक उपक्रमों की कार्यकुशलता एवं लाभदायकता में वृद्धि हो एवं हम अपनी आने वाली पीढ़ी के सामने समाजवादी समाज के लक्ष्य को रख सकें।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. "भारतीय अर्थव्यवस्था" मिश्र एवं गोयल
2. Centre for Monitoring Indian Economy
3. Centre for Industrial & Economic Research
Performance of Public & Private Sector.
4. भारतीय अर्थव्यवस्था प्रो.जे.एन. मिश्रा।
5. Centre for Industrial & Economic Research
Performance of Public & Private Sector.
6. Centre for Monitoring Indian Economy 2001.
7. Reserve Bank of India Buletin 2002.



महिलाओं के अधिकार

डॉ. नारायणी श्रीवास्तव
विभागाध्यक्ष-अर्थशास्त्र
दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
मो. -94252-07055

भारतीय नारी प्रारंभ से ही पृथ्वी के समान प्रभावशाली, गंभीर, शीतल, एवं मानसिक रूप से उन्नत रही है। प्राचीन भारतीय साहित्य में नारी की महिमा का काफी गुनगान किया गया है। जैसे- अथर्ववेद के अनुसार “ है नारी तुम यहाँ प्रतिष्ठित हो, तुम तेजस्वीनी हा” यजुर्वेद के अनुसार- “हे नारी तुम अपनी योग्यता से ज्ञान का कोष होकर देवों के कल्याण तथा महान आनंद के लिये इस घर में रहो” मनुस्मृति के अनुसार - “जहाँ नारियों का सम्मान होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं।” मार्कण्डेय पुराण के अनुसार - “नारी तुम केवल श्रद्धा हो।” अतः कहा जा सकता है, कि प्राचीन भारतीय जीवन दर्शन में नारी को शक्ति स्वरूपा स्वीकार किया गया है। भारतीय नारी प्रारंभ से ही पृथ्वी की तरह प्रभावशील, गंभीर, शीतल एवं उन्नत रही है।

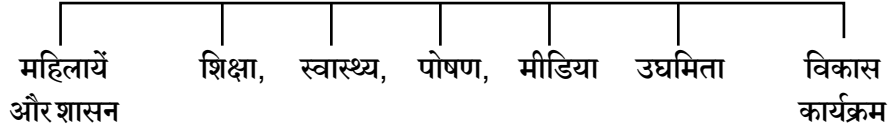
सभ्यता के विकासक्रम में न जाने कहाँ चूक हुई कि नारी समाज के केन्द्र से हाशिये पर पहुँच गई। “क्या किसी ने धरती माँ से यह पूछा कि, उसके गर्भ में सदियों से कौन सा लावा रहा है।” एक ही धूरी पर घूमते-घूमते क्या स्वतंत्र विचरण की चाहत कभी पैदा नहीं हुई? आज भारतीय समाज में परिवर्तन की अत्यंत आवश्यकता है। पुरुष प्रधान समाज ने महिलाओं को अनेकों अधिकारों से वंचित कर रखा है। इस दुर्दशा से उबारने के लिये अनेक स्तर पर समाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक राजनैतिक परिवर्तनों की आवश्यकता आज के समय की मांग है। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण है, संवैधानिक परिवर्तनों द्वारा महिलाओं के अधिकारों में वृद्धि।

हमारा संविधान भारत के सभी नागरिकों को समाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, न्याय, प्रदान करने की मन्शा की घोषणा करता है। देश की महिलाओं को “मूल अधिकार” प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाना चाहता है।

महिलाओं के अधिकार

- 1) आर्थिक अधिकार
- 2) समाजिक अधिकार
- 3) संघर्ष एवं कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करने का अधिकार

अन्य



महिला आर्थिक विकास निगम, ग्रामोद्योग विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय कल्याण विभाग, महिला बाल विकास विभाग, गृह विभाग, पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उद्यमिता विकास केन्द्र, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, स्वास्थ्य विभाग, राज्यस्तरीय मेला के आयोजन द्वारा महिलाओं के स्वर्णिम भविष्य की योजनाओं एवं अधिकारों से अवगत करा कर उन्हें सशक्त बनाने का उच्च स्तरीय प्रयास किया जा रहा है।

संविधान द्वारा - महिलाओं को तीन अधिकार - लिंग भेद समाप्त का अधिकार, 2. महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को समाप्त करने का अधिकार, 3. कमजोर वर्गों की महिलाओं की स्थिति सुधारने का अधिकार।

मूल अधिकार -

1. समानता का अधिकार - सार्वजनिक नौकरियों में समान अधिकार।
2. समान वेतन का अधिकार - 1976 के अनुसार, समान परिश्रमिक अधिनियम में एक समान कार्य के लिये एक जैसा वेतन मिलना चाहिए। पिता की सम्पत्ति, पति की सम्पत्ति पर अधिकार, अपने नाम से सम्पत्ति खरीदना उसे बेचना एवं उसकी रजिस्ट्री का अधिकार एवं सरकार द्वारा तय की गई न्यूनतम मजदूरी प्राप्ति का अधिकार
3. मजदूरी भुगतान अधिनियम - एक सप्ताह में 48 घंटे से अधिक कार्य न लिया जाना, पांच घंटों से अधिक लगातार काम नहीं कराया जा सकता।
4. प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम-(1961) गर्भवती महिला को गर्भावस्था के दौरान मिलने वाली सुविधा (प्रसूति से पहले एवं बाद में पूर्ण वेतन पर 6 सप्ताह की छुट्टियों का अधिकार)
5. गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम (1971) - इस अधिनियम के अनुसार 12 सप्ताह तक ही गर्भ का समापन किया जा सकता है। यदि अवधि बीस माह की है तो दो डॉक्टरों की सलाह से उसे समाप्त किया जा सकता है। उसके पश्चात् कदापि नहीं।
6. भरण पोषण का अधिकार - पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 488 एवं नई दंड प्रक्रिया की धारा 125 में भरण पोषण का अधिकार महिलाओं को प्राप्त है।

जैसे -

1. सक्षम व्यक्ति द्वारा पत्नी की उपेक्षा करना तब पत्नी पृथक रहकर पति से भरण-पोषण व्यय की मांग कर सकती है।

2. यदि पति अपनी पत्नी को महिनों तक जानबूझ कर भरण-पोषण नहीं देता तो उसे जेल भेजा जा सकता है। किन्तु जेल जाने के बाद भी यह दायित्व नहीं समाप्त हो जाता।
 3. महिला अपने बच्चों के लिये भरण पोषण व्यय मांग सकती है।
 4. माता अपने पुत्र एवं पुत्री से भरण पोषण मांग कर सकती है।
 5. अदालत में उच्चतम न्यायालय द्वारा भरण पोषण व्यय का आदेश दिया जाता है कि प्रतिमाह व्यय राशि पत्नी को अदा कि जाये।
 6. यदि पति ने पत्नी को तलाक दे दिया है, और यदि पत्नी ने दूसरा विवाह नहीं किया है, तो ऐसी तलाक शुदा पत्नी भरण-पोषण की मांग कर सकती है।
 7. हिन्दु विवाह अधिनियम के आधीन कि धारा 24 के अंतर्गत यदि पत्नी आर्थिक रुप से सक्षम है और पति विपन्न तो वह अपनी पत्नी से व्यय कि मांग कर सकता है।
 8. हिन्दु विवाह अधिनियम के आधीन आवश्यक है कि, वर की आयु 21 वर्ष एवं कन्या की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए 1929 में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम पारित हुआ।
 9. एक पत्नी के जीवित होते हुए यदि पति दूसरा विवाह करता है, तो दूसरी पत्नी को न तो सम्पत्ति मांगने का अधिकार है न स्वत्व मिलता है न भरण पोषण व्यय मिलता है न न्यायालय में अपने अधिकारों की मांग कर सकती है। किन्तु पहली पत्नी न्यायालय में अपने अधिकारों की मांग कर सकती है, और पति पर धोखे का मुकदमा चला सकती है, और मुआवजा भी मांग सकती है।
 10. यदि पति ने पत्नी के विरुद्ध तलाक का जयपत्र न्यायालय से प्राप्त कर लिया है। पत्नी उस जयपत्र के खिलाफ अपील करती है। परन्तु अपील से पहले यदि पति का देहांत हो जाता है तो वह अपील चलने योग्य नहीं है। तब पत्नी को स्वत्व प्राप्त होते है जैसे -मकान में रहना पति की संपत्ति का एक भाग प्राप्त होना, बच्चों की अभिरक्षा इत्यादि।
7. हिन्दु दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम - (1956)
- अ) गोद लेने का अधिकार - हिन्दु विधि के अनुसार केवल पुरुष को ही गोद लेने का अधिकार था। और केवल पुत्र को ही गोद लिया जा सकता था पुत्री को नहीं। किन्तु इस अधिनियम ने यह स्पष्ट कर दिया कि स्त्री भी बच्चे को गोद ले सकती है। किन्तु उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए और बच्चे कि आयु 15 वर्ष से कम होना चाहिए।
 - ब) लिंग भेद समाप्ति का अधिकार- महिला को पुरुष के समान प्रत्येक क्षेत्र में समान अधिकार दिये गये है। और महिलाओं के उत्थान हेतु पृथक कानून बनाये गये है।
- जैसे -
1. न्यूनतम वेतन अधिनियम
 2. मजदूरी का भुगतान अधिनियम
 3. समान पारिश्रमिक अधिनियम
 4. नौकरी में समान अधिकार

8. बालात्कार या अपराधिक मामलें - भारतीय दंड संहिता की धारा 376 बालात्कार के अपराध से संबंधित है। इस अपराध के लिये अपराधी को 7 वर्ष या 10 वर्ष या उम्र कैद हो सकती है। यदि महिला की इच्छा के विरुद्ध बालात्कार किया गया तो तथ्य महिला को प्रमाणित करने होंगे। केवल महिला पुलिस अफसर ही किसी महिला के शरीर की तलाशी ले सकती है। यह अधिनियम -1983 की भारतीय दंड संहिता में पारित किया गया था। महिला अपनी सुरक्षा निम्न रूप से कर सकती है।:

1. पुलिस से शिकायत करना।
2. शिकायत गुप्त रखी जाये।
3. महिला की तुरंत डॉक्टरी जांच की व्यवस्था हो एवं पुरुष की भी डॉक्टरी जांच हो।
4. उस स्थान को जहां बालात्कार हुआ है जब तक जांच पडताल न हो जाये सुरक्षित रखा जाये।
5. कोर्ट की कार्यवाही आम जनता के समक्ष न हो।

9. अपहरण -

किसी नाबालिक लडकी को उसके संरक्षक से कहीं दूर बहलाकर ले जाना कानूनी अपराध है। जिसे अपहरण कहते हैं। जिसकी सजा 10 साल तक जेल एवं जुर्माना है।

1. महिला धारा 366 ए के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकती है।
2. महिला की शालीनता भंग करने या उसे जबरदस्ती करना, धारा-354 के तहत 2 वर्ष की सजा।
3. पहली पत्नी के जीवित रहते हुये दूसरी शादी करना, धारा 494 के तहत 7 वर्ष की सजा।
4. धोखा-धडी से शादी की रस्म पूर्ण करना, धारा 496, 7 वर्ष की सजा।
5. महिला के साथ क्रूरता का व्यवहार धारा 498 ए, 3 वर्ष की सजा।
6. महिला की बेईज्जती करना धारा 499 के अंतर्गत 2 वर्ष की सजा।
7. महिला को अपमानित करना, या अश्लील हरकतें करना, धारा 509, 1 वर्ष की सजा।

उपसंहार :-

उक्त वैधानिक कदमों से महिलाओं के ऊपर होते अत्याचारों एवं उनके शोषण में काफी कमी आई है। और वर्तमान समाज में महिलाओं को सम्मान जनक एवं बराबरी का दर्जा दिया जा रहा है। “राइट ऑफ प्रायवेसी आफ वूमेन” के तहत महिलाओं ने आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक, विकास हेतु सशक्त बनकर एवं अपने अधिकारों का प्रयोग करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान कायम की है।



Mother Love in Toni Morrison's *Sula*

Dr. Protibha Mukherjee Sahukar
Ms. Mitun Bhowmick

Becoming a mother one becomes a hostage to fortuity. All attitudes of indifference, subterfuge fall away with the birth of a child. And once a baby is born, the mother's only wish is that it outlives her. Maternal responsibility accepts many frames, the gold-leafed or the tin, but the baby is the mother's own. A mother just doesn't toil to keep alive her son or daughter for her kin or country. She does it because the alternative i.e. the offspring's misery or the threat of death is unbearable. Yet throughout history, many mothers have had to live through the death of a child /many children.

Women have always tried to outrun the monster loss that relentlessly pursued them. Different women in different cultures and social classes probably tried everything for a little relief from emotional distance to detachment, to abandonment, birth control methods, infanticide, depression, deep prayer, nunneries, brothels, opium or wine. Each was perhaps somewhat useful. The problem is how to hold such knowledge in fair balance, giving it its due but not allowing it to obscure the reality of many mothers' suffering their helpless love.

The image of mother is particularly meaningful and recurrent in the writings of Toni Morrison, who is a literary giant and Black excellence personified. She delves deep into human emotion and sieve through one of the most fundamental of personal relationships i.e. the tie between a mother and her child(ren). Motherhood which is a persistent presence in all of her novels is rendered as entirely different perspective in each of her novels. There comes barrage of questions to one's mind when reading Morrison as to why does a black mother have a troubled relationship with her children? What are the traumatic experiences which affect the psyche of the black mother? What makes her kill her daughter, or burn her son to death as an expression of motherly love? How and why is a black mother different from other mothers? It is a fact that Black motherhood is entirely different from motherhood recommended in the dominant society in terms of both maternal identity and role. It is an intense act of resistance, a very essential and indispensable part of black women's fight against racism and sexism and their power to achieve well-being for themselves and their own. It is important to understand that Morrisonian mothers writhe under the pressure of their socio-economic and cultural conditions and brave the affronts of slavery and abusive households. They carry distorted notions of aesthetics as they get raped, whipped, sold, abused and shot. Consequently they go berserk and throw themselves down the wells, wander wild in the woods, commit murder, burn an adult son to death, slit a baby daughter's throat, throw away babies, undergo an indiscriminate streak of several abortions, outrightly abandoning their own. Maternal acts are not always the stuff of sentimentality and it is difficult to comprehend these mothers who obviously seem unhinged. The frequency of maternal deaths in Morrison, functions as a metaphor to

symbolise the prevalence of motherline disconnections and disruptions and their damaging consequences, particularly for women. She undoubtedly is a writer on a difficult mission who deftly weaves together simple stories that become increasingly complex, mythic, beyond solution, yet teaching us a universal lesson that we always needed to know on mothers, mothering and motherhood.

Sula was written in 1973, twenty years before Morrison was awarded the ultimate prize for a writer, the Nobel Prize in Literature. The novel is about Black matriarchal households. It offers two protagonists neither of whom have positive relationships with their mothers. Mothers are the cultural bearers who pass on their tradition to the next generation. But here it is the motherline dis-connection which is represented through the mother-daughter relation. Morrison constructs a sequence of portraits of women who all long for nurturing and who all fail to attain that care. These women, some of whom are mothers themselves look essentially to their own mothers as the source of emotional support, only to find them inadequate in providing so. A series of 'monstrous' mothers get generated - 'monstrous' because these are the women who reveal the false notion of the good mother established by the dominant discourse.

The novel tells the story of an unorthodox and atypical woman named Sula. Set in the Bottom which is an all black area of Medallion, Ohio, the storyline follows the families of Sula and her friend Nel. These two girls are poles apart from each other in all walks of life. Nel grows up in a rigid and conventional environment while Sula grows in a family with hardly any constraints. The two young women choose life style similar to their respective upbringings. Despite glaring differences between them, the girls become friends but eventually grow apart due to some unfortunate situations. Though their active friendship does not withstand the differences of their adult lives, Nel and Sula maintain a spiritual connection. It is here that one gets to contemplate on freedom and restraint in order to decide which might be better.

Sula then becomes concerned with a daughter's identification with a standardised discourse and how this results in the daughter's severance from her motherline. Sula's insecurity and consequent neurosis stems from her unstable relationship with her mother Hannah whose flippant denial, "... I love Sula. I just don't like her. That's the difference" (*Sula* 57) damages Sula's childhood as she interprets her mother's remark as a pronouncement of rejection and abandonment because she looks at her mother through the lens of normative motherhood wherea mother's love is unconditional. The question arises as to why does Hannah not like her daughter, Sula? Hannah may have a good reason for not liking Sula.

As against the western concept Hannah's comment bursts the age-old myth that mothers loving and liking their children is unconditional and guaranteed. What Hannah probably tried to say was that a child is a separate person with her own individual personality. While mothers always love their children - "can't help loving your own"(*Sula*) - they may not like the person their child becomes. It is always possible that a mother may not like a child at a particular moment, or at a particular stage, the reason can be far and varied - whether because of differences in temperament,

conviction, values or even lifestyle. But as children everyone wants to believe that mothers both love and like us unconditionally. Therefore it becomes difficult to appreciate Hannah for her honesty and insight. Hannah's comment, or more precisely Sula's misinterpretation of it causes Sula's to break the connection with her motherline.

Another life changing unfortunate incident happens in Sula's life after her encounter with her mother. She and Nel accidentally drown a young boy called Chicken Little. Hannah's remark and the drowning of the little boy are set against one another. This juxtaposition suggests that Sula's rejection of motherhood originates from what she perceived to be her own mother's rejection of her. Both events shape Sula's developing selfhood. Not comprehending the motherline and the values of the ancient properties that it conveys, she rejects motherhood and embraces dominant standards of female success. In particular, she fashions a female selfhood modelled on the values of autonomy, independence, and self-sufficiency very against the tenets of black culture.

Significantly, shortly after the drowning of Chicken Little, Sula's mother burns to death. Sula is orphaned at the tender age of twelve. She becomes an orphan in a figurative manner by her mother's comment and later by her mother's death.

Eva, the senior most matriarch of the Peace household, is a fervid mother. When her husband abandons her in the dead of winter, leaving her destitute with three children to feed, Eva has no choice but to rise to the occasion. Desperate helpless love of a deserted single mother Eva, makes her sacrifice her leg to get money to feed her babies. She does not hesitate to mutilate her body to feed her young ones. Determined Eva, leaves her babies with a neighbour and disappears for next eighteen months. When she comes back she never tells anybody what happened to her leg or how she came by that money but the rumour mill suggests that she stuck her leg under the train to collect the insurance money. The first thing she does after coming back on crutches is to reclaim her babies from Mrs. Suggs and then she gives her a ten dollar bill as a token of gratitude. By wilfully hacking off her leg Eva transgresses all bounds of normal human behaviour. And once she transgresses that fine line, there is no coming back to normalcy. Indeed Eva makes a lot of sacrifices but her love does not seem to impress her children. She is too busy keeping her children alive, keeping them warm and providing for them. She cannot afford the luxury of cooing to her children and feels very offended when Hannah who is also her eldest daughter asks her if she ever loved her children. Morrison gives voice to Eva's predicament, "It's problematic playing with children when you don't know how to stay alive." (*Conversations with Toni Morrison* 69-70). Eva is very clear about the fact that she has no time for anything except to keep her children alive and to survive. The only mothering Eva knew was preservative mothering one of the essential features of black mothering. For instance when she saw Hannah on fire, she recklessly jumped from the window of her room, landing herself in the bushes and trying to drag herself to her burning daughter. She is a complex character because and in spite of her motherhood. She emerges as a complex figure, 'pre-server and destroyer' reminiscent of Shelley's *The West Wind*.

It is important to understand that at the turn of the twentieth century in the Black society single

parenthood was forced on Black women as their men deserted them pretty often. It is not just Eva's plight alone but the plight of most black women around her. Sula's remark to Nel is indicative of the situation, "Every man I ever knew left his children" (*Sula*143). What happens, however, when the Black mother fails to preserve her children?

Eva's decision to murder her son, Plum, because he has descended into heroin addiction again challenges the dominant ideology of motherhood. If the 'too thick love' of Sethe in *Beloved* makes her kill her own baby, Eva who chops off her own leg, burns her own flesh and blood, in the same stride. It was baby Plum whose constipated suffering had spurred Eva on to sacrifice her leg. And when she sees the same Plum suffering again as an adult, she again comes to his rescue. In the middle of the night she carries herself on two crutches to Plum's room. She cuddles him for the last time, cries and then in cold-blood drenches him in kerosene. Unsuspecting Plum lay there secured in his mamma's presence. Eva then throws fire at the bed, shuts the door and moves on back to her room. "Eva's act although extraordinarily destructive is an act of kindness and self-sacrifice of the profoundest kind, for Plum is 'her beloved baby boy' and losing him is intensely painful." (www.literature-study-online.com)

Eva's actions towards her children breaks the powerful ideological belief that mothers exist in a compact and restricted area. Eva's maternal concerns unnerves one because the maternal power she claims upsets the comfortable notions of maternal powerlessness. Eva can easily be condemned for epitomising the immoral and unconventional matriarch. Her past of abandonment and poverty places her in a position that cannot be inferred under the western tenets of motherhood. The gender based roles put forward by the Eurocentric view do not apply to Eva because she must assume both private and public spheres to financially safeguard her children. Hence Eva survives in a boundless maternal state and finds reprieve in the choices she makes to look after her children. Eva's maternal space is also very fluid. She finds freedom in preserving both the matrifocal society and in deciding her children's welfare.

The novel presents the beginning of the scene with Eva cradling, "rocking" Plum in complete maternal anguish. And then, "Plum opened his eyes and saw what he imagined was the great wing of an eagle pouring a wet lightness over him. Some kind of baptism, some kind of blessing, he thought. Everything is going to be all right, it said...where the kerosene-soaked Plum lay in snug delight" (*Sula* 47). A close reading of the passage depicts Plum in a blessed domain of solace, provided for him by Eva. He is comforted by her "great wing," (*Sula* 47) which is "blessing" (*Sula* 47) him with the performance of preservative love. When a child is in pain, every mother yearns is to put an end to that child's suffering. The holy images of wetness and light makes one believe that Eva has provided Plum, a baptism into safety. The scene reminds one of Sethe's killing of her daughter *Beloved*. Eva's destructive act preserves Plum by restoring his life through death. Eva's love for her son places her in a limitless maternal space, where she is free to rescue her son by any means required. And it is this very liberty to safeguard Plum that perplexes one who reads Eva under the dominant ideology of mothering.

The relationship between Eva and Plum contradicts many of the dominant theories analysing the mother and son relationship. Gilligan argues, "For boys and men, separation and individuation are critically tied to gender identity since separation from the mother is essential for the development of masculinity. For girls and women, issues of femininity or feminine identity do not de-pend on the achievement of separation from the mother or on the progress of individuation" (*In a Different Voice* 8). The dominant ideology stipulates that male children separate from the mother in order to fulfil their masculine roles in a patriarchal culture. Consequently, the widely held fixed gender roles are enforced through the son's rejection of the primary female in his life and with her adherence to the agreement. The maternal space becomes more inhibited by the mother yielding to patriarchal social dictate and by the son disconnecting himself from the motherline. In giving the name Peace to Plum and having him engage in war, Morrison highlights the volatile mother-son connection in a patriarchal society. The formation of a trustworthy Black identity relies upon connecting to the motherline, keeping the values of what Morrison calls funk and ancient properties intact, and receiving the motherlove that helps flower self-love. Instead of following the dominant ideology of motherhood, Eva assumes a boundless maternal space and claims the responsibility to decide what is best for her son. Eva finds liberation through preserving Plum in death because of her freedom to save him from and criticise the white patriarchal social system. Motherhood is a site of black empowerment and child preservation is the first and most essential step in the Black maternal model. Eva accomplish this through her liberated maternal actions. She does not follow rules or expectations placed upon mothers, which are normally found in Western society.

Sula then is an exploration of how - 'we are what our mothers are'. Eva's, preservative love sans the nurturance, leaves a void, inside of Hannah who has not seen any exemplary evidence of nurturing mother-love around her, fails to percolate it down to her daughter. "Neither Eva nor Hannah served as a positive role model who enforced or exhibited a lifestyle of domestic tranquility or security....Hannah, who had not found Eva to be loving mother, comes up short on the nurturing yardstick" (*Toni Morrison* 36)

The stories of Nel and Sula follow those of the foremothers - Cecile, Rochelle, Helene, Eva, and Hannah. *Sula's* narrative structure establishes a matrilineal line of descent from which the daughters' lives unfold. Unfortunately both girls struggle throughout the novel to establish identities for themselves independent of their maternal lineage, but both ultimately fail; the complex dynamics of mother-child relationships are too strong, too much a part of who they are, for either of them ever to be totally stripped of that inheritance.

One mother-line drawn in *Sula*, is that of Cecile Sabat. She has a daughter called Rochelle who is a whore. Nel's mother Helen is born in a whore-house to Rochelle. In order to save Helene from turning into a whore, Cecile takes her away at birth and brings Helene up in a virtuous way, constantly counselling her and marrying her off at sixteen. Helene brings up her daughter Nel, perpetually on guard against any evil signs of the blood in them. Lives of the three women- Cecile, Helene and Nel, is a painful ordeal of running away from any influence and reminder of that 'evil' Rochelle. Cecile fills her home with too many impressions of Virgin Mary. Helene's fad for impeccable manners and

immaculately kept house, originates from her flawed origin. Nel's over-emphasis on piety, propriety and sanctity of marriage is also propelled by the Rochelle-factor. "Morrison explores the intergenerational effects of maternal relationships." (*THE TONI MORRISON ENCYCLOPEDIA*219) If Sula is a victim of what fractured motherline then Nel's mother too is not particularly maternal or nurturing, either. Given that Sula and Nel lack supportive mothers, the strength of their friendship during their adolescent years can be explained as an attempt to 'mother' one another. Two unmothered girls "become fast friends and "use each other to grow on." (*The Norton Anthology Of African American Literature* 2211)

Eva's mothering has a profound effect on her daughter Hannah and Hannah's mothering in turn has a deep effect on the personality of her daughter Sula. The most striking similarity in the blood is, Sula's deliberate slashing of her finger. The idea of chopping her own body comes to Eva's granddaughter quite naturally. Just as Eva put her leg under a train to collect insurance mon-ey, Sula "slashed off... the tip of her finger" (*Sula* 54) to frighten off a group of boys. Significantly, Sula maims herself with "Eva's paring knife" (*Sula* 54). Peace matriarchy cannot live without men around them. Hannah's daughter Sula, who grows up watching the constant inflow and outflow of men into the house, leads a sex life is as promiscuous as her mother's. The first time Sula has sex with Ajax, as the narrator tells us, "she pulls him into the pantry. There was no need to go there, for not a soul was in the house, but the gesture comes to Hannah's daughter naturally" (*Sula* 125). In both style and content, Sula's life reenacts the lives of her mother and grandmother. Eva be-queaths to her granddaughter a fiery, defiant, don't-mess-with-me personality, and Sula inherits from her mother 'manlove' and a 'pantry' style of loving. The heated altercation between Sula and Eva, towards the end of the novel, is like talking to the mirror. Sula has dared to say things to Eva which nobody has ever mentioned before. Sula, in her own way, drives home the point that she is doing all that her mother and grand-mother, have done before her. Sula is an amalgam of grand-mother's arrogance and mother's self-indulgence and to add to it is her own spirit of exploration. Eva outlives her granddaughter, and the memory of Sula lives on through Eva. Whether Sula desires it or not, she is created from, connected to, and sustained by the motherline of her foremothers. Sula is successful in cutting herself off from her motherline as she loses the ancient properties of black womanhood so propagated by Morrison. Literally and symbolically, Sula kills the ancestor: She puts Eva away and watches as her mother burns to death. In an interview with Ann Koenen, Morrison offers this analysis of Sula:

I thought she had a serious flaw, which led her into a dangerous zone which is... not being able to make connection with other people.... Sula's behaviour looks inhuman, because she has cut herself off from responsibility to anyone other than herself.... Sula put her grandmother away. That is considered awful because among Black people that never happened. You must take care of each other. That's more unforgivable than any-thing else she does, because it suggests a lack of her sense of community. Critics de-voted to the Western heroic tradition - the individual alone and triumphant - see Sula as survivor. In the Black community she is lost. (*Conversations with Toni Morrison* 207 - 208)

Black women always maintain, whether they desire it or not, a connection to their ethnic community. The inevitable connectedness does not get manifested in *Sula*. Although she attempts to write a life script different from that of her mother and grandmother, her story never becomes more than a subplot of the larger motherline. Sula's rejection of both her mother and her grandmother leaves her without an ancestor figure, which also leaves her "centerless" (*Self, Society, and Myth* 22). Sula "had no center, no speck around which to grow" (*Sula*119).

Children in Morrison receive from their mothers a loved self and from the motherline the ancient properties and funk. Both the funk and the ancient properties are essential for the psychological wellbeing of Black daughters. Daughters who are orphaned, either literally or psychologically, do not develop a loved sense of self or learn the teaching of motherline from which to create a strong and proud selfhood as a black woman. Sula is neither like Joe who was abandoned by his mother(*Jazz*) nor is she like Pecola (*The Bluest Eye*) who is psychologically deserted by her mother; she is a self-made orphan. She thinks of herself as a self-invented and self-defined woman when she says "I got me" (*Sula* 143), "whatever's burning in me is mine!" (*Sula* 93) "My lonely is mine" (*Sula* 143) and tries to forge her own path. However, disconnected from her motherline, she is left,"with nowhere to go" (*The Mother / Daughter Plot* 185)

Works Cited

- Morrison, Toni. *Sula*. 1973. New York: Plume, Penguin, 1982. Print
- Taylor-Guthrie, Danille, ed. *Conversations with Toni Morrison*. Jackson: University of Mississippi Press, 1994. Print
- Crater Jr, Henry Louis and McKay, Nellie Y. *The Norton Anthology Of African American Literature*. W W Norton and Company, New York, 2004. Print
- Hirsch, Marianne. *The Mother / Daughter Plot: Narrative, Psychoanalysis, Feminism*. Bloomington, IN: Indiana UP, 1989. Print
- Gilligan, Carol. *In a Different Voice: Psychological Theory and Women's Development*. Cambridge: Harvard University Press, 1982. Print
- Gillespie, Diane and Missy Dehn Kubischek, "Who Cares? Women-Centered Psychology in *Sula*" *Black American Literature Forum* 24.1 (Spring 1990): 21-48. Print
- www.literature-study-online.com.
- Beaulieu, Elizabeth Ann. *The Toni Morrison Encyclopedia*. London : Greenwood Press, 2003. Print 219
- Samuels, Wifred, and Glenora Hudson-Weems. *Toni Morrison*. Boston: Twayne, 1990. Print.
- Davis, Cynthia A. "Self, Society, and Myth in Toni Morrison's Fiction." *Toni Morrison*. Ed. Harold Bloom. New York: Chelsea, 1990. 7-25. Print.



गांधी जी की अहिंसा और हम

डॉ. किशोर कुमार पटेल

विभागाध्यक्ष
इतिहास विभाग,
दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

महात्मा गांधी बीसवीं सदी के महानतम व्यक्तियों में से थे जिन्होंने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक शक्तियों पर अपना अमूल्य प्रभाव छोड़ा। वे ऐसे क्रान्ति पुरुष थे जो न केवल अपने देश की स्वाधीनता के लिए लड़े वरन् विश्व के दूसरे भागों के लोगों की स्वतन्त्रता के प्रति सचेत थे। वे ऐसे पुरुष थे जिन्होंने अहिंसा, सत्याग्रह, अनशन, हड़ताल, असहयोग और सविनय अवज्ञा जैसी नवीन एवं मौलिक तकनीकियों द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिला दिया। गांधी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और मानव से सम्बन्धित अनेक समस्याओं का हल निकालने में उन्होंने अपने मस्तिष्क का उपयोग निर्बाध रूप से किया। सत्य और अहिंसा उनका ब्रम्हास्त्र था। यद्यपि वे एक समय में एक कार्य में विश्वास करते थे, तथापि अपनी बुद्धिमत्ता और विश्लेषणात्मक तर्कशक्ति के द्वारा उन्होंने अस्पृश्यता जातिवाद, इत्यादि आपत्तिजनक सामाजिक बुराइयों को दूर करने के उपाय प्रस्तुत किए।¹

गांधी जी ने कहा था जब तक अहिंसा पर संसार के लोगों का पूरा विश्वास नहीं जमेगा तब तक युद्ध बराबर चलते ही रहेंगे। शान्ति - सन्धियाँ, युद्ध की सम्भावनाओं को कुछ समय के लिए स्थगित कर सकती हैं; पर हमेशा के लिए खत्म नहीं कर सकतीं। जब तक हमारे दिल और दिमाग में हिंसा रहेगी, या हिंसा पर विश्वास रहेगा, हमें किसी न किसी रूप में बराबर उसका दण्ड भुगतना होगा। युद्ध कभी भी युद्धभूमि में नहीं पैदा होते। उसे एटमबम-लेबोरेटरी नहीं पैदा करती, वरन उसे मानव-हृदय में हिंसा पर छिपा हुआ विश्वास उत्पन्न करता है। यों कह सकते हैं कि इसे हिंसा से उत्पन्न विनाश, शासन- लोलुपता, पराजय का भय और सत्ताप्रेम उत्पन्न करता है।²

गांधी जी के सामाजिक और राजनैतिक विचारों तथा कार्यों का आधार 'अहिंसा' है। सत्य की भाँति ही गांधी जी अहिंसा को भी सर्वशक्तिशाली और कुछ हद तक ईश्वर का पर्याय मानते थे। उनकी दृष्टि से सत्य साध्य है और अहिंसा उस साध्य तक पहुँचने का साधन। गांधी जी का अनुभव था कि मानवीय सम्बन्धों की समस्त समस्याओं का एकमात्र हल अहिंसा ही है। उनका दृढ़ अभिमत था कि अहिंसा हिंसा से अधिक शक्तिशाली है। अहिंसा परस्पर प्रेम, आदर एवं समझ को जन्म देती है तथा सभी मनुष्यों को समान समझने की प्रेरणा देती है। गांधी जी ने

सत्य और अहिंसा का प्रयोग सभी सामाजिक, राजनैतिक एवं वैयक्तिक परिस्थितियों में किया और आपसी वैमनस्यता, घृणा, विद्वेष तथा शंकाओं पर विजय प्राप्त करने में सफल हुए। गांधी जी ने जिस अहिंसा का प्रतिपादन एवं प्रयोग किया वह निषेधात्मक धारणा न होकर वस्तुतः एक विधेयात्मक या रचनात्मक शक्ति है जो बुराई को अच्छाई से जीतने का सिद्धान्त है। गांधी जी की अहिंसा में बदले की भावना नहीं है, कोई षडयन्त्र नहीं है, कोई प्रतिकार नहीं है, कोई संगठित युद्ध या गुप्त हत्या नहीं है।

शाब्दिक रूप से अहिंसा शब्द अ+हिंसा के योग से बना है। अतः अहिंसा का शाब्दिक या साधारण अर्थ है - जो हिंसा न हो। इस प्रकार किसी की हत्या न करना या किसी प्राणी को कष्ट न पहुँचाना अहिंसा है जबकि हिंसा का अर्थ ठीक विपरीत यानी किसी की हत्या करना या किसी प्राणी को कष्ट पहुँचाना है। हिंसा में 'अ' उपसर्ग के जोड़ देने से इसका अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। सामान्य अर्थ में हिंसा किसी भी जीव के प्राण हरण या उसे किसी प्रकार का कष्ट देना है। किन्तु, इस अर्थ में पूर्ण अहिंसा प्रायः असम्भव ही है, क्योंकि हमारा जीवन ही किसी-न-किसी रूप में हिंसा पर आधारित है।³

'अहिंसा' शब्द का प्रयोग प्राचीनकाल से ही चला आ रहा है। यह कोई नया शब्द नहीं है। इसका प्रयोग वैदिक साहित्य के साथ-साथ ऋषि-मुनियों, भगवान महावीर, ईसा-मसीह, गौतम बुद्ध आदि ने किया है। उपनिषद् और मनुस्मृति आदि के अनुसार अहिंसा का अर्थ साधारणतः किसी प्राणी को कष्ट नहीं पहुँचाना या किसी का प्राण नहीं लेना है।⁴

वैष्णव सन्तों ने भी अहिंसा धर्म को माना परन्तु, इन्होंने अहिंसा को साधारण अर्थ में लिया है। इनकी अहिंसा निष्क्रिय और पलायनात्मक रही है। जैन दर्शन में अहिंसा की कठोर व्याख्या करते हुए कहा गया है कि सभी परिस्थितियों में सभी प्राणियों को मन, वचन और कर्म से हिंसा नहीं करनी चाहिए। इसलिए ही जैन भिक्षुओं ने फल-मूल खाना निश्चित किया है। उनके अनुसार, यदि किसी को कठोर वचन या अप्रिय शब्द से चोट पहुँचती है तो यह भी हिंसा ही है। यहाँ तक कि हिंसा के विषय में सोचना भी हिंसा है। अहिंसा का मनु का सिद्धान्त अधिक लचीला है क्योंकि यज्ञ, आत्मरक्षा आन्तरिक सुरक्षा अथवा युद्ध आदि से मानव-वध क्षम्य एवं शामिल है। ऐसी परिस्थितियों में यदि मानव का वध कर भी दिया जाए तो यह पाप नहीं है। वे ऐसे नियम को चाहते थे जो सर्वमान्य हो तथा जिसका पालन आसानी से हो जाए। इन नियमों के पालन में किसी तरह की सैद्धान्तिक या व्यावहारिक कठिनाई न हो। इन नियमों के पालन में किसी तरह की सैद्धान्तिक या व्यावहारिक कठिनाई न हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अहिंसा के लिए नियमों को बनाया।

अहिंसा के सम्बन्ध में पारस्परिक निषेधात्मक धारणा के अनुसार अहिंसा का अर्थ है -

1. किसी प्राणी की हत्या न करना।
2. किसी को शारीरिक क्षति या कष्ट न पहुँचाना।
3. किसी को मानसिक कष्ट न पहुँचाना।
4. किसी के प्रति अपने मन में द्वेष, घृणा अथवा द्रोह का भाव न रखना।

अर्थात् संसार के किसी भी प्राणी को मनसा-वाचा-कर्मणा: अर्थात् कष्ट न पहुँचाना। इसका तात्पर्य है कि कठोर शब्द न बोलना, कड़ी बात न कहना, ईर्ष्या, क्रोध और क्रूरता से बचना। विशिष्ट रूप में इसका अर्थ है कि अपने शत्रु के प्रति भी बुरे विचार न रखना और न बुरा व्यवहार करना। जबकि सकारात्मक रूप में अहिंसा का सर्वोच्च रूप सब मनुष्य व प्राणियों के प्रति सक्रिय प्रेम, दया, करुणा एवं सद्भावना रखना है।⁵

व्यावहारिकता और मानवीयता के साथ गांधी जी की अहिंसा में केवल बाह्य एवं स्थूल हिंसा का निषेध ही नहीं, बल्कि यह उच्च नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों पर टिकी है। हिंसा के विषय में वे मनु द्वारा दी गई छूट को स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए उनका दृष्टिकोण टालस्टाय के समान है। स्थूल रूप से अधिकांश लोग केवल किसी को न मारना ही अहिंसा समझते हैं, परन्तु गांधी जी के अनुसार यह केवल आंशिक अर्थ है। अहिंसा में इसके अतिरिक्त और भी बहुत कुछ शामिल है। गांधी जी की दृष्टि में कु-विचारमात्र हिंसा है। उतावली या जल्दबाजी हिंसा है। मिथ्या भाषण हिंसा है। किसी का बुरा चाहना हिंसा है। जगत को जिस चीज की आवश्यकता है, उस पर कब्जा रखना भी हिंसा है। स्पष्ट है कि गांधी जी की अहिंसा में वैचारिक सावधानी भी नितान्त आवश्यक है, वाणी और संवेगों को भी नियन्त्रित करना अनिवार्य है। जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति में संयम रखना अपेक्षित है। इस प्रकार गांधी जी की अहिंसा की अवधारणा मन, वचन और कर्म से सम्बन्धित है।⁶

अहिंसा की विचारधारा पहले से चली आने के बावजूद भी लोगों को गांधी जी के अहिंसा सम्बन्धी विचार मौलिक लगने लगे। इसका मुख्य कारण यह है कि गांधी जी ने अहिंसा का प्रयोग स्वयं अपने जीवन में किया और सम्पूर्ण देश का इस सिद्धान्त के साथ तादात्म्य कराया। इस प्रकार गांधी जी की अहिंसा परम्परागत अहिंसा से भिन्न हो गई, क्योंकि उसमें व्यावहारिकता समाहित है। उन्होंने अपने जीवन की प्रयोगशाला में उसका निरन्तर परीक्षण किया। उसको व्यवहारोपयोगी बनाकर उन्होंने अहिंसा के पुरातन अर्थों की सीमाओं का विस्तार किया। गांधी जी ने अहिंसा के वैयक्तिक तत्व में सामाजिकता का समावेश किया तथा उसके निष्क्रिय एवं सैद्धान्तिक पक्ष को अत्यन्त सक्रिय बना दिया। पहले अहिंसा का प्रयोग व्यक्तिगत साधना तथा राजनीति के लिए किया जाता था। किन्तु, गांधी जी ने ही सर्वप्रथम इस समाज की साधना का अर्थात् समष्टि की साधना का अंग बना दिया। उन्होंने कहा कि, अहिंसा सभी धर्मों

का तार्किक पूर्वाधार है। अहिंसा सिर्फ व्यक्तिगत जीवन का नहीं बल्कि समाज का भी नियम है। गांधी जी के अनुसार, अहिंसा केवल व्यक्तिगत सद्गुण ही नहीं है, अपितु यह एक सामाजिक सद्गुण भी है, जिसका विकास अन्य सद्गुणों की भाँति किया जाना चाहिए। वास्तव में समाज का नियमन ज्यादातर आपस में व्यवहार में अहिंसा के प्रकट होने से होता है।

गांधी जी के धर्म में ईश्वर, सत्य और अहिंसा सभी कुछ विद्यमान हैं और इन सभी को उन्होंने अपने जीवन में उतारा। गांधी जी समय को अधिक वेग से खींच ले जा रहे थे। उनके पास आत्मा की शक्ति थी, वह कभी भी इस शक्ति को विवश कर कुछ पाना नहीं चाहते थे। उनकी मान्यता थी कि अपने कार्यों से दूसरे के हृदय पर विजय पाई जाए। इस विजय पर प्रक्रिया में कहीं भी विवशता नहीं है। गांधी जी जीवन-पर्यन्त अहिंसा के माध्यम से अंग्रेजी-साम्राज्य से लड़ते रहे, लेकिन उनके हृदय में अंग्रेजों के प्रति किंचित मात्र भी घृणा के भाव नहीं जन्मे। गांधी जी के द्वारा संचालित अहिंसक सत्याग्रह हृदय परिवर्तन की स्पष्ट आकांक्षा है। इसके लिए पहले वह आत्मशुद्धि पर जोर देते हैं और उसके उपरान्त वह हृदय परिवर्तन की बात कहते हैं। गांधी जी का दृष्टिकोण हृदय परिवर्तन की सतत् प्रक्रिया को अपनाता है, इसलिए विरोधी के प्रति भी उनकी अहिंसक दृष्टि सदैव उदार रही। मुझे अंग्रेजों से बैर नहीं। मैं ब्रिटिश साम्राज्यवाद का नाश करना चाहता हूँ। लेकिन मैं यह उनका हृदय परिवर्तन करके करना चाहता हूँ जो कि साम्राज्यवाद से सम्बन्ध रखते हैं। अहिंसा में यदि जो शक्ति मैं बताता हूँ, वह है, तो विरोधी पर जरूर असर होगा।⁷

गांधी जी अहिंसा को प्रचण्ड शस्त्र, परम पुरुषार्थ, वीर पुरुष की शोभा, मानव की सर्वोच्च शक्ति और ईश्वर का पर्याय मानते हैं। अहिंसा शुष्क, नीरस और जड़ मस्तिष्क पदार्थ नहीं अपितु आत्मा का विशिष्ट गुण एवं सृजनात्मक चेतना है। यह हृदय की भावना है। यह जीवन का तानाबाना है। इसीलिए गांधी जी अहिंसा की शक्ति को अपरिमेय मानते हैं। उनका विचार है कि पूर्ण अहिंसक व्यक्ति गुफा में बैठा हुआ भी सारे जगत को हिला सकता है बशर्ते कि इस विचार के पीछे पूर्ण एकाग्रता, पूर्ण सद्भाव और पूर्ण शुद्धि हो।⁸

गांधी जी राष्ट्रीय आन्दोलन के अहिंसक स्वरूप के पक्षधर थे। सन् 1920 में लोकमान्य तिलक के देहान्त के पश्चात् जब राष्ट्रीय आन्दोलन की बागडोर पूरी तरह उनके हाथ में आ गई तो स्वतंत्रता प्राप्ति तक उन्होंने अहिंसा के सिद्धान्त पर आधारित संग्राम ही लड़ा और जब कभी आन्दोलन के दौरान हिंसात्मक घटनाएँ घटित हुईं तो उन्होंने कभी आन्दोलन स्थगित करके उसे हिंसा के मार्ग से बचाया तो कभी स्वयं वे अनशन करके हिंसा के लिए पश्चाताप किया और आन्दोलन को पुनः अहिंसा के मार्ग पर लाकर ही दम लिया। गांधी जी यह मानते थे कि साधन और साध्य दोनों की पवित्रता अनिवार्य है। उनका कहना था कि हमारा साध्य स्वतंत्रता प्राप्ति है

तो उनकी प्राप्ति के जो साधन हम अपनाएँ वे भी उतने पवित्र होने चाहिए जितना पवित्र हमारा साध्य है। अपनी पुस्तक 'हिन्द स्वराज' में अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि साधन यदि बीज माना जाए तो साध्य वृक्ष के सामान है। जिस प्रकार से साधन एवं साध्य के मध्य अन्तर्सम्बन्ध है, उसी प्रकार का सम्बन्ध पेड़ तथा बीज के मध्य है। शैतान की साधना करने से ईश्वर की आराधना का फल प्राप्त नहीं हो सकता है। हम जैसा बोते हैं, वैसा ही पाते हैं। साधन केवल साधना मात्र नहीं, अपितु सर्वस्व हैं। हिंसक साधनों से हिंसक स्वराज्य ही प्राप्त होगा। ऐसा स्वराज्य न केवल हमारे भारत अपितु समस्त विश्व के लिए खतरनाक सिद्ध होगा।⁹

गांधी जी के अनुसार, "मेरी अहिंसा अपने ढंग की है। मैं जानवरों को न मारने का सिद्धान्त पूरी तरह स्वीकार नहीं कर सकता। जो पशु मनुष्य को खा जाते हैं या नुकसान पहुँचाते हैं उनकी जान बचाने की मुझमें कोई भावना नहीं है। उनकी वंशवृद्धि में सहायक होना मैं अनुचित मानता हूँ।" अतः गांधी जी जानवरों को न मारने का सिद्धान्त पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते थे। अपनी आत्मकथा में इस विषय पर वे अपना विचार स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि "पूर्ण अहिंसा में विश्वास करने वाले व्यक्ति के लिए व्यावहारिक जीवन भी धर्म संकट है। ज्ञात तथा अज्ञात रूप से स्थूल हिंसा किए बिना मनुष्य एक क्षण भी जी नहीं सकता, चाहे वह हमारा भोजन हो या जल ग्रहण या हमारा चलना या घूमना। इन सबों में कुछ-न-कुछ हिंसा होती है।"¹⁰

इस प्रकार गाँधीजी का मानना है कि जीव हिंसा अत्यन्त बुरी बात है। क्योंकि, विनाश मानव का धर्म नहीं है। जीव हिंसा घृणित कार्य है क्योंकि, वह मानव धर्म के विरुद्ध है। उनका ऐसा विचार था कि जो किसी को जीवन नहीं दे सकता, वह उसे मृत्यु देने का अधिकार भी नहीं रखता है। जिस प्रकार मनुष्य एक-दूसरे का उपयोग करते हैं परन्तु एक-दूसरे को खाते नहीं, उसी प्रकार पशु-पक्षी भी उपयोग के लिए हैं, खाने के लिए नहीं। वे कहते हैं कि जिस चीज की दुनिया को जरूरत है उस पर कब्जा रखना भी हिंसा है। हिंसा चाहे व्यावहारिक हो या मानसिक, वह सभी प्रकार से त्याज्य है। परन्तु, लोक कल्याण की दृष्टि से कभी-कभी हिंसा का सहारा लेना पड़ता है। गाँधीजी परिस्थिति के अनुसार जीव हत्या को भी स्वीकृत मानते हैं। उदाहरणार्थ, यदि कोई पागल व्यक्ति नंगी तलवार हाथ में लेकर घूमता है और अकारण ही व्यक्तियों की हत्या करता है, उसे कोई भी व्यक्ति पकड़ने में असमर्थ हो तो ऐसी स्थिति में उसकी हत्या कर देनी चाहिए। इसे उन्होंने एक कर्तव्य माना है। उन्हीं के शब्दों में, जो व्यक्ति हत्यारे पागल की हत्या करेगा, उसे समुदाय की कृतज्ञता प्राप्त होगी और उसे परोपकारी मनुष्य समझा जाएगा।¹¹

अहिंसा का मार्ग हिंसा के मार्ग की तुलना में कहीं ज्यादा साहस की अपेक्षा रखता है। वीर की अहिंसा को अपने आचरण में उतारने के इच्छुक व्यक्ति को कम-से-कम इतना तो

करना ही होगा कि पहले अपनी कायरता से पिण्ड छुड़ाए और तब, निर्भय होकर अपने छोटे-बड़े कार्यकलाप का नियमन करे। तदनुसार अहिंसा के पुजारी का क्रोधित हुए बगैर अपने वरिष्ठ अधिकारी से भयभीत होने से इंकार कर देना चाहिए। यह जरूर है कि उसे अपने पद की, वह कितनी ही ऊँची तनख्वाह का पद हो, बलि देने के लिए तैयार रहना चाहिए। अपने सर्वस्व की बलि देने के लिए तैयार रहते हुए भी, यदि उसमें सामने वाले के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है, तो यह कहना सही होगा कि उसमें वीर व्यक्ति की अहिंसा है।¹²

"मान लीजिए कि कोई सहयात्री मेरे बेटे पर हमला करने की धमकी देता है और मेरे द्वारा उसे समझाने पर वह मेरे ऊपर झपटता है। तब यदि मैं भद्रता और गरिमा के साथ उसका घूँसा बर्दाश्त कर लेता हूँ और अपने मन में उसके विरुद्ध कोई दुर्भावना नहीं लाता, तो मैं वीर की अहिंसा का परिचय देता हूँ। ऐसी घटनाएँ रोज होती रहती हैं और उनमें सरलता से वृद्धि की जा सकती है। यदि मैं हर बार अपने आवेश पर अंकुश लगा सकूँ और घूँसे का जवाब घूँसे से देने की सामर्थ्य होने के बावजूद वैसा न करूँ तो मैं अपने अन्दर वीर की उस अहिंसा का विकास कर रहा हूँ जो कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगी और पक्के-से-पक्का विरोधी को भी उसे मानने के लिए बाध्य कर देगी।"¹³

गाँधीजी का कहना है कि "हिंसा पानी की तरह है जो निकास का मार्ग मिलते ही भयँकर वेग से आगे बढ़ती है। अहिंसा में उन्माद नहीं है। यह अनुशासन का सार है। लेकिन एक बार सक्रिय हो जाने पर विकट-से-विकट हिंसा भी उसका दमन नहीं कर सकती। यह जरूर है कि अपना पूरा प्रभाव दिखाने के लिए यह निष्कलंक शुचिता और आस्था की अपेक्षा रखती है।"¹⁴

गाँधीजी का कहना है कि शान्ति का मार्ग सत्य का मार्ग है। सत्यता शान्तिमयता से अधिक महत्वपूर्ण है। वस्तुतः झूठ हिंसा का जनक है। सत्यनिष्ठ मनुष्य अधिक समय तक हिंसक नहीं रह सकता। उसे सत्य की शोध के दौरान यह आभास हो जाएगा कि उसे हिंसा का आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं है और उसे यह भी ज्ञात हो जाएगा कि जब तक उसके अन्दर हिंसा का लेश भी रहेगा, वह सत्य की शोध में सफल नहीं हो सकेगा।¹⁵

गाँधीजी का कथन है कि "अहिंसा को समझना इतना आसान नहीं है और उसे व्यवहार में लाना और भी कठिन है, क्योंकि हम दुर्बल हैं। हमें विनम्रतापूर्वक कार्य करना चाहिए तथा निरन्तर भक्तिभाव के साथ ईश्वर से प्रार्थना करते रहना चाहिए कि वह हमारे ज्ञानचक्षुओं को खोले। साथ ही, हमें प्रतिदिन ईश्वर से मिले आलोक के अनुसार कार्य करना चाहिए। इसलिए आज एक शान्ति प्रेमी और शान्ति संवर्द्धक के रूप में मेरा कर्तव्य यह है कि अपनी स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए छोड़े गए अभियान में अहिंसा के प्रति अटल आस्था बनाए रखूँ। यदि भारत इस मार्ग पर चलकर आगे बढ़ सका तो यह उसका विश्व-शान्ति के लिए बड़ा योगदान होगा।"¹⁶

"अहिंसा ने विशाल जनसंख्या वाले हमारे देश को ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली राष्ट्र से बिना रक्तपात के आजादी दिलाई है। भारत की आजादी के परिणामस्वरूप ही बर्मा और लंका को भी आजादी हासिल हो सकी है। जिस राष्ट्र ने हथियारों की सहायता के बिना आजादी हासिल की है, वह बिना हथियारों के उसकी रक्षा करने में भी समर्थ सिद्ध होना चाहिए। यह इस तथ्य के बावजूद है कि भारत के पास अपनी एक थल सेना, नौसेना और एक वायु सेना है, और इनका निरन्तर विकास किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि यदि भारत अपनी अहिंसक शक्ति का विकास नहीं करता है तो उसने जो कुछ हासिल किया है, उसका उसके और शेष दुनिया के लिए कोई महत्व नहीं है।" गाँधीजी की दृष्टि में भारत का सैन्यीकरण स्वयं उसका और सारी दुनिया का विनाश कर देगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. शर्मा, नरेश कुमार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास, साहित्यागार, जयपुर, 2007, पृष्ठ, 111
2. निगम, सावित्री, गांधी मार्ग, गांधी जी की अहिंसा और हम 1959, पृष्ठ, 160
3. हरिजन, दिनांक 21,06,1940, पृष्ठ, 140
4. दत्त, धीरेन्द्र, मोहन, महात्मा गांधी का दर्शन, बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पटना, 1973, पृष्ठ, 69
5. जैन, माणक, गांधी के विचारों की 21वीं सदी में प्रासंगिकता, आदि पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2010, पृष्ठ, 3
6. त्रिपाठी, शम्भूरत्न, गांधी धर्म और समाज, पृष्ठ, 37
7. हरिजन सेवक, दिनांक 6,4,1940
8. गुप्त, विश्व प्रकाश एवं गुप्त, मोहिनी, महात्मा गांधी- व्यक्ति और विचार, राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1996, पृष्ठ, 116
9. नागर, पुरूषोत्तम, आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनैतिक चिन्तन, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 1997, पृष्ठ, 357
10. दत्त, धीरेन्द्र मोहन, वही, पृष्ठ, 60
11. यंग इण्डिया, दिनांक, 4,11,1926, पृष्ठ, 385
12. हरिजन, दिनांक, 4,8,1946, पृष्ठ, 249
13. वही, दिनांक, 17,11,1946, पृष्ठ, 404
14. वही, दिनांक, 21,7,1939, पृष्ठ, 433
15. यंग इण्डिया, दिनांक, 20,5,1926, पृष्ठ, 154
16. वही, दिनांक, 7,2,1929, पृष्ठ, 46



शिक्षा का लक्ष्य

डॉ. अजय चन्द्राकर
विभागाध्यक्ष
राजनीति विज्ञान विभाग
दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर

मैं आपकी आंखों में देखता हूँ और उनमें घिरे विषाद और निराशा को देखकर मेरा हृदय रोने लगता है। मनुष्य ने स्वयं अपने साथ यह क्या कर लिया है? वह क्या होने की क्षमता लेकर पैदा होता है और क्या होकर समाप्त हो जाता है। जिसकी अंतरात्मा दिव्यता की ऊंचाइयां छूती, उसे पशुता की घाटियों में भटकते देख कर ऐसा लगता है जैसे किसी फूलों के पौधे में फूल न लग कर पत्थर लग गए हों और जैसे किसी दीये से प्रकाश की जगह अंधकार निकलता हो।

ऐसा ही हुआ है मनुष्य के साथ। इसके कारण ही हम उस सात्विक प्रफुल्लता का अनुभव नहीं करते हैं जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और हमारे प्राण तमस के भार से भारी हो गए हैं। मनुष्य का विषाद, वह जो हो सकता है, उस विकास के अभाव का परिणाम है।

शिक्षा, मानवात्मा में जो अंतर्निहित है उसे अभिव्यक्त करने का माध्यम और उपाय है। कभी सुकरात ने कहा था, मैं एक दाई की भांति हूँ। जो तुममें अप्रकट है, मैं उसे प्रकट कर दूंगा। यह वचन शिक्षा का भी परिभाषा है।

लेकिन मनुष्य में शुभ और अशुभ दोनों ही छिपे हैं। विष और अमृत दोनों ही उसके भीतर हैं। पशु और परमात्मा दोनों का ही उसके अंदर वास है। यही उसकी स्वतंत्रता और मौलिक गरिमा भी है। वह अपने होने को चुनने में स्वतंत्र है।

इसलिए सम्यक शिक्षा वह है जो उसे प्रभु होने की ओर मार्ग दर्शन दे सके।

यह भी स्मरणीय है कि मनुष्य यदि अपने साथ कुछ भी न करे तो वह सहज ही पशु से भी पतित हो जाता है। पशु को चुनना हो तो स्वयं को जैसा जन्म से पाया है, वैसा ही छोड़ देना पर्याप्त है। उसके लिए कुछ और विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। वह उपलब्धि सहज और सुगम है।

नीचे उतरना हमेशा ही सुगम होता है। किन्तु ऊपर उठना श्रम और साधना है। वह अध्यवसाय और पुरुषार्थ है। वह संभावना, संकल्प और सतत चेष्टा से ही फलीभूत है। ऊपर उठना एक कला है। जीवन की सबसे बड़ी कला वही है।

प्रभु होने की इस कला को सिखाना शिक्षा का लक्ष्य है।

जीवन शिक्षा का लक्ष्य है, मात्र आजीविका नहीं। जीवन के ही लिए आजीविका का मूल्य है। आजीविका अपने आप में तो कोई अर्थ नहीं रखती है। पर साधन ही अज्ञानवश अनेक बार साध्य बन जाते हैं। ऐसा ही शिक्षा में भी हुआ है। आजीविका लक्ष्य बन गई है। जैसे मनुष्य जीने के लिए न खाता हो, वरन खाने के लिए ही जीता हो। आज की शिक्षा पर यदि कोई विचार करेगा तो यह निष्कर्ष अपरिहार्य है।

क्या मैं कहूँ कि आज की शिक्षा की इस भूल के अतिरिक्त और कोई भूल नहीं है?

लेकिन यह भूल बहुत बड़ी है। यह भूल वैसी ही है, जैसे कोई किसी मृत व्यक्ति के संबंध में कहे कि इस देह में और तो सब ठीक है, केवल प्राण नहीं है।

हमारी शिक्षा अभी ऐसा ही शरीर है, जिसमें प्राण नहीं हैं, क्योंकि आजीविका जीवन की देह मात्र ही है।

शिक्षा तब संप्राण होगी, जब वह आजीविका ही नहीं, जीवन को भी सिखाएगी। जीवन सिखाने का अर्थ है, आत्मा को सिखाना।

मैं सब कुछ जान लूँ, लेकिन यदि स्वयं की ही सत्ता से अपरिचित हूँ, तो वह जानना वस्तुतः जानना नहीं है। ऐसे ज्ञान का क्या मूल्य जिसके केन्द्र पर स्व-ज्ञान न हो? स्वयं में अंधेरा हो तो सारे जगत में भरे प्रकाश का भी हम क्या करेंगे?

ज्ञान का पहला चरण स्व-ज्ञान की ही दिशा में उठना चाहिए, क्योंकि ज्ञान का अंतिम लक्ष्य वही है।

और व्यक्ति जिस मात्रा में स्व-ज्ञान को जानने लगता है, उसी मात्रा में उसका पशु विसर्जित होता है और प्रभु की ओर उसके प्राण प्रवाहित होते हैं। आत्मज्ञान की पूर्णता ही उसे परमात्मा में प्रतिष्ठा देती है।

और वही प्रतिष्ठा आनंद और अमृत है। उसे पाकर ही सार्थकता और कृतार्थता है। मनुष्य उस परम विकास और पूर्णता के बीज ही अपने में लिए हुए है।

जब तक वे बीज विकास को न पा लें, तब तक एक बेचैनी और प्यास उसे पीड़ित करेगी ही। जैसे हम भूमि में कोई बीज बोते हैं, तो जब तक वे अंकुरित होकर सूर्य के प्रकाश को नहीं पा लेते हैं, तब तक उनके प्राण गहन प्रसव-पीड़ा से गुजरते हैं, वैसे ही मनुष्य भी भूमि के अंधकार में दबा हुआ एक बीज है, और जब तक वह भी प्रकाश को उपलब्ध न हो पावे, तब तक उसे भी

शांति नहीं है। और यह अशांति शुभ ही है, क्योंकि इससे गुजर कर ही वह शांति के लोक में प्रवेश पाएगा।

शिक्षा को यह अशांति तीव्र करनी चाहिए, और शांति का मार्ग और विज्ञान देना चाहिए, तभी वह पूर्ण होगी और एक नये मनुष्य का और नयी मानवता का जन्म होगा। हमारा सारा भविष्य इसी बात पर निर्भर है। शिक्षा के हाथ में ही मनुष्य का भाग्य है। मनुष्य को यदि मनुष्य के ही हाथों बचाना है तो मनुष्य का पुनर्निर्माण अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा मनुष्य का पशु तो मनुष्य को ही विनष्ट कर देगा। मनुष्य की प्रभु में प्रतिष्ठा ही एक मात्र बचाव है।



भारत में कृषि वित्त

डॉ. अजय कुमार शर्मा
सहायक प्राध्यापक "वाणिज्य"

किसी भी राष्ट्र के विकास में दो घटकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है-

1. उद्योग
2. कृषि

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मूलधार है। यह उद्योग का भी प्रमुख आधार है प्रत्येक उद्योग में निर्माण कार्य के लिये कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जिसमें अधिकांश कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है। इस प्रकार यदि उद्योगों का विकास करना है, तो कृषि का विकास आवश्यक है। आजादी के समय भारत में कृषि अविकसित अवस्था में थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास के लिये बहुत से कार्य हुए। ये प्रयास आज भी जारी है, किन्तु हमारे कृषक अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण उन्नत बीज, खाद, आधुनिक यंत्रों का उपयोग कृषि कार्य के लिये नहीं कर पा रहे हैं। अतः अन्य उद्योगों की भांति इसका विकास करने के लिये साख की आवश्यकता महसूस की गई। कृषि के महत्व को ध्यान में रखते हुए स्व. पं. जवाहरलाल नेहरू ने कहा था- "कृषि को सर्वाधिक महत्व देने की आवश्यकता है, यदि कृषि असफल रहती है, तो सरकार और राष्ट्र दोनों असफल रहते हैं।"

प्रत्येक कृषक को कृषि कार्य करने हेतु निम्नलिखित मदों की आवश्यकता होती है।

1. कृषि भूमि
2. उन्नत बीज
3. खाद
4. सिंचाई के साधन

इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये धन की आवश्यकता होती है। इसके लिये जो वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है, उसे ही कृषि वित्त कहते हैं। जिस प्रकार शरीर के लिये रक्त का महत्व है, उसी प्रकार कृषि के लिये वित्त का महत्व है।

विकास के लिये वित्त अत्यधिक आवश्यक है और कृषि इसका अपवाद नहीं है। देश में बढ़ती हुई जनसंख्या के लिये खाद्यान्नों की पूर्ति करना केवल भारत की ही नहीं अपितु समग्र

विश्व के लिये एक चुनौती है। भूमि की मात्रा सीमित होने के कारण उसके क्षेत्रफल में वृद्धि नहीं की जा सकती है, अतः आवश्यकता इस बात की है, कि कृषि के क्षेत्र में नये-नये अविष्कार किये जाएं और वैज्ञानिक पद्धति से कृषि की जाए। इन सब व्यवस्थाओं का मुख्य आधार "वित्त" है।

जनसंख्या की वृद्धि हमारे देश की सबसे प्रमुख समस्या है। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिये खाद्यान्न की आपूर्ति करना सबसे जटिल प्रश्न है। सीमितता के गुण वाली भूमि की मात्रा में वृद्धि संभव नहीं है, भूमि पर उत्पादन वृद्धि के लिये विकसित कृषि की जा सकती है। कृषि विकास के लिए नए-नए अविष्कार उन्नत बीजों का प्रयोग और वैज्ञानिक पद्धति से कृषि करना आवश्यक है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिये "कृषि वित्त" की व्यवस्था अनिवार्य है। कृषि वित्त के अभाव में कृषि का विकास करना संभव नहीं है, कृषि के विकास के लिये कृषि वित्त की महत्ता को समझा जा सकता।

निम्न पंक्तियाँ कृषि वित्त की महत्ता को स्पष्ट कर सकती हैं-

"भारतीय कृषक गरीब होता है, अतः वह ऋण में जन्म लेता है, उसी में पलता है, अंततः ऋण में ही उसकी मृत्यु हो जाती है, इतना ही नहीं मृत्यु के बाद भी वह अपनी संतानों के लिये ऋण छोड़ जाता है।"

कृषकों को प्राप्त साख सुविधाएँ

कृषि कार्य हेतु वित्त/साख की सुविधा तीन स्वरूपों में उपलब्ध होती है।

(1) अल्पकालीन साख -

ऐसी साख सुविधाएं जो कृषकों की अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, उसे अल्पकालीन साख कहते हैं। यह अधिकतम 1 वर्ष के लिये होती है। निम्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अल्पकालीन साख सुविधा की जरूरत होती है-

1. बीज क्रय करने।
2. कृषि हेतु खेत तैयार करने।
3. मजदूरी भुगतान करने।
4. उर्वरक क्रय करने।

फसल तैयार होने पर किसान अल्पकालीन ऋण की राशि चुकाने में समर्थ हो जाता है। अल्पकालीन साख को मौसमी साख के नाम से भी जाना जाता है। अल्पकालीन ऋणों के लिये निर्धारित समयावधि सामान्यतः इस प्रकार है,

- | | | |
|------------------------|---|------------------------|
| (1) खरीफ फसलों के लिये | - | 1 अप्रैल से 30 सितम्बर |
| (2) रबी फसलों के लिये | - | 1 अक्टूबर से 31 मार्च |

(2) मध्यकालीन साख -

अल्पकालीन अवधि और दीर्घकालीन अवधि के बीच की अवधि के लिये जो साख प्रदान की जाती है, उसे मध्यकालीन साख कहते हैं, ये साख सुविधाएं 1 से 3 वर्षों के लिये प्रदान की जाती हैं।

ऐसी साख सुविधा के अंतर्गत ऋण रिजर्व बैंक, नाबार्ड एवं अपेक्स बैंक के निर्देशानुसार बैंक के पास साधन उपलब्ध होने पर वितरित किया जाता है। अल्पकालीन ऋणों की तुलना में मध्यकालीन ऋण की अवधि अधिक होती है। मध्यकालीन साख निम्न उद्देश्यों के लिए उपलब्ध होती है।

- (1) कृषि हेतु पशुधन की व्यवस्था के लिए
- (2) सामान्य कृषि उपकरण के लिए
- (3) पुराने ऋणों का भुगतान करने के लिये

(3) दीर्घकालीन साख सुविधाएँ-

जो साख सुविधा 3 से अधिक वर्षों के लिए प्रदान की जाती है, उसे दीर्घकालीन साख कहा जाता है। ये सामान्यतः निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए प्रदान की जाती हैं-

1. कृषि भूमि क्रय के लिए
2. उपज भण्डारण के लिये गोदामों का निर्माण हेतु
3. भारी कृषि उपकरणों के क्रय हेतु।

कृषि वित्त के विभिन्न स्रोतों को निम्न दो भागों में बांटा जा सकता है :-

1. व्यक्तिगत स्रोत
2. संस्थागत स्रोत

(1) व्यक्तिगत स्रोत-

जब किसी व्यक्ति विशेष द्वारा कृषकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाए तो उसे व्यक्तिगत स्रोत कहते हैं। व्यक्तिगत स्रोत निम्नलिखित हैं-

- (1) **मालगुजार/जमींदार :-** ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिनके पास बहुत अधिक जमीन होती है तथा ये अन्य लोगों की तुलना में अधिक संपन्न होते हैं। इन्हें

ग्रामीण क्षेत्रों में मालगुजार/जमींदार के नाम से जाना जाता है। यह कृषि वित्त का प्राचीन और प्रमुख स्रोत रहा है।

वाले व्यापार को देखकर लगाया जा सकता है।

इसी तरह विदेशी व्यापार में भी कृषि वित्त का काफी महत्व है। कृषि वित्त द्वारा कृषक उत्पादन में वृद्धि करता है। जिससे देश के निर्यात जैसे चाय, तंबाकू, जूट, लाख, कपास, मसाले, तिलहन आदि में वृद्धि होती है और इसके द्वारा विदेशी मुद्रा की प्राप्ति सरलता से की जा सकती है।

- (5) राज्य सरकारों की आय में वृद्धि :- देश की राज्य सरकारों की आय काफी हद तक कृषि के विकास पर निर्भर है और कृषि का विकास "कृषि वित्त" की उपलब्धता पर निर्भर करता है। यदि कृषि पिछड़ी अवस्था में हो, तो सरकार की आय कम हो जाती है, अतः कृषकों को कृषि वित्त उपलब्ध कराकर सरकारी आय में वृद्धि करने में कृषि वित्त का काफी महत्व है।



भारतीय ग्रामों में जाति, गुटबाजी, तनाव एवं नेतृत्व प्रतिमान

डॉ. राजेश शुक्ला
विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र
दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर

लम्बे समय से परम्परागत मूल्य प्रतिमानों एवं विश्वासों से जुड़ा भारतीय ग्रामीण समुदाय आज प्रजातांत्रिक सिद्धांतों के प्रसार के फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में निरन्तर परिवर्तन की प्रक्रिया से संबद्ध होती जा रही है। पूर्व में विभिन्न तरह के तनाव एवं संघर्ष से जुड़े मामले ज्यादातर नगरीय समाजों में ही परिलक्षित होती थी परन्तु अब ग्रामीण समुदाय भी इससे अछूती नहीं रही। ग्रामीण मामलों से संबंधित विभिन्न समस्याएं पहले प्रायः ग्रामों में ही स्वायत्तशासी संस्था की भांति ग्राम पंचायतों, जाति पंचायतों या ग्राम सभाओं के द्वारा पारस्परिक विचार-विमर्श से हल कर ली जाती थी, परन्तु ग्रामवासियों में न्यायिक प्रणाली की बढ़ती जानकारी, समस्याओं की जटिल प्रकृति तथा जनसामान्य को न्याय से जोड़ने के शासकीय प्रयासों ने विभिन्न मामलों से संबंधित निर्णय हेतु औपचारिक संस्थाओं जैसे-न्यायालय, पुलिस एवं शासकीय अधिकारियों की भूमिका से ग्रामवासियों को अत्यधिक संबद्ध किया है।

ग्रामीण समुदाय में बाह्य संस्थाओं का प्रभाव, दबाव एवं हस्तक्षेप मिलर 1965, ब्रास 1965, कार्टर 1974, नारायण रेडडी 1986 एवं शर्मा 1979 के अनुसार मुख्यतः औद्योगीकरण एवं नगरीकरण, नवीन कृषि यंत्रों का विकास एवं कृषि का व्यवसायीकरण, सरकार द्वारा समाज सुधार हेतु प्रयास, पुराने नियमों-कानूनों के स्थान पर नये नियमों, कानूनों एवं मूल्यों का निर्माण, राजनीतिक दलों की बढ़ती सक्रियता तथा अत्यधिक आधुनिकीकरण के कारण दिखायी पड़ता है। यहां ऐसे नये वर्गों जैसे- धनी भूस्वामी, शिक्षित व्यक्ति, पंचायत समिति के सदस्य, नवयुवक संघ के सदस्य, राजनीतिक दलों के सदस्य एवं ग्रामों में पदस्थ शासकीय अधिकारियों का नगरीय संस्थाओं से घनिष्ठ संबंध दिखाई पड़ता है। ग्रामों में राजनीतिक सक्रियता एवं जागरूकता, गुटबाजी के प्रति बढ़ती चेतना तथा रोजगार के विभिन्न क्षेत्रों में अवसरों की वृद्धि ने भी लोगों को अपनी सामाजिक प्रस्थिति में वृद्धि हेतु सचेत किया है। सरकार द्वारा तथाकथित अछूत एवं दलित जातियों को उनके सर्वांगीण विकास के लिए दी जाने वाली सुविधा एवं प्रोत्साहन ने उन्हें बहुत हद तक ऐसे प्रभाव या उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़े लोगों के प्रति विद्रोह एवं विद्वेष की भावना के प्रति प्रेरित किया है। यही कारण है कि अनेक बार ग्रामों में उच्च एवं निम्न जातीय समूहों के मध्य विवाद एवं संघर्ष की स्थिति निर्मित हुई है। प्रदीप कुमार बोस के अनुसार हाल के कुछ वर्षों में जातीय हिंसा केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रही वरन् नगरीय जीवन में भी यह शामिल हो गई है।

ग्रामीण समुदाय में होने वाले तनाव, संघर्ष एवं गुटबाजी की घटनाओं ने न केवल वैयक्तिक एवं पारिवारिक जीवन को प्रभावित किया है वरन् ग्रामीण समुदाय की एकता एवं सहयोग की भावना पर विपरीत प्रभाव को जन्म देने में भी सहायक रही है। छत्तीसगढ़ के ग्रामों में उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के तनाव एवं संघर्ष का कारण मुख्यतः स्थानीय मुद्दे ही रहे हैं जिसकी पृष्ठभूमि मूलतः कृषि, सिंचाई, पारिवारिक विवाद, जातीय वैमनस्यता तथा दुर्व्यवहार आदि पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से आधारित रही है। राजनीतिकरण की बढ़ती प्रक्रिया ने विभिन्न जातीय, उप जातीय एवं नातेदारी समूहों को विभिन्न आधारों पर परस्पर विरोधी विचारधाराओं से सम्बद्ध होने हेतु प्रेरित किया है। यही कारण है कि ग्रामों में आज अनेक हित एवं दबाव समूहों तथा गुटीय समूहों का निर्माण हो गया है जिसके द्वारा समय-समय पर अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति करने हेतु ऐसे कार्य एवं व्यवहार किये जाते हैं। ग्रामों में विभिन्न उच्च एवं निम्न सामाजिक स्थिति से जुड़े जातियों के मध्य सामाजिक दूरी अभी भी किसी न किसी रूप में विद्यमान है। ग्रामों में होने वाले विभिन्न चुनावों के समय जातिगत वैमनस्यता एवं गुटीय प्रतिद्वंद्विता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। अरूणा सिंहा 1977, एच. धर 1976 एवं धर तथा कल्याण मुखर्जी 1978 के अनुसार इस प्रकार की घटनाओं का प्राथमिक कारण मजदूरी का भुगतान, फसल का बंटवारा एवं कृषि भूमि संबंधी विवाद प्रमुख है। ग्रामों में गुटों ने केवल विभिन्न जातियों को एक-दूसरे से पृथक ही नहीं किया वरन् उप-जातीय तथा नातेदारी से जुड़े सदस्यों को पर्याप्त मात्रा में परस्पर विरोधी एवं भिन्न विचारों में भी संबंधित किया है, ग्रामों में फसल एवं जमीन संबंधी विवाद विभिन्न परिवारों एवं जातियों के बीच दिखाई पड़ती है जो कई बार बहुत लम्बे समय तक तनाव एवं विवाद को जन्म देती है।

छत्तीसगढ़ के ग्रामों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि इन ग्रामों में तनाव एवं संघर्ष का कारण क्रमशः जमीन संबंधी विवाद, सिंचाई संबंधी विवाद, फसल की चोरी, जातिगत वैमनस्यता, ग्राम में होने वाले विभिन्न चुनाव, गुटीय प्रतिद्वंद्विता, दुराचरण एवं गुण्डागर्दी, फसल की चोरी संबंधी विवाद तथा अतिक्रमण मुख्य है। इन ग्रामों में ग्रामीण विवादों एवं झगड़ों का निपटारा करने वाले प्रभावशाली अभिकरण क्रमशः ग्राम पंचायत, जातीय पंचायत, ग्रामीण नेतृत्व, शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारी, पुलिस तथा न्यायालय एवं ग्रामसभा है। ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, जातीय पंचायत एवं सहकारी समितियों के क्रियाकलापों में प्रायः राजनीतिक दल के नेताओं एवं सदस्यों द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है। अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि अधिकतर ग्रामों में नेताओं द्वारा अपने राजनीतिक दल के स्वार्थ हेतु विभिन्न ग्रामीण संस्थाओं के सदस्यों एवं पदाधिकारियों को अपने दल के पक्ष में वातावरण बनाने हेतु दबाव डाला जाता है, विपक्षी दल के समर्थक होने पर प्रायः उपेक्षा एवं असहयोग किया जाता है, जहां परम्परागत शक्ति संरचना में भू-स्वामित्व से जुड़े उच्च जाति के लोगों द्वारा ग्रामवासियों को

निरन्तर दबाव एवं बल प्रयोग का भय दिखाकर आर्थिक सम्पन्नता के आधार पर प्रभुत्व प्राप्त किया जाता था वहीं अब राजनीतिक शक्ति, गुटबाजी, आर्थिक सम्पन्नता तथा जातीय सदस्यों के समर्थन आदि के आधार पर प्रभुत्व दिखायी पड़ता है। डेविड मैण्डल बाम ने स्पष्ट किया है कि आधुनिक राजनीतिक शक्ति का आधार युद्धों में विजय, प्रत्यक्ष, उदारता तथा भूमि के अनुदान पर आधारित नहीं है, वरन प्रशासकीय प्रस्थिति, नलकूप, सड़क, बिजली, स्कूल एवं कृषि सुधार पर आधारित है। गुटीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में आधुनिक प्रतिनिधित्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाओं का आधार सापेक्ष स्वायत्तता के रूप में राष्ट्र प्रेम के रूप में विशेषीकृत हो गई। भारतीय ग्रामीण समुदाय के विभिन्न विद्वानों द्वारा किये गये अध्ययन से स्पष्ट होता है कि कई क्षेत्रों में बहुसंख्यक जातियां, प्रभुत्व से जुड़ी दिखाई पड़ती है, परन्तु कहीं-कहीं कुछ परिवारों से जुड़े अल्पसंख्यक जातियां भी उच्च जाति एवं भूस्वामित्व के आधार पर प्रभुत्वशाली बन जाती है। श्रीनिवास के अनुसार ग्रामीण भारत की शक्ति संरचना मुख्यतः प्रभुत्व जातियों पर निर्भर करती है, जिसका आधार भूस्वामित्व एवं भूस्वामी उच्च जातियों पर आधारित है। आन्द्रे बेते भी इसी तरह के विचार प्रस्तुत करते हैं।

पिछले दो-तीन दशकों से विभिन्न समाजशास्त्रियों एवं सामाजिक मानव शास्त्रियों ने भारतीय ग्रामीण समुदाय के अध्ययन के संदर्भ में जातीय समूहों की बढ़ती राजनीतिक गतिशीलता को समझने का प्रयास किया है। इन विद्वानों में मुख्यतः मेरियट 1960, सेलिंग हैरिसन 1960, रूडोल्फ बेरीमैन 1960, कर्वे 1961, श्रीनिवास 1962, कोहन 1962, प्रधान 1965, स्टीन 1967 तथा एम.एस.ए. राव 1972 ने भारतीय राजनीति के जाति समूहों की भूमिका का विश्लेषण किया है। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली तथा राजनीतिक दलों की बढ़ती भागीदारी के कारण ग्रामीण राजनीतिक भी गुटबाजी की प्रक्रिया से संबद्ध होती जा रही है। इसके पूर्व ग्रामीण समुदाय में इस तरह की घटनाएं अपेक्षाकृत बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ती थी। गुटबाजी को विभिन्न विद्वानों ने प्रकार्यात्मक एवं नकार्यात्मक दोनों रूपों में स्पष्ट किया है। जैसे आस्कर लेविस 1958, बील्स एवं सीगेल 1967, डिल्लन 1955, गुरुमूर्ति 1972 ने गुटों को प्रकार्यात्मक समूह माना है। जबकि पोकाक 1957, निकोलस, 1965 तथा रेमण्ड फर्थ 1957 ने इसे नकार्यात्मक समूह माना है। लक्ष्मण एस. ऐनापुर के अनुसार कर्नाटक के धारवाड़ जिले के बासवपुर एवं राज हल्ली ग्रामों में गुटबाजी विभिन्न वंशों, जातियों, उपजातियां एवं आर्थिक हितों के आधार पर संगठित है। यहां सभी तरह के गुटों को ग्रामीण जीवन में नेताओं ने अपने विशेष स्वार्थों की पूर्ति हेतु संगठित किया है। दोनों ग्रामों में गुटबाजी हमेशा दिखाई नहीं पड़ती वरन विभिन्न अवसरों पर जैसे - अपने स्वार्थ की पूर्ति के समय तथा सार्वजनिक हितों जैसे ग्राम के कुओं तथा तालाबों की सफाई, शिक्षा की व्यवस्था करना, सड़कों का निर्माण के समय दिखाई पड़ती है। वर्तमान समय में ग्रामीण समुदाय की राजनीतिक जागरूकता में वृद्धि,

विभिन्न राजनीतिक दलों तथा इससे जुड़े नेताओं की बढ़ती भागीदारी, गुटबंदी का विकास तथा ग्रामीण समुदाय में स्थानीय स्तर पर होने वाले विभिन्न चुनावों के कारण विभिन्न व्यक्तियों, वर्गों एवं समूहों की सामुदायिक भावना परिवर्तित हुई है। अतः ग्रामों में तनाव, संघर्ष एवं गुटबाजी की घटनाएं योजनाबद्ध एवं संगठित तरीके से संचालित होने लगी है।

भारतीय संदर्भ में ग्रामीण विकास के माध्यम से ही समाज एवं राष्ट्र के विकास का मूल्यांकन किया जा सकता है। क्योंकि देश की दो तिहाई जनसंख्या अभी भी ग्रामों से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी है। स्वतंत्रता के पश्चात जब देश में प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई तब संविधान में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व को प्रमुख आधारों के रूप में स्थापित किया गया किन्तु जैसे-जैसे प्रजातांत्रिक मूल्यों की जड़ें सुदृढ़ होने लगी राजनीतिक व्यवस्था में कुछ ऐसी प्रक्रियाओं का भी समावेश होने लगा जो बहुत हद तक प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं सिद्धांतों के विपरीत थे। यद्यपि प्रजातंत्र में विरोध, प्रतिस्पर्धा तथा गुटबाजी को बुरा नहीं माना गया है बल्कि इसे प्रजातंत्र का अनिवार्य पक्ष समझा जाता है किन्तु वर्तमान समय में इसका जो उद्देश्य, स्वरूप एवं कार्यप्रणाली है वह निश्चित ही प्रजातंत्र के अनुकूल प्रतीत नहीं होती। आज नेतृत्व में परस्पर विरोध, तनाव, प्रतिद्वंद्विता तथा गुटबाजी राजनीतिक प्रणाली की विशेषता एवं अनिवार्यता बनती जा रही है। जिससे ग्रामीण विकास, सहयोग, एकता एवं घनिष्ठ संबंधों पर दुष्प्रभाव पड़ता है।

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि आज ग्रामों में विवाद एवं संघर्ष का कारण ग्रामीण समाजों में कृषि, सिंचाई, सम्पत्ति आदि से जुड़े वैयक्तिक कारण हैं। साथ ही गुटबाजी, व्यक्तिवादिता तथा राजनीतिक दलों की बढ़ती सक्रियता भी ग्रामों में कुछ ही हद तक ऐसी स्थिति को जन्म देने के लिए उत्तरदायी है। ग्रामीण समुदाय में उत्पन्न होने वाली ऐसी घटनाओं का निराकरण करने वाली पुरानी संस्थाएं एवं व्यक्ति जैसे- जाति पंचायत, ग्राम सभा तथा भूतपूर्व मालगुजारों की भूमिका अब प्रायः नगण्य हो गयी है और इसके स्थान पर ग्राम पंचायत, पुलिस तथा न्यायालय की भूमिका प्रभावशाली होती जा रही है।

References

1. P., Brass, **Factional Politics in an Indian State**, Berkeley, California University Press.
2. G., Naranyan Reddy, **Rural elite and community work**, chugh publications, Allahabad.
3. M., Sharma, **The Politics of inequality**, Hindusthan Publishing Corporation, Delhi.

4. L.S., Ainapur, Dynamics of caste relations in Rural India, Rawat Publication, Jaipur 1986.
5. Max, Gluckmann. Custom and conflict in Africa, Oxford, Blackwell 1959.
6. David.G. Mandelbaum, society in India, Vol. I and II, University of California Press, 1970.
7. M.S.A. Rao, urbanisation and social change, orient longman, New Delhi, 1970.



औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु ब्याज अनुदान योजना का समीक्षात्मक अध्ययन

डॉ. राजेन्द्र शुक्ल

सहायक प्राध्यापक
दुर्गा महाविद्यालय रायपुर (छ.ग.)

कु. मीना पिंजानी

सहायक प्राध्यापक
दुर्गा महाविद्यालय रायपुर (छ.ग.)

किसी भी अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास की प्राथमिकताओं में औद्योगिक विकास को अनिवार्यतः सम्मिलित किया जाता है। औद्योगिक लक्ष्य को पूरा करने के लिए निवेश एक प्रमुख कारक है। औद्योगिक विकास की सम्भावनाओं से भरपूर छत्तीसगढ़ राज्य वर्तमान में निवेशकों को आकर्षित करने हेतु विशेष रूप से प्रयासरत है। "यहाँ उपलब्ध युवा श्रमशक्ति एवं मानव संसाधनों के नियोजन हेतु पृथक् से 'युवा बजट' प्रस्तुत करने में छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है।" प्राकृतिक संसाधनों का युक्तियुक्त उपयोग साधनों का अपनी ही धरती पर वैल्युएडेशन, स्थानीय हितों का ध्यान और पर्यावरण सम्मत विकास की अवधारणा ने निवेशकों का पसंदीदा राज्य बनाया है। राज्य शासन के उद्योग विभाग द्वारा "प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया" कार्यक्रम को फलीभूत करने हेतु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण हेतु एकल प्रमाण पत्र जारी करने के साथ-साथ एक ही परिसर से प्राप्त होने वाली सम्मतियों को समेकित कर एकल प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया है।"²

उद्योग विभाग द्वारा औद्योगिक नीति के तहत उद्योगों को निवेश प्रोत्साहन हेतु अनुदान छूट एवं रियायतें देकर औद्योगिक विकास को नया आयाम देने का प्रयास किया जा रहा है। औद्योगिक नीति 2009-14 के अंतर्गत निवेश प्रोत्साहन हेतु ब्याज अनुदान स्थायी पूँजी निवेश अनुदान विद्युत शुल्क से छूट, गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान तकनीकी पेटेंट अनुदान भू-आबंटन प्रीमियम पर छूट, आदि विभिन्न उद्योगों को उनकी पात्रता के अनुसार दी जायेगी। "औद्योगिक निवेश हेतु आर्थिक प्रोत्साहन उन्हीं उद्योगों को प्राप्त होंगे- जो स्थायी नियोजन में अकुशल श्रमिकों के मामले में न्यूनतम 90 प्रतिशत, कुशल श्रमिकों के मामले में उपलब्धता की दशा में न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा प्रशासकीय/प्रबंधकीय पदों पर न्यूनतम एक तिहाई रोजगार राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय करेंगे।"³

प्रस्तुत शोध आलेख 'ब्याज अनुदान योजना' के समीक्षात्मक अध्ययन पर आधारित है। इस योजना का क्रियान्वयन उद्योग संचालनालय एवम उसके अधीन जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य राज्य में स्थापित होने वाले पात्र सूक्ष्म एवं लघु तथा मध्यम उद्योगों की उत्पादन लागत कम करने, निजी क्षेत्र में रोजगार के अधिकाधिक अवसर सृजित करने, राज्य में पूँजी निवेश बढ़ाने, संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने, राज्य के अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग, एवं महिला उद्यामियों की औद्योगिक विकास में भागीदारी सुनिश्चित करना है।

1. सशक्तजन सशक्त छत्तीसगढ़ जनसंपर्क संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन पृष्ठ-17
2. सशक्तजन सशक्त छत्तीसगढ़ जनसंपर्क संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन पृष्ठ-18
3. औद्योगिक नीति 2009-14 छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्य एवम उद्योग विभाग पृष्ठ - 11

इस योजना के अंतर्गत औद्योगिक नीति 2009-14 की कालावधि में "नवीन सूक्ष्म एवं लघु तथा मध्यम उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने पर उनके द्वारा रिजर्व बैंक से अनुज्ञा प्राप्त वित्तीय संस्थाओं तथा अधिसूचित बैंकों से प्राप्त किये गये सावधि ऋणों पर सम्बन्धित वित्त पोषक संस्था बैंक को भुगतान किये गये ब्याज पर अनुदान की पात्रता होगी।" "निवेश प्रोत्साहन के दृष्टिकोण से सम्पूर्ण राज्य को 'आर्थिक दृष्टि से विकासशील एवं पिछड़े क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। इसी प्रकार उद्योगों को भी सामान्य उद्योग एवम प्राथमिकता प्राप्त उद्योग में एवम उद्यमी वर्ग को भी सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति एवम जनजाति एफ.डी.आई. निवेशक एवम महिला वर्ग में वर्गीकृत किया गया है।" नवीन सूक्ष्म एवम लघु उद्योगों हेतु अनुदान निम्नलिखित तालिका में दिया गया है-

तालिका - 1
पात्र नवीन सूक्ष्म एवम लघु उद्योगों हेतु ब्याज अनुदान योजना

क्र.	उद्योग का प्रकार एवं उद्यमी वर्ग	विकासशील क्षेत्र			पिछड़ा क्षेत्र		
		दर	अवधि	अधिकतम सीमा रू.	दर	अवधि	अधिकतम सीमा रू.
1.	सामान्य उद्योग	40 %	5 वर्ष तक	10 लाख वार्षिक	50%	6 वर्ष तक	20 लाख
	A सामान्य वर्ग B अनुसूचित जाति एवं जनजाति	75%	6 वर्ष तक	20 लाख वार्षिक	75%	6 वर्ष तक	40 लाख
2.	प्राथमिक उद्योग	50%	6 वर्ष तक	20 लाख	75%	7 वर्ष तक	25 लाख
	A सामान्य वर्ग B अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग	75%	7 वर्ष	25 लाख	75%	7 वर्ष	50 लाख

- स्त्रोत-औद्योगिक नीति 2009-14 परिशिष्ट - 14
वार्षिक प्रतिवेदन वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग छत्तीसगढ़ शासन पृष्ठ - 12-13
1. औद्योगिक नीति एवं अधिसूचनाएं 2009-14 छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग पृष्ठ-38
 2. औद्योगिक नीति 2009-14 छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग पृष्ठ-9

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य में औद्योगिक दृष्टिकोण से पिछड़े क्षेत्रों को अधिकतम अनुदान दिया जा रहा है। पिछड़े क्षेत्रों में अनुदान की सीमा 20 से 50 लाख है। वहीं विकसित क्षेत्रों में यह सीमा 10-25 लाख रू. है। प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों की स्थापना पर भी अनुदान की दर 50 से 75 प्रतिशत तक है जबकि सामान्य उद्योगों हेतु यह दर 40-75 प्रतिशत है। इसका उद्देश्य राज्य के नान कोर सेक्टर के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। राज्य के अनुसूचित जाति वर्ग को भी सावधि ऋण राशि की मात्र 25 प्रतिशत राशि का भुगतान करना है अर्थात् इन्हें 75 प्रतिशत तक अनुदान प्रदान किया गया है। सामान्य वर्ग की तुलना में अनुसूचित जाति एवम जनजाति वर्ग को 1 वर्ष अतिरिक्त अनुदान देने की व्यवस्था है। निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि अनुदान सभी को प्राप्त हो रहा है किन्तु अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग को अनुदान में प्राथमिकता दी जा रही है।

तालिका - 2
पात्र नवीन मध्यम उद्योगों के लिए ब्याज अनुदान योजना

उद्यम एवं उद्यमी वर्ग	विकासशील क्षेत्र			पिछड़ा क्षेत्र		
	दर	अवधि	अधिकतम सीमा रू.	दर	अवधि	अधिकतम सीमा रू.
1. सामान्य उद्योग						
अ. सामान्य वर्ग	25%	5 वर्ष तक	10 लाख वार्षिक	50%	5 वर्ष तक	25 लाख
ब. अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग	75%	6 वर्ष तक	25 लाख वार्षिक	75%	6 वर्ष तक	40 लाख
2. प्राथमिक उद्योग						
अ. सामान्य वर्ग	50%	5 वर्ष तक	20 लाख	60%	7 वर्ष तक	40 लाख
ब. अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग	75%	7 वर्ष तक	40 लाख	75%	7 वर्ष तक	60 लाख

स्त्रोत- औद्योगिक नीति वाणिज्य एवं उद्योग विभाग छत्तीसगढ़ शासन पृष्ठ-28 परिशिष्ट-4
औद्योगिक नीति 2009-14 एवं अधिसूचनायें वाणिज्य एवं उद्योग विभाग पृष्ठ-42

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पिछड़े आर्थिक क्षेत्रों में मध्यम उद्योगों की स्थापना पर अधिक अनुदान दिया जा रहा है। राज्य के अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग हेतु अनुदान की अधिकतम सीमा 75 प्रतिशत है, किन्तु सामान्य वर्ग हेतु यह सीमा 60 प्रतिशत है राज्य के प्राथमिकता उद्योगों की विकास को ध्यान में रखते हुए इन उद्योगों में दोनों वर्गों के उद्यमियों के लिये अनुदान यात्रा को बढ़ाया गया है। प्रत्येक प्रकार के उद्योग एवम औद्योगिक क्षेत्रों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग द्वारा निवेश करने पर अनुदान मात्रा में वृद्धि की गयी है। तालिका 1 एवं तालिका 2 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को मध्यम उद्योगों की तुलना में अधिक अनुदान दिया जा रहा है। क्योंकि सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के विकास से रोजगार एवं उद्यमशीलता में वृद्धि होगी जो राज्य की आर्थिक समृद्धि में सहायक है।

राज्य में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को अनुदान जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से तथा मध्यम उद्योगों को अनुदान उद्योग संचालनालय के माध्यम से स्वीकृत होता है। लघु उद्योगों के लिए अनुदान आवेदन एवं स्वीकृति जिला उद्योग केन्द्रों से होती है तथा इस हेतु बजट आबंटन उद्योग विभाग द्वारा किया जाता है। मध्यम उद्योगों के अनुदान का आवेदन एवं स्वीकृति उद्योग संचालनालय से होती है। राज्य में ब्याज अनुदान आ आबंटन एवं इसके निष्पादन मूल्यांकन को तालिका से दर्शाया गया है-

तालिका -3

व्याज अनुदान का बजट आबंटन एवं व्यय की गयी राशि का विवरण

वर्ष	बजट आबंटन (लाख रु. में)	व्यय (लाख रु. में)	व्यय राशि का आबंटित राशि से प्रतिशत
2009-10	3000.00	2999.97	99.999%
2010-11	2500.00	2499.97	99.998%
2011-12	4256.00	4255.77	99.994%
2012-13	3300.00	3296.00	99.87%
2013-14	3441.46	3228.46	95.55%

स्त्रोत- उद्योग संचालनालय, रायपुर।

तालिका से स्पष्ट है कि व्याज अनुदान हेतु आबंटित राशि का उपयोग वर्ष 2013-14 को छोड़कर अन्य वर्षों में लगभग शत प्रतिशत व्यय किया जाता है। वर्ष 2011-12 में सर्वाधिक राशि आबंटित की गयी है। संचालनालय द्वारा जिला उद्योग केन्द्रों को अनुदान राशि का भुगतान तिमाही आधार पर किया जाता है। उपरोक्त भुगतान पिछली तिमाही के अनुदान निष्पादन पर निर्भर करता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अनुदान की राशि का वितरण में उद्योग संचालनालय एवं जिला उद्योग केंद्रों द्वारा सक्रिय रूप से किया जा रहा है।

उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि, उद्योग विभाग द्वारा आबंटित बजट अनुदान राशि का शतप्रतिशत उपयोग हो रहा है। राज्य सरकार की मंशा उद्योग स्थापना के क्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग को आगे लाना है, साथ ही संतुलित आर्थिक विकास हेतु पिछड़े क्षेत्रों के विकास कर उसे विकसित क्षेत्रों की श्रेणी में लाना है। इस हेतु सरकार द्वारा अत्यधिक अनुदान देकर सराहनीय प्रयास किया जा रहा है।

संदर्भ -

1. औद्योगिक नीति 2009-14 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग छत्तीसगढ़ शासन।
2. सशक्तजन सशक्त छत्तीसगढ़ जनसंपर्क संचालनालय छत्तीसगढ़ शासन।
3. Opportunities Unlimited जनसंपर्क संचालनालय छत्तीसगढ़ शासन।
4. वार्षिक प्रतिवेदन वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग छत्तीसगढ़ शासन।
5. औद्योगिक नीति 2009-14 एवं अधिसूचनाएँ वाणिज्य एवं उद्योग विभाग छत्तीसगढ़ शासन।
6. www.cg.gov.in
7. www.business-standard.com
8. www.csidc.in
9. industries.cg.gov.in
10. www.dailypioneer.com



Advertising Inside Out

Dr. Deepali Sharma

Dept. Of English
Durga College, Raipur (C.G.)

Do you think advertising is an entertainment or an art form? I think it is one of the mediums of information. Advertisement should not only be creative, but also interesting so that we buy the product. One should be beware of the noisy lunatics who gravitate to the kind of clients who are bamboozled by their rhetoric.

When we talk about advertisement we have the right appeal and the wrong one. The wrong advertising can actually reduce the sales of a product. It is a myth that all advertising increases sales to some degree. The paper discusses points to be kept in mind for successful advertising. First, for successful advertising, we have to study the product we are going to advertise. More we know about it, the more likely we are going to come up with a big idea for selling it. The next step is to find out what kind of advertising our competitors have been doing for similar products and with what success. Then comes research among consumers. We have to find out how they think about our kind of product, what language they use when they discuss the subject, what attributes are important to them and what promise would be most likely to make them buy our brand.

Next step is to consider how we want to “position” our product. It means “what the product does and who it is for” For example, 'Dove' could have been positioned as a detergent bar for men with dirty hands, but it is more appropriate to position it as a tiolet bar for women with dry skin. It is evident how miraculously it works.

After positioning the product we should now decide what 'image' we want for our brand. Image means personality. To be more clear the personality of the product includes – its name, its packaging, its price, the style of its advertising and above all, the nature of the product itself. We have to be very careful. If our advertisement looks cheap or shoddy, it will rub off on our product. Who wants to be seen using shoddy products? It definitely demeans our image and in this way selling of the product would be affected. When we compare two or three products we find that the product highly sold is the one that has a good image.

Researchers at the department of Psychology at the university of California gave distilled water to students. They told some of them that it was distilled water and asked them to describe its taste. Most said it had no taste of any kind. They told the other students that the distilled water came out of the tap. Most of them said it tasted horrible. The mere mention of tap conjured up an image of chlorine. This is how our psychology gets affected by the 'image' formed through information. This can be tested in another way : Give people a taste of Thums up and tell them it is Thums up. Then give

them another taste of Thums up but tell them it is Coca-cola. Ask them which they prefer. They'll think the 2 drinks are quite different. They are tasting images. The label and the advertising should convey an image of homespun honesty.

I personally feel that we should invent 'big ideas'. Big ideas come from the unconscious. But the unconscious has to be well informed. We have to stuff our conscious mind with information and then unhook our rational thought process. And then we will find how big ideas well up within us. If we make the product itself the hero of our advertising it would be like a feather to a cap.

Every advertiser tries to convince consumers that his product is superior to his competitors but this is not necessary. It may be sufficient to convince consumers that our product is positively good. Just say what's good about the product and do a clearer, more honest, more informative job of saying it. A good advertisement can be thought of as a radar sweep, constantly hunting new prospects as they come into the market.

“Raise your sights! Blaze new trails! Hit the ball out of the park! Compete, with the immortals!”

Leo Burnet said it better, “When you reach for the stars, you may not quite get one, but you want come up with a handful of mind either.”

Now we come to the headline part. Headlines are very important in advertisement. Headlines that offer the reader helpful information like “How to Win Friends and Influence People”, attract above-average readership. Thus the headlines, more than anything else, decide the success or failure of an advertisement for example – the advertisement of Dove –

Darling, I'm having the most extraordinary experience...

The word darling leaves an emotional impact on the readers or spectators.

Thus the headline should telegraph what we want to say. The illustrations in the advertisement should be simple with the focus of interest on one person. Crowd scenes don't pull. We cannot bore people into buying our product. We can only interest them in buying it. Language of advertisement should be simple and in the language people use in everyday conversation. One should not write essays. Only tell reader what the product will do for him or her and tell it with specifics. In the case of expensive products it becomes essential to include the price of the product. The best way to increase the sale of a product is to improve the product. This is particularly true of food products, - the consumer is amazingly quick to notice an improvement in taste and buy the product.

Advertisement plays an important role in the promotion of the product and is indeed responsible for its sale in market. Advertisement to me is an information collected through the research done by the concerned experts of the product and is helpful in conveying the information to the large section of society. It should be such that the reader or spectator is compelled to try the product. Thus it should have the hypnotising effect on people. The successful advertisement is that which easily influences people and make them crave for it. We find that there are many advertisements that seem to be absurd as if they have no or less connection with the product. Such advertisements could not promote the product thereby reducing its sales value.

A good advertisement takes the reader or spectator to its world and leaves him mesmerised and he is compelled to think about it again and again thereby leaving a deep impact on his mind exclaiming - Wow! Heart rending! Marvellous! Superb!

This is your expression when you see an advertisement – well connected and articulated. These are the positive emotions. We have negative emotions like Oh! My poor baby! Ah! So sorry!

Lux, with so many celebrities, promises to make us look beautiful and attractive. At that very moment we decide that we would use it to look better. This is the influence of good and perfect advertisement. Thus we find that the entire commercial market is dependent on advertisement of its product. Advertisement are helpful in the arousal of emotions. They stir our emotions in both positive and negative manner.

Work Cited

Ogilvy David, “*Ogilvy on Advertising*”, ed. By Prion, Carlton Publishing Group; London. 2011.



भारत में पर्यटन उद्योग का महत्व, समस्याएँ एवं संभावनाएँ

डॉ. विजय कुमार चौबे
सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य)
दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर

डॉ. विवेक सराफ
संविदा सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य)
डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

पर्यटन उद्योग 12वीं शताब्दी में विश्व का सर्वाधिक तेज गति से विकसित होने वाला एक महत्वपूर्ण उद्योग है। आधुनिक युग की विविध आर्थिक एवं औद्योगिक गतिविधियों में सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला यह एक प्रदूषण रहित उद्योग है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विदेशी मुद्रा, रोजगार सृजन और भुगतान सन्तुलन के दृष्टिकोण से इसका विशेष महत्व है। पर्यटन उद्योग के इन आर्थिक लक्ष्यों के साथ इससे ज्ञान विज्ञान के विस्तार, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, अंतर्राष्ट्रीय सौहार्द, संवर्धन एवं राष्ट्रीय एकता को भी प्रोत्साहन मिलता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी "पर्यटन के आर्थिक पक्ष की तुलना में इसके माध्यम से बढ़ने वाले आपसी सद्भाव एवं सूझबूझ की भावना को अधिक महत्व देते थे।" भारत की अनूठी सांस्कृतिक विरासत एवं उसके सुदीर्घ स्वर्णिम इतिहास के कारण यहां पर्यटन उद्योग की अनंत संभावनाएँ हैं। भारत के विशाल क्षेत्र एवं इसकी विविधताओं के बीच विदेशी आक्रांताओं से किये गये संघर्ष के स्वर्णिम इतिहास के अवशेषों को देखना देशी तथ विदेशी पर्यटकों का सबसे बड़ा आकर्षण होता है।

विश्व पर्यटन संगठन के अनुसार 10 करोड़ पर्यटन दुनियाभर में एक वर्ष में भ्रमण करते हैं तथा लगभग 700 बिलियन अमेरिकी डालर व्यय करते हैं। वर्ल्ड टूरिज्म एण्ड रियल कांउसिलिंग ने भारत में पर्यटन की संभावनाओं के विषय में यह अनुमान लगाया है कि वर्ष 2011 तक पर्यटन उद्योग से भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 50000 करोड़ रुपये का योगदान हो सकता है। इसमें से 130000 लाख करोड़ पूँजी निवेश के रूप में तथा लगभग 180000 लाख करोड़ रुपये निर्यात आय के रूप में हो सकती है। यह भी अनुमानित किया गया है कि यदि भारत में पर्यटन उद्योग को व्यवस्थित रूप से नियोजित किया जा सके तो 2011 तक यह देश के सकल घरेलू उत्पादन में 8 प्रतिशत एवं रोजगार अवसरों में 36 प्रतिशत का योगदान दे सकता है।

भारत में पर्यटन सबसे बड़ा सेवा उद्योग है, जहां इसका राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 6.23% और भारत के कुल रोजगार में 8.78% योगदान है। भारत में वार्षिक तौर पर 5 मिलियन विदेशी पर्यटकों का आगमन और 562 मिलियन घरेलू पर्यटकों द्वारा भ्रमण परिलक्षित होता है 2008 में भारत के पर्यटन उद्योग ने लगभग US\$ 100 बिलियन जनित किया और 2018

तक 9.4% की वार्षिक वृद्धि दर के साथ, इसके US\$275.5 बिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है। भारत में पर्यटन के विकास और उसे बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय नोडल एजेंसी है और "अतुल्य भारत" अभियान की देख-रेख करता है।

विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद के अनुसार, भारत, सर्वाधिक 10 वर्षीय विकास क्षमता के साथ, 2009-2018 से पर्यटन का आकर्षण केन्द्र बन जाएगा। यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट 2007 ने भारत में पर्यटन को प्रतियोगी कीमतों के संदर्भ में 6वां तथा सुरक्षा व निरापदता की दृष्टि से 39वां दर्जा दिया है, होटल के कमरों की कमी के रूप में लघु और मध्यमावधि रूकावट के बावजूद 2007 से 2017 तक पर्यटन राजस्व में 42% उछाल की उम्मीद है।

हमारा देश विविध परम्पराओं की इन्द्रधनुषी छटाओं व सांस्कृतिक विविधताओं से भरा पूरा देश है इसकी यह विशेषता ही दुनियाभर के पर्यटकों को लुभाती है। पर्यटन के क्षेत्र में निहित संभावनाओं के दृष्टिगत तथा इस क्षेत्र में हो रहे सकारात्मक परिवर्तनों को देखते हुये भारत सरकार ने पर्यटन उद्योग को निर्यात हाउस का दर्जा देने की घोषणा की। इससे पर्यटन उद्योग के नये आयाम विकसित होने में मदद मिलेगी तथा विदेशी मुद्रा में भी कई गुनी वृद्धि हो सकेगी।

पर्यटन भारत में विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला तीसरा बड़ा उद्योग है हीरे-जवाहरात और रेडीमेड गारमेन्ट के बाद पर्यटन का स्थान है। वर्तमान में पर्यटन विश्व का तेजी से आगे बढ़ रहा उद्योग है। 500 करोड़ से अधिक पर्यटकों से सम्पूर्ण विश्व को होने वाली आय 3.5 खरब अमेरिकी डालर है। पर्यटन उद्योग की विशेषता है कि होटल, उड़ान सेवा, ट्रेवल एजेंसीज, हथकरघा और सांस्कृतिक गतिविधियों के जरिये सर्वाधिक रोजगार महिलाओं को प्राप्त हुये है। भारत के 5 उत्तरी राज्यों पंजाब, जम्मू काश्मीर, चंडीगढ़, हरियाणा एवं हिमांचल प्रदेशों में पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान कर दिया है।

प्राचीन समय से भारत की प्रतिष्ठा एवं शौर्य धरा के रूप में है। यह भूमि वीर, वीरागनाओं, रणबाकुरा, धनकुबेरों, आध्यात्मिक ऋषि-मुनियों की जन्म भूमि एवं कर्म भूमि के रूप में रही है। उनके त्याग, तपस्या, भक्ति एवं ऊर्जा ने इस देश को अमृतत्व प्रदान किया है। भारत सरकार ने भारतीय संस्कृति से ओत-प्रोत "अतिथि देवो भवः" एवं "वसुधैव कुटुम्बकम्" की भावना पर आधारित पर्यटन विकास नीति अपनाई है जिससे पर्यटन उद्योग का महत्व और अधिक बढ़ गया है। देशी-विदेशी पर्यटक का किसी राज्य में पर्यटन पर रहते है तो वहां की सांस्कृतिक धरोहर का दृश्यावलोकन करते है इससे पर्यटकों की साख स्थानीय लोगों का सौहाद्रपूर्ण भावात्मक संबंध विकसित होते है। इस उद्योग से देशी और विदेशी पर्यटकों को यहां की संस्कृति समझने को अवसर मिलता है तथा इससे सांस्कृतिक विनिमय भी होता है। जब देश के विभिन्न भागों से पर्यटक किसी राज्य में आते है तब उनके आतिथ्य सत्कार से उस क्षेत्र का विकास होता है। भारत में पर्यटन उद्योग का विभिन्न दृष्टिकोणों से विशेष महत्व है। भारत

में अपनी नवीन पर्यटन नीति इस ढंग से बनाई है जिससे विदेशी पर्यटक हमारे देश में आकर्षित हो सके। पर्यटन विकास से विदेशी मुद्रा का अर्जन एवं रोजगार सृजन के साथ-साथ बुनियादी सुविधाओं जैसे सड़क परिवहन, संचार का विकास होने से विभिन्न प्रकार, के उद्योगों को स्थापित करने के अवसरों में वृद्धि हो रही है हमारे यहां के हस्त-शिल्प उद्योग के निर्यात व्यापार से करोड़ों रूपया की विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही है। पर्यटन उद्योग के विकास से सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक एवं प्राकृतिक महत्व के दर्शनीय स्थलों के रख-रखाव व उनके समीप के स्थलों को संरक्षित करने एवं उसके संवर्धन के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। इस प्रकार पर्यटन उद्योग के चहुंमुखी विकास से देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ आधार प्राप्त हो रहा है।

पर्यटन उद्योग के विकास के प्रमुख क्षेत्र इस प्रकार हैं :-

1. ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन आयाम
2. पर्यावरणीय आयाम
3. साहसिक आयाम
4. ग्रामीण पर्यटन आयाम
5. धार्मिक पर्यटन आयाम
6. सभा सम्मेलन पर्यटन आयाम
7. स्वास्थ्य पर्यटन आयाम

पर्यटन उद्योग की समस्याएँ :-

1. पर्यटकों के लिये समुचित आवास की समस्या।
2. पर्यटन स्थलों के रख-रखाव की समस्या।
3. प्रशिक्षित एवं अनुभवी गाइडों की कमी।
4. परिवहन एवं संचार की समस्या।
5. पर्यटन विकास हेतु उपयुक्त साहित्य की समस्या।
6. जनसम्पर्क की समस्या।
7. बैंक संबंधी समस्याएँ।
8. स्वास्थ्यप्रद पर्यटन स्थलों के विकास की समस्याएँ।
9. वित्तीय समस्याएँ।
10. कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था की समस्या।
11. होटल, मोटल, काटेज आदि के लिये भूमि की समस्या।
12. ईको पर्यटन के विकास में बाधाएँ।

सुझाव :-

1. परिवहन एवं संचार के साधनों में वृद्धि करना।

2. प्रशिक्षित एवं अनुभवी गाइडों की व्यवस्था होना।
3. उचित आवासों की व्यवस्था एवं प्रबंध होना।
4. पर्यटन स्थलों पर अधोसंरचना सुविधाओं जैसे पानी, बिजली, खानपान आदि का विस्तार करना।
5. पर्यटन संबंधी साहित्य, गाइड, पत्रिकायें, नक्शे आदि प्रकाशित करना।
6. उचित सुरक्षा सुविधायें प्रदान करना।
7. केन्द्र सरकार को बजट में पर्यटन के लिये पर्याप्त राशि का आबंटन करना।
8. पर्यटन की समस्याओं से संबंधित समितियों, कमीशनों आदि के सुझावों को कार्यान्वित करना।
9. समेकित पर्यटन नीति को बनाना।
10. ईको पर्यटन को बढ़ावा देना।

पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिये इस्टेट्यूट ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म भारत पर्यटन विकास निगम, राज्यों के पर्यटन मंत्रालय तथा अन्य संस्थाओं को पर्यटन के क्षेत्र में नये-नये बदलावों से इस उद्योग के राजस्व में न केवल वृद्धि होगी बल्कि विदेशी मुद्रा भी प्राप्त हो सकेगी।

देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में पर्यटन उद्योग के विशेष महत्व को ध्यान में रखते हुये पर्यटन उद्योग के क्षेत्र में विद्यमान, वर्तमान तथा भावी चुनौतियों का सामना करने के लिये दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। परिवर्तन व बदलाव के चलते आज मनुष्य के सैर सपाटे के गंतव्य ही नहीं बदले उनके अंदाज भी बदल गये है। भारत सरकार ने पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से ऐसे स्थानों को विशेष रूप से चिन्हित करना शुरू किया है जो बदलते परिदृश्य में सर्वाधिक संभावनाओं वाले पर्यटन स्थल हो सकते है।

निष्कर्ष के रूप में पर्यटन के विकास में 7 सोपान है।

1. स्वागत
2. सूचना
3. सुविधा
4. संरक्षण
5. सहयोग
6. संरचना
7. सफारी

सरकार को पर्यटन की नीति दृढ़ संकल्प एवं प्रभावोत्पादक व्यूह रचना का निर्माण करना चाहिए तभी "अतिथि देवोभवः" एवं "अतुल्य भारत" की संकल्पना साकार हो सकती है।



छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की समस्या के कारण एवं निदान के उपाय

डॉ. सुभाष चन्द्राकर
सहायक प्राध्यापक

भारत की आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था एवं सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाली सबसे बड़ी समस्या नक्सलवादी समस्या है। नक्सलवादी आन्दोलन की शुरुआत पश्चिम बंगाल के सिलिगुड़ी जिले के नक्सलबाड़ी गाँव से हुई। गाँव के जमींदार ईश्वर तिकी ने गाँव के किसानों को कर्ज दिया था व बदले में उनकी जमीन के कागजात रख लिया था। एक किसान द्वारा स्थानीय अदालत में दीवानी मामला दायर किया गया व मामला जीतने पर जमींदार से जमीन वापस माँगी इस पर जमींदार ने बिगुल नामक किसान की पिटाई कर दी। इस पर सी.पी.आई. को तोड़कर 1964 में सी.पी.एम. बनाने वालों में से एक कानू सन्याल ने किसानों को एकजुट किया व जमींदार के घर से कर्ज के प्रोनोट को जलाने व जमीन के झूठे रिकार्डों को नष्ट कर आन्दोलन की शुरुआत की। 23 मई 1967 को नक्सलबाड़ी थाने से पुलिस बल गाँव के जमींदार की मदद के लिए पहुंची जिसे तीर-धनुष से लैस किसानों ने हमला कर भगा दिया, इस हमले में थानेदार सोनम वांग्दी मारा गया, जिससे पुलिस प्रशासन भड़क उठा व किसानों को सबक सिखाने के लिए 25 मई 1967 को भारी पुलिस बल नक्सलबाड़ी इलाके में पहुंची तो वहां हजारों किसानों को देखकर पुलिस ने गोली बरसाना शुरू कर दिया जिसमें सात महिला सहित 10 लोग मारे गये। इस घटना से नक्सलबाड़ी आन्दोलन का जन्म हुआ जिसे कानू सन्याल, चारू मजूमदार एवं जंगल सन्थाल ने नेतृत्व प्रदान करना शुरू किया। नक्सलबाड़ी क्षेत्र से निकली यह चिंगारी बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तक फैलती गयी। घबराई सीपीएम ने चारू मजूमदार, सरोज दत्त, परिमल दास गुप्ता व सुशील राय चौधरी को पार्टी से निकाल दिया। 28 जून 1967 को रेडियो पेड़चिंग ने नक्सलबाड़ी संघर्ष को समर्थन देकर संसदीय वामधारा दलों को हतप्रभ कर दिया। उधर नक्सलवाद के दो बड़े चेहरे में से एक चारू मजूमदार ने नारा लगाया कि - चीन का चेयरमेन हमारे भी चेयरमेन हैं, चीन का रास्ता ही हमारा रास्ता है। दूसरी तरफ कानू सन्याल छुपते-छुपते सीमा पार कर चीन पहुंच गये व वहां की मिलिट्री अकादमी में फौजी ट्रेनिंग ली, भारत आकर उन्होंने 400 से अधिक छापामार टुकड़ियों का निर्माण किया जिसमें कानू सन्याल की फौजी ट्रेनिंग से काफी मदद मिली। नक्सलबाड़ी के संघर्ष को व्यापक आधार देने के लिए भूमि सुधार को लागू न करा पाने की संसदीय असफलता को उभारा गया व

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी के गठन की पृष्ठभूमि तैयार हो गयी व लेनिन के जन्म शताब्दी दिवस पर 22 अप्रैल 1969 को पहली कांग्रेस भूमिगत तौर पर कलकत्ता में हुआ। इस सम्मेलन में कॉलेज, विश्वविद्यालय की नई पौध ने भी शिरकत की।

भारत में व्याप्त शोषण, भ्रष्टाचार, अन्याय व प्रशासनिक काहिली रूपी खाद ने विद्रोह को जन-आन्दोलन के रूप में विकसित होने का अवसर दे दिया जिससे यह आन्दोलन बंगाल से निकलकर सम्पूर्ण भारत में अपना पैर पसार चुका है। इस बीच विद्रोह के जनक कानू सन्याल ने अपनी विचारधारा के हथ्र से निराश होकर आत्महत्या कर ली। बहरहाल छत्तीसगढ़ प्रदेश में नक्सलवाद के पनपने और अपनी जड़ें मजबूत कर लेने के पीछे निम्नलिखित कारण हैं :-

1. आदिवासियों के साथ संवाद का अभाव :- छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासियों के नाम पर बना परन्तु प्रदेश के लगभग 80 लाख आदिवासियों के साथ सरकार का संवाद कायम नहीं हो पाया है, विशेषकर बस्तर क्षेत्र में जहाँ आदिवासी सिर्फ हल्बी व गोड़ी भाषा बोलते व समझते हैं। उनसे उन्हीं की भाषा में संवाद कायम करने में सरकार असफल रही है। देश में मात्र 20-30 हजार लोग संस्कृत बोलते हैं, परन्तु उनके लिए कार्यक्रम का प्रसारण रेडियो व टी.व्ही. में रोज होता है, परन्तु हल्बी गोड़ी बोलने वाले 30 लाख आदिवासियों के लिए सरकार के पास कोई कार्यक्रम नहीं है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने अपनी पैठ बनाने के लिए हल्बी-गोड़ी के जानकारों की मदद ली व वे सफल हुए।
2. आदिवासी क्षेत्रों में शोषण की पराकाष्ठा :- मनुष्यों में सहनशीलता स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। परन्तु जब शोषण व अत्याचार की सीमा हद पार कर जाये तो लोग विद्रोही बन जाते हैं। छत्तीसगढ़ के वनवासी क्षेत्रों में यही हुआ। विशेषकर बस्तर क्षेत्र में आदिवासियों के शोषण के प्रमुख बिन्दु निम्नानुसार हैं :-
 - बरसों से निवासरत् वनवासी जनता को वन विभाग द्वारा उनकी पैतृक भूमि से निष्कासित करना.
 - वनवासियों की समस्या के बारे में शासकीय कार्यालयों में असहयोगात्मक व्यवहार.
 - शासकीय योजना का लाभ उचित हाथों में न पहुंचना.
 - मात्र कागजों में विकास होना.
 - प्रभावशाली वर्ग-साहूकार, महाजन, पटेल, ठेकेदारों द्वारा आदिवासियों का हर प्रकार से शोषण करना.

- प्रभावशाली वर्ग द्वारा ग्रामीणों के साथ अत्याचार व अमानवीय व्यवहार करना.
 - मजदूरी करने की समय सीमा निर्धारित न होना.
 - जन-जातीय क्षेत्रों के लोगों के साथ भ्रष्ट नेताओं व अधिकारियों द्वारा अमानवीय व्यवहार एवं अत्याचार
 - जन-जातीय क्षेत्रों में व्याप्त भयावह गरीबी व बेरोजगारी.
 - जन-जातीय क्षेत्रों में शिक्षा की व्यवस्था न होना.
 - जन-जातीय क्षेत्रों में मूलभूत आवश्यकताओं का नदारद होना.
 - छत्तीसगढ़ शासन का त्रुटिपूर्ण वन संरक्षण अधिनियम.
 - आदिवासी क्षेत्रों में स्थापित उद्योग-धन्धों में आदिवासियों को उचित मात्रा में नौकरी नहीं मिलना.
 - वन विभाग, राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा वनवासियों का अमानवीय शोषण.
3. आर्थिक विषमता :- अत्यधिक आर्थिक विषमता वर्ग संघर्ष या विद्रोह की जननी होती है। आजादी के इतने वर्षों के बाद, गरीबी उन्मूलन के असंख्य योजनाओं की उपस्थिति तथा अरबों-खरबों रुपये बहाने के बाद भी छत्तीसगढ़ प्रदेश ही नहीं भारत देश में आर्थिक विषमता बढ़ते जा रही है। अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। नक्सलियों के लिये यह बड़ा मानसिक हथियार है।
4. जन कल्याणकारी योजनाओं का खोखलापन :- शासन द्वारा जनहित के लिए अनेक योजनाओं का निर्माण किया जाता है जो गंभीरता एवं निष्ठा की कमी, पारदर्शिता के अभाव व नेताओं-अधिकारियों की कमीशनखोरी के चलते लोगों के लिए घाटे का सौदा साबित हो रहा है, जिससे वंचितों को भड़काने व नक्सलियों की नई पौध तैयार करने में माओवादियों को अच्छी मदद मिल जाती है।
5. देश की महंगी न्याय प्रणाली तथा न्याय मिलने में समय सीमा का न होना :- हमारे देश में न्याय प्रणाली काफी जटिल व महंगी है, एक आम आदमी कोर्ट कचहरी में न्याय की आस में जाता है व अपना समय व धन दोनों बर्बाद कर लेता है। वकीलों की महंगी फीस व चक्कर दर चक्कर उसे तोड़कर रख देता है, इसलिए नक्सल प्रभावित क्षेत्र के व्यक्ति अपनी समस्याएं नक्सलियों की जन-अदालत में ले जाते हैं, वहां पर वादी और प्रतिवादी दोनों को बुलाया जाता है। नक्सलियों द्वारा समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना जाता है और दोषी व्यक्ति को वहीं पर दंडित किया जाता है इसलिए इन क्षेत्रों में आदिवासियों का झुकाव नक्सलियों की ओर अधिक होते जा रहा है।

6. जनजातीय क्षेत्रों में शासकीय अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा आदिवासी एवं कमजोर वर्ग के लोगों को घृणा की दृष्टि से देखना :- जनजातीय क्षेत्रों में शासकीय अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा आदिवासी एवं कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को घृणा की दृष्टि से देखा जाता है व आदिवासियों को तुच्छ समझते हैं व उनसे बात करना तक पसंद नहीं करते, उन्हें वे डांट-फटकार कर अपने से दूर भगा देते हैं, अधिकारियों की यह घृणा की भावना उन्हें नक्सलियों के करीब लाती है व नक्सलवाद को फलने-फूलने का अवसर मिलता है।
7. अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियाँ :- छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो क्षेत्र नक्सलवाद से ग्रसित हैं, वहाँ भौगोलिक स्थितियाँ नक्सलियों के अनुकूल है, वहाँ घने जंगल, पहाड़, नदियाँ व उबड़-खाबड़ भूमि है जहाँ छुपने के लिए सुरक्षित जगह की कमी नहीं है। वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है। इसलिए नक्सली मैदानी क्षेत्र की जगह जंगल, पहाड़ वाले क्षेत्र में अपना विस्तार कर रहे हैं।
8. पड़ोसी देशों के उग्रवाद को भारत में प्रवेश की सुगमता :- विदेशों से आयातित उग्र विचारधारा को भारत में प्रवेश करने से रोकने के लिए सरकार के पास राजनैतिक और कूटनीतिक उपायों का अभाव है, जिसके कारण उग्रवादी विचार व हथियार निर्बाध गति से भारत के विभिन्न प्रदेशों के साथ छत्तीसगढ़ में भी आ रहा है। विभिन्न नक्सल गतिविधियों में उच्च स्तर के विस्फोटकों का उपयोग इस बात की पुष्टि करता है।
9. शोषण की पराकाष्ठा :- वनवासी क्षेत्रों के भोले-भाले लोगों का कथित सभ्य समाज द्वारा कई सौ सालों से बेरहमी से शोषण किया जा रहा है, शोषकों का चेहरा बदल गया है, पर शोषण बन्द नहीं हुआ। रायपुर शहर में बड़े-बड़े करोड़पति-अरबपति बने अनेक सोने-चांदी के व्यापारियों के पुरखों ने अपने मूल प्रदेश से आकर बस्तर में बरसों काम किया व बस्तर के आदिवासियों को दोनों हाथ से लूटकर अपना आर्थिक साम्राज्य बनाया। आदिवासियों के कीमती वस्तुओं, जमीन-जायदाद को नाममात्र के रूप्यों पर गिरवी रखकर कब्जा कर लिया गया। इसके अलावा आदिवासियों की अज्ञानता का लाभ उठाते हुए व्यापारियों द्वारा उनकी वनोपज, चिरौंजी आदि मूल्यवान वस्तुओं का विनिमय नमक से किया जाता रहा, अर्थात् कई सौ सालों तक 1 किलो चिरौंजी, गोंद, शहद आदि के बदले उन्हें 1 किलो नमक दिया जाता रहा, जिसे आदिवासी खुशी-खुशी स्वीकार करते रहे, पर नक्सलियों के आगमन से उन्हें अपने वनोपज के सही मूल्य का ज्ञान हुआ व नक्सलियों ने उन्हें अनेक बार शोषण से बचाया व लुटेरे व्यापारियों को चेतावनी देकर व नहीं सुधरने पर उनकी हत्या कर आदिवासियों में अपनी पैठ जमायी।

10. आजीविकापरक शिक्षा का अभाव :- छत्तीसगढ़ में शिक्षा का ढाँचा खोखला हो चुका है, स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता की कमी है व उच्च शिक्षा बहुत महंगी होती जा रही है। आदिवासी क्षेत्र के युवा पढ़ाई करने के बाद दिशाहीन होकर बेरोजगारी से तंग आकर नक्सलियों के शरण में चले जाते हैं। उनको प्राप्त शिक्षा उन्हें किसी जीविका प्रदान करने में असमर्थ रही है। अनियंत्रित मशीनीकरण, कुटीर उद्योग का अभाव तथा शासन की दिशाहीन उद्योग नीतियों से छत्तीसगढ़ के आदिवासी अपने आपको ठगा महसूस कर रहे हैं।

11. राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव :- आम आदमी अब यह जानने लगा है कि सत्ताधीशों में सामाजिक विषमता समाप्त करने, भ्रष्टाचार समाप्त करने व नक्सली समस्या के उन्मूलन हेतु किसी भी प्रकार की ईच्छा-शक्ति नहीं है। आये दिन होने वाले घोटाले तथा नेताओं, अधिकारियों, ठेकेदारों एवं व्यापारियों की तीव्रगति से सम्पन्नता की कहानियाँ जब आम आदमी तक पहुँचती हैं, तब वह नक्सलवाद को एक विकल्प के रूप में देखना शुरू कर देता है।

छत्तीसगढ़ प्रदेश आज भ्रष्टाचार में आकाण्ट डूबा हुआ है। प्रदेश के संसाधनों का निर्लज्जता के साथ लूटमार चल रहा है। भ्रष्टाचार की खुली प्रतियोगिता में चपरासी से लेकर आई.ए.एस. अधिकारी, सरपंच से लेकर विधानसभा एवं संसद के सदस्य तथा माननीय मंत्रीगण की भी सक्रिय भागीदारी पूरी ईमानदारी से चल रही है। जब नोट से भरे थैलियों का मुंह खुलता है तब मीडिया का मुंह भी बन्द हो जाता है। छत्तीसगढ़ आज शोषकों का चारागाह बन गया है व सम्पन्न बस्तर आज भी लंगोटी लगाये खड़ा है। बस्तर में आज नक्सलियों की समानांतर सरकार चल रही है। देश-प्रदेश में लोकतंत्र भी सूचिता से दूर जा चुका है। राज्य व केन्द्र सरकार ने नक्सलवाद को कभी गंभीरता से नहीं लिया सरकारें इसे 'लॉ एण्ड आर्डर' की समस्या मानती रही है, जबकि यह सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक समस्या है। चार दशकों से अधिक समय तक बिना जन-समर्थन के कोई विचारधारा नहीं चल सकती, अतः इस गंभीर समस्या के समाधान हेतु गंभीर प्रयास आवश्यक है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की समस्या के समाधान हेतु निम्न उपाय किया जाना चाहिए:-

1. छत्तीसगढ़ में संवेदनशील प्रशासन की स्थापना :- छत्तीसगढ़ में प्रारंभ से प्रशासनिक असंवेदनशीलता के चलते लूट मची हुई है, जो जितना लूट सकता है, उसे उतना लूटने की आजादी रही है। नक्सलियों से अधिक हिंसक एवं निर्मम हमारा प्रशासन रहा है, जिसमें बैठा व्यक्ति आम जनता को जीने नहीं देने की कसम खाये बैठा लगता है। प्रदेश का बहुआयामी शोषण अनवरत चल रहा है, जिसे बंद करने हेतु चरित्रवान एवं

ईमानदार प्रशासन का निर्माण किया जाना चाहिए। जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान करनेवाले संवेदनशील प्रशासन का निर्माण कर नक्सलवादियों को बढ़ने से रोका जा सकता है। जन असंतोष एवं बढ़ती विषमताओं को रोकना प्रशासन की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।

2. स्थानीय पुलिस एवं वन विभाग के अत्याचारों से ग्रामीणों की रक्षा :- वनवासी क्षेत्रों में पुलिस एवं वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा बेतहासा अत्याचार किया गया है, जिससे आदिवासी नक्सलियों के करीब चले गये। अब स्थानीय पुलिस व वन विभाग की भूमिका को बदलकर आदिवासियों के सहयोगी एवं हमदर्द के रूप में होनी चाहिए जिससे नक्सलियों का साथ देना बंद हो सकेगा।
3. रोजगार के अधिकाधिक अवसर उत्पन्न कर आदिवासियों को प्राथमिकता के आधार पर काम दिया जावे :- बस्तर का युवा जब पढ़ाई पूरी कर निकलता है व रोजगार के अवसर नहीं पाता है तब वह नक्सलियों की ओर आकर्षित होता है। अगर उन्हें रोजगार से जोड़ दिया जायेगा तो वे कभी भी गुमराह नहीं होंगे। छत्तीसगढ़ में अपार संसाधन हैं, जिसका दोहन स्थानीय लोगों को शत-प्रतिशत रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से अगर किया जायेगा तब नक्सलवाद जैसी विचारधारा का नाम सुनना भी नहीं पड़ेगा।
4. नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ईमानदार एवं धैर्यवान अधिकारियों की नियुक्ति :- ऐसे अधिकारी आदिवासियों, दलितों व पिछड़े वर्गों के मध्य समर्पित भाव से काम करेंगे। शराब, मुर्गा व पैसा चाहने वाले अधिकारियों को वहां से त्वरित गति से हटाया जाये। बस्तर क्षेत्र में अधिकांश विभाग के अधिकारियों ने अकूत धन-संपदा बनाया है। जो आदिवासियों के विकास की कीमत पर बनाया गया है। आदिवासी वर्ग नक्सलियों के समर्पित भाव को देखकर ही उनके नजदीक जा रहा है।
5. आदिवासियों द्वारा काबिज भूमि पर उनका स्वामित्व दिया जावे :- बस्तर में हजारों ऐसे आदिवासी हैं, जो अनेक पीढ़ियों से खेती करते आ रहे हैं, परन्तु आज तक राजस्व अभिलेख में उनका नाम दर्ज नहीं है, जिससे उन्हें सरकारी सुविधा-कर्ज आदि नहीं मिल पाता व जमीन से कभी भी खदेड़े जाने का भय रहता है। सरकार को चाहिए कि ऐसे मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता में लेते हुए वास्तविक कृषकों के नाम से अभिलेख में नाम दर्ज हो।

6. समस्त वनोपज का राष्ट्रीयकरण एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा :- वनवासी क्षेत्रों में समस्त वनोपजों का राष्ट्रीयकरण कर समर्थन मूल्य निर्धारित कर दिया जाना चाहिए व जगह-जगह खरीद केन्द्र स्थापित कर दिया जाना चाहिए व इसका प्रचार-प्रसार गाँव-गाँव में दीवालों पर लिखकर किया जाना चाहिए।
7. वस्तु विनिमय पर आधारित चलित दुकानों का संचालन :- घोर नक्सली क्षेत्रों में वस्तु विनिमय पर आधारित चलित विक्रय केन्द्र का संचालन किया जाना चाहिए, जिससे आदिवासियों को उनके उपयोग की सामग्री उनके घर के पास मिल जाया करेगा।
8. आदिवासी क्षेत्र के युवाओं को निःशुल्क उच्च शिक्षा प्रदान किया जाना चाहिए :- आदिवासी क्षेत्र के युवाओं को महाविद्यालय तक की शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य हो जिससे वे मुख्यधारा में शामिल हो सकेंगे व अपने पैरों में खड़े हो सकेंगे।
9. नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस कर्मियों के लिए प्रोत्साहन योजना :- नक्सल क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए आकर्षक प्रोत्साहन योजना होनी चाहिए जिससे लोगों में इन क्षेत्रों में जाने के लिए होड़ मची रहे। दूसरी तरफ पुलिस को आधुनिक हथियार एवं वाहनों से सुसज्जित किया जाना चाहिए।
10. नक्सलियों के कल्याणार्थ योजनाओं का क्रियान्वयन :- नक्सलियों को नक्सलवाद का साथ छोड़ने व मुख्य धारा में लौटने प्रोत्साहित करने हेतु आकर्षक पैकेज दिया जाना चाहिए जिससे वे शांति का रास्ता अपना सकें।
11. स्थानीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों को स्थानीय बोली का ज्ञान :- स्थानीय बोलियों के माध्यम से सरकार की योजना एवं संदेश को पहुंचाया जा सकता है, अतः अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से स्थानीय बोली का ज्ञान कराया जाना चाहिए।
12. नक्सल समस्या पर गंभीर विद्वानों की संगोष्ठी :- नक्सल समस्या पर विचार विमर्श की पूरी श्रृंखला आयोजित होनी चाहिए, जिसमें गंभीर प्राध्यापकों, पत्रकार, पुलिस, प्रशासन के अधिकारियों को सम्मिलित किया जा सकता है। मुख्यमंत्री को उन लोगों के साथ बैठना चाहिए जिन लोगों के पास इस समस्या के समाधान हेतु प्रस्ताव व सुझाव हों।

13. जेल में बंद नक्सली के प्रकरणों की उच्च स्तरीय समिति द्वारा समीक्षा :-
नक्सली होने के आरोप पर हजारों बेगुनाह आदिवासी जेलों में बंद कर दिये गये हैं, जिससे उनका परिवार बेसहारा हो गया है। उन प्रकरणों की जाँच होनी चाहिए व बेगुनाहों को रिहा किया जाना चाहिए। हमारे प्रदेश के पुलिस की कार्यप्रणाली सोनी सोढ़ी के प्रकरण में जगजाहिर हो चुकी है, जिससे अत्याचार व अमानवीयता की अलग कहानी बनी व अंततः सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद उसे छोड़ा गया।
14. नक्सलियों के सप्लाई लाईन को रोकने का उपाय :- एक अनुमान के अनुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश में नक्सलियों की उगाही का कारोबार 2000 करोड़ रुपये सालाना है जो वे नेताओं, अधिकारियों, व्यापारियों एवं ठेकेदारों से वसूलते हैं, प्रशासन को इसे रोकने का प्रयास करना चाहिए।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

- | | |
|---------------------------------------|--|
| (1) गुप्ता विप्लव दास | - दि नक्सलाईट मूवमेंट |
| (2) जौहरी जे. सी. | - नक्सलाईट पॉलिटिक्स इन इंडिया |
| (3) पाण्डेय गिरीशकांत | - बस्तर जिले में नक्सलवादी गतिविधियों का विश्लेषण |
| (4) योगेन्द्र धुर्वे | - छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की समस्या: कारण एवं निदान |
| (5) वर्ल्यानी जे.आर. एवं साहसी बी.डी. | - बस्तर का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास |
| (6) चौधरी शुभ्रांशु | - "उसका नाम वासु नहीं था" |
| (7) <u>पत्र पत्रिका</u> | |
| (1) पत्रिका | - 02 जून 2013 |
| (2) पत्रिका | - 21 नवम्बर 2011 |
| (3) पत्रिका | - 04 जून 2013 |
| (4) पत्रिका | - 28 मई 2013 |



इन्टरनेट और शिक्षा

डॉ. संजीवनी ठाकुर
दुर्गा महाविद्यालय

21 वीं सदी महान् परिवर्तन की घुरी है। इस महान् परिवर्तन का सबसे बड़ा पक्ष है, कि वैज्ञानिक अन्वेषण एवं सृजनात्मकता के द्वारा अनेक यंत्र एवं नवाचारों का प्रादुर्भाव हुआ है। इनमें इन्टरनेट प्रमुख है। इन्टरनेट के प्रादुर्भाव से मानव जीवन के प्रत्येक पहलू में नवीनता का संचार हुआ है। हमारा शिक्षा का क्षेत्र भी इस इन्टरनेट से काफी प्रभावित हुआ है। शिक्षा इन्टरनेट से काफी सम्भावनाएँ हैं। इसके द्वारा शिक्षा, शिक्षार्थी तथा शिक्षा व्यवस्था में संलग्न व्यक्तियों को अपने चिंतन, चेतन, कौशल व्यवहार एवं शिक्षण के कि मानव्यन में महान परिवर्तन लाने तथा शिक्षा की व्यवस्था को प्रभावशील बनाने में विशेष सहायता प्राप्त होती है।

इन्टरनेट का शब्दिक अर्थ :-

विश्वव्यापी तंत्र या जाल। वस्तुतः इन्टरनेट विश्व के विभिन्न स्थानों पर स्थापित कम्प्यूटर के नेटवर्क को टेलीफोन लाइन की सहायता से जोड़कर बनाया गया एक अंतराष्ट्रीय सूचना मार्ग है। जिस पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचनाएँ पलक झपकते ही पहुँच जाती हैं। इस संदर्भ में पॉल. ई. हॉकमेन ने लिखा है, कि इन्टरनेट वास्तव में एक ऐसा स्थान है, जहाँ आपको अनेक सूचनाएँ प्राप्त हो सकती हैं। आप दूसरों को मुफ्त में या धन देकर सूचनाएँ उपलब्ध करा सकते हैं तथा विभिन्न लोगों से वार्ता कर सकते हैं। वस्तुतः इन्टरनेट एक ऐसी चीज है, जो न हार्डवेयर है, न सॉफ्टवेयर, न कोई प्रोग्राम है, न कोई प्रणाली ही है, बल्कि यह एक सूचना प्राप्ति का साधन है।

भारत में इन्टरनेट 1994 में आया। भारत में सर्वप्रथम एजुकेशन एण्ड रिसर्च नेटवर्क द्वारा इन्टरनेट उपलब्ध करवाया जाता था। किन्तु 1995 व्यवसायिक प्रयोग के लिये यह सुविधा विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा उपलब्ध करायी जाने लगी। वर्तमान समय में सरकार देश के सभी जिला मुख्यालयों को इन्टरनेट से जोड़ने हेतु प्रयासरत है।

शिक्षा में इन्टरनेट की उपयोगिता

शिक्षा के क्षेत्र में इन्टरनेट के प्रयोग की असीमित सम्भावनाएँ हैं। मुक्त अधिगम प्रणाली को औपचारिक शिक्षा के समानान्तर एक प्रभावी और आघतन प्रणाली बनाने में इन्टरनेट के प्रयोग से आशातीत सफलता मिल सकती है। यह बड़ी मात्रा में आंकड़ों की प्राप्ति करने उनकी खोज करने में विशेष सहायक होता है। मल्टीमीडिया सम्बंधी कार्यक्रम में सम्प्रेषण के इन्टरनेट

विशेष योगदान कर सकते हैं। विश्व की नवीनतम खबरों की प्राप्ति में उपयोगी, नोट्स के आदान-प्रदान में वैश्विक स्तर के शोध सम्बंधी जानकारी तथा पुस्तकालयों में उपयोगी पुस्तकों की प्राप्ति में इंटरनेट की उपयोगिता अत्यधिक है। इंटरनेट के माध्यम से आवश्यक कम्प्यूटर फाइलों का हस्तांतरण करके पूरी कनियों की शैक्षिक गतिविधियों को उसी क्षण प्राप्त किया जा सकता है। प्रौढ़ शिक्षा, सतत शिक्षा, अभिभावक शिक्षा, पत्राचार शिक्षा, मानव अधिकार शिक्षा शांति शिक्षा आदि के बहुमुखी विकास एवं प्रसार में इंटरनेट के प्रयोग की असीम सम्भावनाएँ हैं। शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में इंटरनेट की उपयोगिता की चर्चा इस तरह से है।

1) मुक्त अधिगम प्रणाली में :-

इंटरनेट मुक्त अधिगम प्रणाली का एक शक्तिशाली अभिकरण बन गया है। आज मुक्त अधिगम प्रणाली की सबसे बड़ी समस्या शिक्षक-शिक्षार्थी के मध्य अन्तः क्रिया की समुचित व्यवस्था का प्रभावशाली व्यवस्था न होना है। इंटरनेट इन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। मोबाईल इंटरनेट फोन ई-यूनिवर्सिटी, ई-परामर्श इसमें विशेष भूमिका अदा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम को सुव्यवस्थित बनाने, नवीन अनुदेशात्मक प्रविधियों के विकास, अनुदेशन की गुणवत्ता को कायम रखने, सेवारत शिक्षकों को प्रशिक्षण की उत्तम व्यवस्था प्रदान करने में इंटरनेट के प्रयोग की असीम सम्भावनाएँ हैं। मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश, अध्ययन एवं परीक्षा की समुचित व्यवस्था इंटरनेट के माध्यम से की जा सकती है।

2) औपचारिक अधिगम प्रणाली में :-

इंटरनेट वर्तमान परम्परागत औपचारिक अधिगम प्रणाली को भी प्रभावशाली बनाने में योगदान देता है। विश्व के प्रमुख विशेषज्ञों से तत्काल सम्पर्क कर ज्ञान की प्राप्ति में, अंतराष्ट्रीय ज्ञान-विज्ञान की जानकारी प्राप्त करने में, अद्यतन प्रवृत्तियों को जानने और समझने में, विश्व स्तर के पुस्तकालयों में रखी गयी पुस्तकों का अवलोकन, शोध कार्य में आंकड़ों की प्राप्ति करने में शोध विधियों की जानकारी प्राप्त करने में, आंकड़ों का अत्यधिक वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण करने, शिक्षण की गुणवत्ता में वृद्धि लाने हेतु इंटरनेट काफी उपयोगी है। इसके अतिरिक्त नये नये शोध सम्बंधी समस्याओं की जानकारी के प्राप्ति हेतु शिक्षण के संरचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन आदि में इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है।

3) शिक्षण प्रशिक्षण में :-

इंटरनेट का प्रयोग शिक्षक - शिक्षा में करके उन्हें अद्यतन प्रौद्योगिकी नवाचारों और नवीन प्रवृत्तियों का ज्ञान कराया जा सकता है। इंटरनेट सेवापूर्ण और सेकरत दोनों प्रकार के शिक्षण प्रशिक्षण में लाभकारी है। रिफ्रेशर कोर्स एवं ओरिएण्टसन कोर्स में देश -विदेश के

ख्याति प्राप्त विषय-विशेषज्ञों से छात्राध्यापकों को रूबरू कराने तथा उनकी विशेषताओं से उनको लाभान्वित कराने में भी इन्टरनेट की सहायता ली जा सकती है। इन्टरनेट की सहायता से शिक्षक प्रशिक्षण हेतु पाठ्य - सामग्री के चयन, नवीन, सम्प्रेषण के माध्यमों की जानकारी प्राप्त होती है। उन्हें समझने में सहायता प्राप्त होती है। संसाधनों के प्रयोग की तकनीकी और कौशलों के प्रयोग करने की जानकारी भी छात्राध्यापकों को दी जा सकती है। इन्टरनेट की सहायता से छात्राध्यापकों को अन्य संस्थानों के शिक्षकों से प्रकरण के संबंध में विचारों का आदान-प्रदान करने का सुअवसर प्राप्त होता है। जिससे उनके ज्ञान और कौशल में वृद्धि होती है। इन्टरनेट शिक्षण - प्रशिक्षण की गुणात्मक उन्नति में सहायक भूमिका अदा करती है।

4) विकलांगों की शिक्षा में :-

इन्टरनेट विकलांगों की शिक्षा में अत्यंत उपयोगी है। हमारे देश में अनेक श्रेणियों के विकलांग पाये जाते हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो विद्यालय जा ही नहीं सकते। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो विद्यालय तो जाते हैं लेकिन उन्हें वहां पर्याप्त ज्ञान प्राप्त नहीं होता। इस समस्या के समाधान एवं विकलांगों को मुख्यधारा से जोड़ने में इन्टरनेट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विकलांगों बच्चों के लिये तो यह एक वरदान साबित हुआ है। इस प्रकार वैयक्तिक एवं सामूहिक दोनों ही स्तर पर इन्टरनेट उपयोगी है।

निष्कर्ष रूप में यह कहा जाता सकता है, कि 21 वीं सदी इन्टरनेट की शिक्षा के क्षेत्र में असीम सम्भावनाएँ हैं। शिक्षा को प्रभावशाली बनाने और उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिये इन्टरनेट काफी उपयोगी सिद्ध हो रहा है। इन्टरनेट का उपयोग मुक्त अधिगम प्रणाली में करने से वह औपचारिक शिक्षा की एक समानान्तर व्यवस्था बन सकती है। सतत शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा की सार्वभौमिकता में इसके माध्यम से आशातीत सफलता प्राप्त की जा सकती है। इन्टरनेट से विद्यार्थी और शिक्षकों को परिचित करना अत्यंत आवश्यक है। इन्टरनेट का अनुप्रयोग करके अब ऑनलाइन एजुकेशन साइबर विद्यालय, विश्वविद्यालय साकार रूप लेने लगा है।



विद्यालय प्रबंधन में प्रधान अध्यापक की भूमिका

डॉ. नमिता खोटेले
सहा. प्राध्यापक (शिक्षा)
दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर

प्रधानाध्यापक विद्यालय का नेता होता है परन्तु यह आवश्यक नहीं कि वह हर क्षेत्र में नेतृत्व दे सके। उसे विभिन्न क्षेत्रों में फंक्शनल लीडर (Functional Leader) जानने, पहचानने व मानने होंगे तथा उपर्युक्त कार्य व कार्य भार सौंपने होंगे। विद्यालय पर्यावरण को अपने व्यवहार से प्रभावित करना ही उसके सफल नेतृत्व का द्योतक होगा। किसी भी समूह या समुदाय में व्यवहार को प्रभावित करने तीन लक्ष्य होते हैं- 1. भावना (Sentiment) 2. कार्यकलाप (Activities) 3. परस्पर व्यवहार (Interaction) एक सफल प्रधानाध्यापक को इन तीनों तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। समूह की भावनाओं के अनुरूप नेतृत्व को मूर्त रूप देना या व्यवहार व आचरण में उतना आवश्यक है। इसका अभिप्राय यह भी है कि इस समूह की अपनी भावनाएं होती हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी और अन्य ग्रह परिक्रमा करते हैं और सूर्य की ही रोशनी से वे प्रकाशमान होते हैं उसी प्रकार प्रधानाध्यापक के चारों ओर अन्य मानवीय घटक भी अपनी आभा पाते हैं और फैलाते हैं। मुख्याध्यापक को सूर्य की उपमा देना कुछ गलत नहीं, किन्तु जब सूर्य को ग्रहण लगता है तो शाला भी अंधकार में डूबती है। अपनी जिम्मेदारी का ध्यान रखते हुए उसे ग्रहण से बचना चाहिए इसी में उसकी कार्य कुशलता है। प्रधानाध्यापक वह कड़ी है जो विद्यालय तथा समाज में मधुर संबंध स्थापित कराती है। प्रधानाध्यापक विद्यालय के कुशल संचालन द्वारा समाज की मांगों की पूर्ति करने में ही सहायक नहीं होता है, वरन् विद्यालय में समाज का आदर्श रूप प्रतिबिम्बित करके समाज को भी प्रगति के पथ पर अग्रसर करता है। अतः यह कहना अनुचित ना होगा कि विद्यालय में प्रधानाध्यापक का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह विद्यालय की प्रमुख शक्ति है जिसके ऊपर विद्यालय की उन्नति एवं अवनति निर्भर है।

अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन (1972) के अनुसार "प्रबन्ध का कार्य मानवीय एवं भौतिक संसाधनों को ऐसी गतिशील संगठन इकाइयों में परिवर्तित कर देना है, जिसके द्वारा उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इस कार कार्य किया जा सके कि जिनके लिये बन्ध किया जा रहा है, उन्हें सन्तुष्टि प्राप्त हो सके तथा जो कार्य कर रहे हैं, उनमें उच्च नैतिक स्तर बनाए रखने हेतु उत्तरदायित्व निभाने की भावना बनी रहे।"

जार्ज आर. टेरी (1986), प्रबन्ध एक विशेष क्रिया है, जिसमें नियोजन, संगठन, उत्प्रेरण एवं नियंत्रण शामिल होते हैं। इन सभी क्रियाओं में कला एवं विज्ञान दोनों का ही प्रयोग होता है और इनका अपने इसी क्रम में पूर्व निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अनुसरण किया जाता है।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह कहा गया है कि "भारतीय निर्देशित शिक्षा का स्थान होता है, लेकिन ज्ञान सृजन में तो निरंतरता होती है अतः वह विद्यालय के बाहर भी होता है।" अर्थात् बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक, अभिभावक, समुदाय आदि सभी सहायक होते हैं। विद्यालय एक गतिशील तंत्र है यह सुचारू ढंग से तभी क्रियान्वित रह सकती है जब इनके घटकों-विद्यार्थी, शिक्षक, प्रधान अध्यापक, अभिभावक, समुदाय एवं शासन आदि में परस्पर समन्वय हो।

विश्व में कुछ ही व्यक्ति प्रधानाध्यापक से अधिक उच्च कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व रखते हैं, यह कथन पूर्णतया सत्य है, क्योंकि किसी राष्ट्र का निर्माण विधान-सभाओं, कारखानों आदि में नहीं होता, वरन् विद्यालयों में होता है। विद्यालय में उन भावी नागरिकों का निर्माण किया जाता है, जिनके ऊपर समाज, राष्ट्र एवं विश्व के कार्यों के संचालन का भार रहता है। इस प्रकार प्रधानाध्यापक के ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व आ जाता है, स्वतः प्रश्न उठता है कि प्रधानाध्यापक के कौन-कौन से कर्तव्य एवं दायित्व हैं जिनकी पूर्ति करके वह किसी राष्ट्र का निर्माण कर सकता है? प्रधानाध्यापक को विद्यालय का नेता होने के नाते इनकी प्राप्ति के लिए कुछ कर्तव्य का वहन करना पड़ता है।

एक विद्यालय प्रबंधन वातावरण एवं किसी अन्य संगठन में काफी अंतर है। विद्यालयों में तथ्यों की विशेषता है जो कि शिथिल युग्मित संगठन है, (विक 1985) जो कि प्राचार्य, कर्मचारी विद्यार्थी एवं छात्र, उनके माता-पिता, साथ ही हितधारकों की एक विस्तृत विविधता संगठन को बनाए रखने में शामिल है। यदि हम प्राचार्य के नजरिये से विद्यालय प्रबंधन की जांच करते हैं तो हम प्राचार्य को विद्यालय प्रशासन का केंद्र तथा सभी प्राचार्य के आस-पास शामिल होने की कल्पना कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्राचार्य अपने आसपास एक क्षेत्र बना लेता है, जिसमें वितरित नेतृत्व के लिए संसाधन होता है।

प्रधानाध्यापक जो संगठनात्मक लक्ष्यों और स्टाफ के सदस्यों की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करता है एवं स्टाफ एवं स्कूल बोर्ड के सदस्यों दोनों से प्रभावी माना जाता है, (लुनबर्ग एवं आर्नस्टीन, 1996) "विद्यालय प्रबन्ध ने भारत में ही नहीं विश्व भर में, अब से पहले कभी इतना अधिक महत्व नहीं पाया जितना कि आज है। यह अधिकाधिक विद्यालय प्रबन्ध प्राप्त करने में उल्लेखनीय योगदान दे सकता है और शिक्षा के उपक्रम में की जाने वाली विभिन्न प्रविष्टियों (इनपुट), चाहे वे वित्तीय, भौतिक या मानवीय कैसी भी हो का प्रतिफल अधिक से अधिक मात्रा में देखता है।" (आर.पी. सिंगल, भूतपूर्व अध्यक्ष, केंद्रीय माशि.बोर्ड. दिल्ली)

प्रधानाध्यापक सर्व प्रथम शिक्षक है और फिर प्रशासक। प्रधानाध्यापक द्वारा शिक्षण कार्य न केवल शिक्षकों के मार्गदर्शनार्थ आवश्यक है वरन् यह उसके लिए छात्रों के सम्पर्क में

आने का सर्वोत्तम साधन है। इससे वह विद्यालय की चारित्रिक भावना को उन्नत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, इसके साथ ही वह शिक्षण कार्य के स्तर को उन्नत बनाने के लिए विद्यालय में व्यावसायिक साहित्य की व्यवस्था करे और नवीन प्रविधि एवं युक्तियों के प्रयोग के लिए आवश्यक कदम उठाए।

प्रधानाध्यापक का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य यह है कि वह अपनी सम्पूर्ण व्यवस्था का समय-समय पर मूल्यांकन करे। उसने विद्यालय संचालन के लिए जिन नीतियों का निर्धारण एवं उनको कार्यान्वित किया है, वे किस सीमा तक सफल रही यह ज्ञात करने के लिए मूल्यांकन आवश्यक है एवं मूल्यांकन करते समय प्रधानाध्यापक को कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे अपने साथियों की अच्छाइयों एवं बुराइयों को स्पष्ट रूप से बताएं। उनके कार्य का मूल्यांकन सुधार के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर करे। अपने कार्य-कर्ताओं में आत्म-मूल्यांकन तथा आत्मोन्नति की भावनाओं का विकास करें। मानवीय संबंधों को उपयुक्त बनाने के लिये अपने कार्यकर्ताओं के प्रति सहानुभूति तथा सहायता का दृष्टिकोण रखे। वह मूल्यांकन ध्वंसात्मक दृष्टिकोण से न करे।

प्रधानाचार्य के व्यक्तिगत गुणों के अंतर्गत उसे संतुलित व गतिशील व्यक्तित्व का स्वामी होना चाहिए एवं व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए अर्थात् न ही बहुत नरम स्वभाव और न ही बहुत कठोर स्वभाव का होना चाहिए। प्रधानाचार्य में प्रजातंत्र की भावना होना आवश्यक है एवं वह नेतृत्व की क्षमता रखता हो। प्रधान अध्यापक को सन्तुलित एवं समायोजित व्यक्तित्व का स्वामी होना चाहिए। उसमें वैज्ञानिक तथा आशावादी दृष्टिकोण होना आवश्यक है। प्रधान अध्यापक को उत्तम चरित्र का होना आवश्यक है तथा शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। उसमें विद्यालय तथा समाज के मध्य संबंध स्थापित करने की क्षमता हो।

प्रधानाचार्य के प्रशासनिक गुणों के अंतर्गत प्रधानाध्यापक उसमें कुशल प्रशासन की क्षमता होना चाहिए एवं समायोजन की क्षमता होनी चाहिए जिससे वह अपने विद्यालय के शिक्षकों के मध्य समायोजन स्थापित कर सके। किसी भी कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए सही नियोजन आवश्यक है। प्रधान अध्यापक में निर्णय लेने एवं नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए। प्रधान-अध्यापक के विचारों में आधुनिकता के साथ-साथ लचीलापन होना आवश्यक है। किसी भी विद्यालय के प्रधान-अध्यापक में समस्या समाधान की प्रवृत्ति होनी चाहिए तथा किसी भी कार्य के क्रियान्वयन की सूझबूझ व क्षमता होनी चाहिए। प्रधान-अध्यापक के व्यावसायिक गुणों के अंतर्गत उसमें मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक ज्ञान होना आवश्यक है। प्रधान अध्यापक को नवीन परिवर्तन व आयामों में रूचि होनी चाहिए एवं कक्षा शिक्षण की

समस्याओं का ज्ञान होना चाहिए। प्रधान अध्यापक को अपने विषय में पारंगत होना चाहिए। प्रधान-अध्यापक को आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक गतिविधियों के प्रति जागरूक होना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची

कक्कड़ 2010, शालेय प्रशासन, संगठन एवं प्रबंधन, राखी प्रकाशन आगरा।

सुखिया एवं त्यागी 2012, विद्यालय प्रशासन, संगठन एवं स्वास्थ्य शिक्षा, अग्रवाल पब्लिकेशन्स आगरा।

वर्मा एवं माथुर 2012, शैक्षिक प्रशासन, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, राजस्थान।

दीवान, आर. (1993), विद्यालय के प्राचार्य के नेतृत्व व मूल्यनीति के सेकेण्ड्री स्कूलों के मध्य अध्ययन, पीएचडी (शिक्षा) जामिया मिलीया, इस्लामिया यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान।

Ahonen, H. (2008). Leadership and leader identity as narrated by headmasters. Studies in Education, Psychology and Social Research ,352.

Alava, J. (2008). School Management Training. Country Report: Finland. HEAD Country Report 2005. Norwegian School of Management. Studies in Education Management Research, 31. Oslo: BI.

A.N. Nosike& N.S.Oguzor(2012). Understanding School Leadership And Management In Contemporary Nigeria, International Journal Of Academic Research In Business And Social Sciences, August, Special Issue ISSN: 2222-6990

Barrack, E.H. (1999). Spirituality in the workplace. Journal of Organizational Change Management, 12(4), 280-291.

Teacher Effectiveness : A comparative Study on Secondary School Teachers

Mrs. Pratibha Khandelwal
Assistant Professor
Department of Education
Durga Mahavidyalaya (Chhattisgarh)
email4pratibha@gmail.com

Abstract :

The study reports with the teacher effectiveness of secondary school teachers. The major objective of the study was to find out the significant difference if any, in the teacher effectiveness of the secondary school teachers, teaching in Chhattisgarh State Board Schools in the city of Raipur. The sample consisted of 100 secondary school teachers, males and females, 50 from Government Schools and 50 from Private schools. The tool used for the study is developed by Dr. Umme Kulsum, Lecturer in Department of Education, Bangalore University. The statistical techniques used were mean, standard deviation and t-test. The findings of the study revealed that government school teachers are far more effectiveness in teaching than private school teachers. No significant difference was found in the teacher effectiveness of male and female teachers of Government secondary schools. Similarly when teacher effectiveness of male and female teachers of Private secondary schools was compared male teachers were found more effective in teaching as compared to female teachers.

Keywords:

Teacher Effectiveness, Government and Private Secondary Schools teachers.

Introduction

The place and importance of teacher in the society and the nation can hardly be over emphasized. It does not take much to realize that the quality of the nation depends upon the quality of its citizen and the quality of its citizens depends, if not exclusively than in critical measure, upon the quality of education. The quality of education depends very much upon the quality of teachers. A school may have excellent material resources, equipments, infrastructure, library and other essential teaching learning facilities along with a curriculum appropriately devised to suit the community needs, but if the teachers are misfit or indifferent the whole programme is likely to be ineffective and wasted. So, there is a dire need of effective teachers in the society.

Effectiveness is an elusive concept to define when we consider the complex task of teaching. Some researchers define teacher effectiveness in terms of student achievement; others focus on high performance ratings from supervisors; still others rely on comments from students, administrators and other interested stakeholders. Because of the many areas of a teacher's influence, it is challenging to define what outcomes might be defined as evidence of effectiveness and how those outcomes should be measured. Teacher effectiveness involves multiple criterions,

though the central idea is the integration of personal needs, roles, functions, goals and also organizational goals. Ryan (1969) defined teacher effectiveness as "An effective teacher may be understood as one who helps development of basic skills, understanding, proper work habits, desirable attitudes and adequate personal adjustment of the students." Eggen and Kauchak (1994) defined it as "Teacher effectiveness is defined as the set of teacher behavior that is associated with high (compared to less effective teaching) student achievement."

Many researchers have worked on teacher effectiveness in relation to other variables. Srivastava (2005) conducted an independent research on the topic "Teacher Effectiveness of upper primary school teachers in relation to their age level" and found that age variable does not produce a significant impact on teacher effectiveness. However he found that the teacher effectiveness of male teachers dilute with their increasing age while it increases to some extent with increasing age in females. Ganihar (2008) conducted a study on the topic "A study of correlates of School Effectiveness at the secondary level" in relation to teachers effect on school effectiveness and found that teachers of high effective schools were more involved in school activities like planning the school work, decision making, administration and extracurricular activities as compared to the teachers of average effective schools. The present paper is an attempt to compare the teacher effectiveness of secondary school teachers teaching in state board schools in the city of Raipur.

Objectives

1. To compare the Teacher Effectiveness of Government secondary school teachers and Private secondary school teachers.
2. To compare the Teacher Effectiveness of male and female teachers of Government secondary schools.
3. To compare the Teacher Effectiveness of male and female teachers of Private secondary schools.

Hypothesis

- H1 Government School teachers will be more effective in their teaching than private school teachers.
- H2 No Significant difference will exist in teacher effectiveness between male and female teachers of Government secondary schools.
- H3 No significant difference will exist in teacher effectiveness between male and female teachers of Private secondary schools.

Methodology

Looking at the nature of the problem descriptive survey method was used for the present study. The investigator used the incidental sampling technique to select the sample of 100 secondary school teachers from Government and Private Chhattisgarh Board Schools, situated in the city of Raipur.

Tools Used

The scale used to study Teacher Effectiveness is a self anchoring striving scale constructed by Dr. Umme Kulsum, Department of Education, Bangalore University. The scale consists of 60 items in total from five different areas of teaching. Each item elicits two responses, first the step number one thinks is on now, and second the step number one is aspiring to attain in the next three year. The step number given for each item for present time was taken as the score of the effectiveness of each of the respondent teacher. The reliability index of the test is 0.82 and the validity index is 0.85.

Statistical Techniques Used

For proper analysis and interpretation of data, mean, standard deviation and t-test have been used.

Analysis and Result

Analysis of Data for Hypothesis 1

(Government School teachers will be more effective in their teaching than private school teachers.)

Table No. 1

Table of t-test (scores of Teacher Effectiveness of Government and Private secondary school teachers.)

Category	Total Number	Mean Score	Standard Deviation	SED	df	t-value
Govt. School teachers	50	463.48	71.18	16.78	98	10.77**
Private school teachers	50	282.60	94.98			

*Significant difference between means at 0.01 level

To verify hypothesis 1, t-value was calculated. Table Number 1 reveals that the calculated critical value is 10.77 and the degree of freedom is 98. The table value at 0.05 level is 1.98 and at 0.01 level is 2.63. Thus the calculated value of 10.77 is more than the table values at both the levels. So hypothesis 1 is accepted at 0.01 level. Hence it can be said that government secondary school teachers are far more effective in their teaching than private secondary school teachers

Analysis of Data for Hypothesis 2

(No Significant difference will exist in teacher effectiveness between male and female teachers of Government secondary schools.)

Table No. 2

Table of t-test (scores of Teacher Effectiveness of male and female teachers of Government schools)

Category	Total Number	Mean Score	Standard Deviation	SED	df	t-value
Govt. School Male teachers	25	459.28	45.24	20.09	48	0.418
Govt. school Female teachers	25	467.68	89.73			

To verify hypothesis 2, t-value was calculated. Table Number 2 reveals that the calculated critical value is 0.418 and degree of freedom is 48. The table value at 0.05 level is 2.01 which is higher than calculated value of 0.418. Therefore hypothesis 2 is accepted and it can be said that no significant difference exists between the teacher effectiveness of male and female teachers of government secondary schools.

Analysis of Data for Hypothesis 3

(No significant difference will exist in teacher effectiveness between male and female teachers of Private secondary schools.)

Table No. 3
Table of t-test (scores of teacher effectiveness of male and female teachers of Private secondary schools)
Category Total Number Mean Score Standard Deviation SED df t-value

Category	Total Number	Mean Score	Standard Deviation	SED	df	t-value
Private School Male teachers	25	311.68	99.14	25.57	48	2.27*
Private school Female teachers	25	253.52	80.77			

*Significant difference between means at 0.05 level

To verify hypothesis 3, t-value was calculated. Table Number 3 reveals that the calculated critical value is 2.27 and degree of freedom is 48. The table value at 0.05 level is 2.01 which is lower than calculated value of 2.27. Therefore hypothesis 3 is rejected and it can be said that private school male teachers are more effective in their teaching than private school female teachers.

Educational Implications of the Study

The place and importance of teacher in any society can hardly be over emphasized. The overall outcome and quality of education to a very far extent depends upon the quality of teachers. The effectiveness of schools and education system thus largely depends on effectiveness of teachers. The present study is important as it helps to assess the present effectiveness level of teachers and accordingly take measure to improve them by making better policies and providing better support in all the ways possible.

References

Aasthana. Bipin and S. Aasthana (2011). Measurement and Evaluation in Psychology and Education, Agra: Agrawal Publications

Best, J.W. and J.V.Kahan (1986). Research in Education, 5th Edition, New Delhi: Prentice Hall of India Pvt. Ltd.

Ganihar, Noorjehan (2008). A study of correlates of school effectiveness at the secondary level. Quoted in the Journal Indian Educational Review

Koul, Lokesh (2006). Methodology of Educational Research, 3rd Edition, New Delhi: Vikas Publishing House Pvt. Ltd.

Mangal S.K. (2014). Shiksha Manovigyan, New Delhi: PHI Learning Private Limited

Mathur S.S. (1994). Educational Psychology, 13th Edition, Agra: Vinod Pustak Mandir

Srivastava, R.K. (2005). A study of teacher effectiveness of upper primary school teachers in relation to their age level. Quoted in Psycho-Lingua



"बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों के अभ्यास शिक्षण के दौरान सक्रिय अधिगम विधि एवं व्याख्यान विधि का तुलनात्मक अध्ययन"

डॉ. शिखा बनर्जी

विभागाध्यक्ष, शिक्षा विभाग
दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर

शिक्षा का मूल उद्देश्य बच्चों में ज्ञान प्राप्त करने की प्रवृत्ति, समझ विकास, कौशल विकास, सकारात्मक सोच, मूल्य और आचरण को विकसित इस तरह से करना है। जिससे उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके। शिक्षण में शिक्षण विधियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षण विधि वह माध्यम है जो शिक्षण के कार्य को प्रभावी बनाने में मदद करता है। शिक्षण विधियों में सक्रिय अधिगम विधि एक नवाचार है जिसमें छात्र केन्द्रीय भूमिका में होता है। साथ ही छात्र एवं शिक्षक दोनों ही सक्रिय रहते हैं जिससे अधिगम शीघ्र एवं स्थायी होता है।

कुछ शिक्षाविद यह तर्क करते हैं कि सक्रिय अधिगम तो हमेशा ही होता है, क्योंकि जब बच्चा सुनता है तभी तो सीखता है। प्रश्न भी करते हैं "क्या बच्चा शिक्षक की बात को सुनते समय सक्रिय नहीं होता है?"

सक्रिय अधिगम को निर्देश देने की विधि के रूप में हम विचार कर सकते हैं जिसमें छात्रों को पठन, लेखन, चर्चा, श्रवण तथा परावर्तन की प्रक्रिया से अध्ययन कराया जाता है।

शोध साहित्य के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि छात्रों की सिर्फ व्याख्यान सुनने के अलावा भी बहुत कुछ करना चाहिये उन्हें पढ़ना, लिखना, तर्क करना, तथा समस्या समाधान मूलक गतिविधियों में सक्रियता से भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिये तथा इसके लिये उन्हें उच्च स्तरीय, विचारों तेजक गतिविधियों तथा विश्लेषण सृजन तथा मूल्यांकन आदि में भाग लेना चाहिये (पिकरिज तथा गेमसन 1987)

सक्रिय अधिगम विधियों में निम्न में से किसी एक अथक एकाधिक तत्वों का समावेश करना चाहिये। (1) चर्चा तथा श्रवण (2) लेखन (3) पठन (4) चिंतन Bonwell and Eison (1991) के अनुसार बच्चों को उच्च स्तर के सोच के कौशल जैसे विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन का अभ्यास होना चाहिये।

मेयर एवं जोन्स (1993) के अनुसार :- सक्रिय अधिगम दो अवधारणाओं पर आधारित है :-

1. सीखना अपने आप में एक सक्रिय क्रिया है।
2. अलग-अलग बच्चे अलग-अलग तरीके से सीखते हैं।

शैक्षिक अनुसंधान ने यह प्रमाणित किया है कि अध्ययन-अध्यापन तभी उन्नत कहा जा सकता है जब बच्चे के पास प्रश्न पूछने, प्रयोग करने, शंका समाधान और ज्ञान के स्थायित्व के लिये अवसर उपलब्ध हो।

सक्रिय अधिगम हेतु विभिन्न प्रविधियों का उपयोग किया जा सकता है जो निम्नानुसार है।

- | | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 1. क्लोज टेस्ट | 7. माइंड मैप (Mindmap) |
| 2. Wh- टेम्पलेट | 8. SQUR तकनीक |
| 3. किम (KIM) | 9. सपाटपासा (Flatedice) |
| 4. क्रोनोलॉग (Cornolog) | 10. मस्तिष्क उद्वेलन (Brain Storming) |
| 5. भूमिका अभिनय (Roleplay) | 11. सारांशीकरण |
| 6. वेब थीम (webtheme) | 12. नोट बनाना आदि |

इसके साथ ही सहयोगात्मक अधिगम में सीखने के स्टेशन (Learning Station) एवं जिग्सा (Jigsaw) का भी उपयोग किया जा सकता है।

बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों द्वारा विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग कर पाठ योजना तैयार कर उसका प्रस्तुतीकरण किया जाता है। प्रस्तुत शोध पत्र के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया है कि सक्रिय अधिगम विधि एवं व्याख्यान शिक्षण विधि में कौन सी विधि उत्तम है। छात्र किस विधि द्वारा जल्दी एवं आसानी से सीखते हैं।

परिकल्पना :-

- Ho1 बी.एड.प्रशिक्षणार्थियों के अभ्यास शिक्षण के दौरान सक्रिय विधि (ALM) और व्याख्यान शिक्षण विधि में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जायेगा।
- Ho2 महिला बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों के अभ्यास शिक्षण के दौरान सक्रिय अधिगम विधि और व्याख्यान शिक्षण विधि में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जायेगा।
- Ho3 पुरुष बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों के अभ्यास शिक्षण के दौरान सक्रिय अधिगम विधि और व्याख्यान शिक्षण विधि में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जावेगा।

शोध प्रक्रिया :-

प्रस्तुत शोधकार्य प्रयोगात्मक शोध विधि का प्रयोग किया गया है। दो शिक्षण विधियों की तुलना हेतु दो समूह बनाये गये। कक्षा नवी के विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों ने अलग-अलग शिक्षण विधियों से पढ़ाया। एक समूह को सक्रिय अधिगम

विधि से एवं दूसरे समूह को व्याख्यान विधि से पढ़ाया गया। न्यादर्श हेतु 120 बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया गया जिसमें 60 महिला एवं 60 पुरुष सम्मिलित है। शोध उपकरण हेतु कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय उपलब्धि परीक्षण का उपयोग किया गया।

विश्लेषण :-

सक्रिय अधिगम विधि एवं व्याख्यान अधिगम विधि की तुलना करने हेतु कक्षा 9वीं का विज्ञान विषय के उपलब्धि परीक्षणों के आँकड़ों को एकत्र कर मध्यमान निकाला गया एवं टी-मूल्य ज्ञात कर परिकल्पनाओं की पुष्टि की गयी।

परिकल्पना क्र. Ho1 की पुष्टि

बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों के अभ्यास शिक्षण के दौरान सक्रिय अधिगम विधि एवं व्याख्यान शिक्षण विधि से पढ़ाये जाने के पश्चात प्राप्त मध्यमान, मानक विचलन एवं टी-मूल्य की गणना की गयी।

सारणी क्र. -01

क्रं.	शिक्षणविधि	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या (N)	मध्यमान (M)	प्रामाणिक विचलन (SD)	SED प्रामाणिक त्रुटि	t-मूल्य
1.	सक्रिय अधिगम विधि	60	2.42	2.40	0.44	13.07
2.	व्याख्यान शिक्षण विधि	60	21.67	2.42		

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि सक्रिय अधिगम विधि से प्राप्त उपलब्धि परीक्षण के मानों का मध्यमान 27.42 अर्थात दोनों समूहों में सार्थक अंतर पाया गया।

अतः 0.05 स्तर पर शून्य परिकल्पना अस्वीकृत हुई।

परिकल्पना क्र. H02 की पुष्टि :-

महिला बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों के द्वारा अभ्यास शिक्षण के दौरान सक्रिय अधिगम एवं व्याख्यान विधि से शिक्षण उपरांत प्राप्त मानों का विवरण निम्नानुसार है :-

सारणी क्र. -02

क्रं.	शिक्षणविधि	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या (N)	मध्यमान (M)	प्रामाणिक विचलन (SD)	SED प्रामाणिक त्रुटि	t-मूल्य
1.	सक्रिय अधिगम विधि	30	27.44	2.28	0.62	10.16
2.	व्याख्यान शिक्षण विधि	30	21.14	2.57		

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि सक्रिय अधिगम विधि से शिक्षण उपरांत प्राप्त मध्यमान 27.44 एवं प्रामाणिक विचलन 2.28 तथा व्याख्यान विधि से प्राप्त मध्यमान 21.14 प्रामाणिक विचलन 2.57 एवं टी-मूल्य 10.16 प्राप्त हुआ। जो कि 58 df पर 0.05 स्तर सार्थकता मूल्य 2.00 से अधिक है अर्थात दोनों समूहों में सार्थक अंतर पाया गया।

परिकल्पना क्र. H03 की पुष्टि :-

पुरुष बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों के द्वारा अभ्यास शिक्षण के दौरान सक्रिय अधिगम एवं व्याख्यान विधि से शिक्षण उपरांत प्राप्त मानों का विवरण निम्नानुसार है :-

सारणी क्र. -03

क्रं.	शिक्षणविधि	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या (N)	मध्यमान (M)	प्रामाणिक विचलन (SD)	SED प्रामाणिक त्रुटि	t-मूल्य
1.	सक्रिय अधिगम विधि	30	27.4	2.52	0.60	8.67
2.	व्याख्यान शिक्षण विधि	30	22.4	2.14		

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि सक्रिय अधिगम विधि से शिक्षण उपरांत प्राप्त मध्यमान 27.4 एवं प्रामाणिक विचलन 2.52 तथा व्याख्यान विधि से प्राप्त मध्यमान 22.4 प्रामाणिक विचलन 2.14 एवं टी-मूल्य 8.67 प्राप्त हुआ। जो कि 58 df पर 0.05 स्तर सार्थकता मूल्य 2.00 से अधिक है अर्थात दोनों समूहों में सार्थक अंतर पाया गया।

निष्कर्ष :-

परिकल्पनाओं की पुष्टि पश्चात् निम्नलिखित निष्कर्ष पाये गये।

- बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों के अभ्यास शिक्षण के दौरान सक्रिय अधिगम विधि एवं व्याख्यान विधि में सार्थक अंतर पाया गया।
- महिला बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों के अभ्यास शिक्षण के दौरान सक्रिय अधिगम विधि एवं व्याख्यान विधि में सार्थक अंतर पाया गया।

3. पुरुष बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों के अभ्यास शिक्षण के दौरान सक्रिय अधिगम विधि एवं व्याख्यान विधि में सार्थक अंतर पाया गया।

राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा (2005) में छात्रों को सक्रिय रखकर सिखाने पर बल दिया गया एवं अध्यापक शिक्षा के लिये राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा (2009) में भी अध्यापकों को सक्रिय अधिगम विधि की विभिन्न प्रविधियों का उपयोग कर शिक्षण देने की बात कही गयी। शोधों द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष प्राप्त हुये है कि सबसे स्थायी अधिगम छात्रों को सक्रिय रखकर ही दिया जा सकता है।

सुझाव :-

1. सक्रिय अधिगम विधि की विभिन्न प्रविधियों का अध्यापन हेतु प्रयोग करना।
2. पाठ्यवस्तु अनुसार सक्रिय अधिगम विधि की विभिन्न प्रविधियों का चुनाव करना चाहिये।
3. अध्यापन में व्याख्यान विधि की अपेक्षा सक्रिय अधिगम विधि को महत्व देना चाहिये।
4. छात्रों की क्षमतानुसार कार्य दिये जाने चाहिये।
5. बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों को नवीन एवं रोचक शिक्षण सहायक सामग्री बनाने पर जोर देना चाहिये।

संदर्भ :-

www.ssa.tn.nic.in/docu/alm-manual.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Active_learning
CC Bonwell, JA Eison - 1991 - ERIC
https://www.ydae.purdue.edu/.../Active_Learning_Creating_Excitement
eric.ed.gov/?id=ED358757
www.edutoday.in › active learning › teaching methodology
http://en.wikipedia.org/wiki/Mind_map
SCERT, RAIPUR/ALM Manual
<https://www.jigsaw.org/>
(University of Minnesota Center for Teaching and Learning)
www.ncert.nic.in/rightside/links/pdf/framework/english/nf2005.pdf
<https://www.britishcouncil.in/sites/default/files/ncfte-2010.pdf>



भारतीय अर्थव्यवस्था के अभिशाप : गरीबी, असमानता एवं बेरोजगारी

डॉ. श्रीमती ऋचा पाण्डेय

सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य विभाग)

दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

गरीबी का अर्थ उस सामाजिक क्रिया से है जब समाज का एक वर्ग अपनी सामाजिक आवश्यकता को भी पूरा नहीं कर सकता है। जब समाज का एक वर्ग न्यूनतम जीवन स्तर से वंचित रहता है और केवल निर्वाह स्तर पर गुजारा करता है, तो यह कहा जाता है कि समाज में व्यापक स्तर पर निर्धनता विद्यमान है। दुनिया के अधिकांश देशों में गरीबी बड़े पैमाने पर व्याप्त है परन्तु कुछ मात्रा में गरीबी समृद्ध एवं विकसित देशों में भी विद्यमान है।

गरीबी दो रूपों में देखी जा सकती है :-

- (1) सापेक्षिक प्रतिमान (Relative Measure)
- (2) निरपेक्ष प्रतिमान (Absolute Measure)

सापेक्षिक प्रतिमान :-

इसमें देश की जनसंख्या को आम उपभोग अथवा सम्पत्ति के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है, तथा सापेक्षिक स्थान देखा जाता है।

निरपेक्ष प्रतिमान:-

निर्धनता अथवा गरीबी के मापन के लिए निरपेक्ष मान अधिक उपयोगी होता है, क्योंकि इसमें गरीबी के मापन के लिए देश में विद्यमान एक न्यूनतम उपभोग स्तर को आधार बनाया जाता है तथा जो लोग इस न्यूनतम स्तर से नीचे जीवन यापन करते हैं उनको निर्धन अथवा गरीबों की श्रेणी में रखा जाता है।

भारत में गरीबी के मापन के लिए गरीबी रेखा को आधार बनाया गया है तथा इस गरीबी रेखा के लिए गाँवों तथा शहरों दोनों में उपभोग के लिए न्यूनतम आवश्यक कैलोरी का अलग-अलग निर्धारण किया गया है तथा इन कैलोरी को समय विशेष पर प्रचलित मूल्यों के आधार पर आवश्यक व्यय की राशि निर्धारित की जाती है तथा जो परिवार उस न्यूनतम व्यय से कम व्यय कर रहा है उसे गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। भारतीय योजना आयोग भी इसी पद्धति का उपयोग करते हैं।

(1) भारत में निर्धनों की संख्या व निर्धनता संबंधी अनुपात सारणी 1 में प्रदर्शित किया गया है।

सारणी 1 भारत में निर्धनता अनुमान

वर्ष	निर्धनों की संख्या	निर्धनता अनुपात
1999 - 2000	26 करोड़	26.1
2004 - 05	24 करोड़	21.8
2009 - 10	35.47 करोड़	29.8

उपर्युक्त सारणी में स्पष्ट है कि :

- (1) पंचवर्षीय योजनाओं में निर्धनता को समाप्त करने के लिए अनेक कार्यक्रम लागू किए गए परन्तु निर्धनता को कम करने में कोई विशेष सफलता नहीं मिली। भारत में वर्ष 1999-2000 में 26 करोड़ निर्धन व्यक्ति थे जिनकी संख्या बढ़कर 35 करोड़ हो गई है अर्थात् 2 करोड़ निर्धनों की संख्या कम की जा सकी। अनुमान है कि 2006-07 में निर्धनों की संख्या कम होकर 22 करोड़ हो गई है।
- (2) 1999-2000 में निर्धनता का प्रतिशत 26 था जो बढ़कर 2009 -10 में लगभग 30 प्रतिशत हो गया अर्थात् 4 प्रतिशत की कमी आई है।

सारणी -2 सर्वाधिक निर्धनता वाले राज्य

राज्य	निर्धनता की संख्या (लाख में)
उत्तर प्रदेश	737.9
बिहार	543.5
महाराष्ट्र	270.8
मध्य प्रदेश	261.8
पश्चिमी बंगाल	240.3

स्रोत: योजना आयोग के अनुमान के अनुसार

राष्ट्रीय आय के वितरण में परिवर्तन का किसी देश के आर्थिक कल्याण पर भी बहुत

प्रभाव पड़ता है। उत्पादन के विभिन्न साधनों (भूमि, पूँजी, श्रम, साहस, संगठन) का तुलनात्मक महत्व व कार्यक्षमता चूँकि भिन्न-भिन्न होती है। इस साधनों के गुण क्षमता रूचि तथा आवश्यकताओं में जो भिन्नता पाई जाती है उसी के कारण वितरण के क्षेत्र में पूर्ण समानता न तो संभव है और न ही वांछनीय।

वितरण की अत्यधिक विषमताओं के कारण जनसाधारण का जीवन स्तर बहुत नीचा गिर जाता है। वे अति आवश्यक अनिवार्यताओं का भी उपयोग करने में असमर्थ रहते हैं, उनकी कार्यक्षमता में अत्यधिक गिरावट आ जाता है, जिससे उत्पादन क्षमता घटती जाती है तथा कुल उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त जन साधारण की बचत करने की क्षमता में कमी आ जाती है। बचत का कार्य केवल कुछ धनिक व्यक्ति तक सीमित हो जाता है। इस प्रकार धन का संकेन्द्रण होने से धनिक और अधिक धनवान और निर्धन और अधिक निर्धन होता चला जाता है।

वितरण की अत्यधिक असमानताओं के कारण जन-साधारण की आमदानियों का गिरना, जीवन-स्तर का नीचा होना, उपभोग वस्तुओं की मांग के ह्रास उत्पादन में कमी बचतों में कमी, पूँजी निर्माण की नीची दर आदि तत्वों के कारण उत्पादन क्रिया का ह्रास होने लगता है, साधनों की मांग में कमी आ जाती है, बेरोजगारी फैलने लगती है तथा आय में कमी होने लगती है। यह आर्थिक कुचक्र स्थायी रूप धारण कर लेता है। इन सबके जो गंभीर समाजिक तथा अर्थिक दुष्परिणाम उत्पन्न होते हैं उनको ध्यान में रखकर वितरण की असमानताओं से कमी लाना आवश्यक है और वांछनीय है।

प्रत्येक सभ्य समाज में काम करने वाले समर्थ व्यक्तियों के लिए पूर्ण रोजगार होना नितान्त आवश्यक है। यदि किसी राष्ट्र में वहाँ के नागरिकों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हैं, तो वहाँ कभी भी पूर्ण शान्ति नहीं रह सकती। गरीबी की रेखा से ऊपर उठने और फिर उसे बनाये रखने के लिए उपयुक्त पारिश्रमिक व उचित कार्यकाल सहित एक विशाल पैमाने पर रोजगार के अवसरों की उपलब्धि एवं काम करने की साम्यमूलक अवस्थाओं का होना एक आधारभूत आवश्यकता है।

सामान्यतः बेरोजगारी से आशय उस अवस्था से है जिसमें देश में काम करने वाली आयु के योग्य एवं समर्थ व्यक्ति बहुत संख्या में होते हैं और ऐसे व्यक्ति काम करना चाहते हैं, परन्तु उनको प्रचलित मजदूरी पर काम प्राप्त नहीं हो पाता जो व्यक्ति शारीरिक अथवा मानसिक कारणों से कार्य करने के लिए अयोग्य है अथवा जो काम करना नहीं चाहते उन्हें बेरोजगारी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया जा सकता।

भारत में स्वतंत्रता के इतने वर्षों पश्चात भी बेरोजगारी की समस्या सुरक्षा के मुंह के समान उत्तरोत्तर फैलती जा रही है। बढ़ती हुई बेरोजगारी की इस समस्या के लिए कोई एक अकेला कारण उत्तरदायी नहीं है, परन्तु बढ़ती हुई जनसंख्या देश में पर्याप्त आर्थिक विकास का अभाव, विकासगत साधनों की कमी दूषित शिक्षा प्रणाली, कृषि का पिछड़ापन अनुपयुक्त तकनीक का प्रयोग, निजी क्षेत्र की प्रतिकूल भूमिका, श्रम शक्ति नियोजन का अभाव, श्रमिकों में गतिशीलता का अभाव, कुटीर व ग्राम उद्योगों का अभाव आदि अनेक तत्व इसके लिए उत्तरदायी है।

सारणी -3 पुरुष एवं महिला में बेराजगारी

क्षेत्र	पुरुष	महिलाएँ	कुल
ग्रामीण क्षेत्र	6.4	8.0	6.8
शहरी क्षेत्र	5.1	9.1	5.8
कुल	11.5	8.2	6.6

स्त्रोत : नेशनल सेम्पल सर्वे ऑगेनाईजेशन रिपोर्ट 2011

सारणी - 4 भारत में बेरोजगारी में क्षेत्रीय अन्तर (2010)

क्र.	राज्य	प्रतिशत	क्र.	राज्य	प्रतिशत
1.	भारत	3.8 प्रतिशत	7.	तमिलनाडू	2.1 प्रतिशत
2.	मिजोरम	0.3 प्रतिशत	8.	उत्तर प्रदेश	2.2 प्रतिशत
3.	गुजरात	0.9 प्रतिशत	9.	कर्नाटक	2.4 प्रतिशत
4.	हिमाचल प्रदेश	1.3 प्रतिशत	10.	ओडिशा	2.4 प्रतिशत
5.	राजस्थान	1.4 प्रतिशत	11.	महाराष्ट्र	2.6 प्रतिशत
6.	मध्य प्रदेश	2.1 प्रतिशत			

उपर्युक्त सारणी से ज्ञात होता हे , कि भारत में बेरोजगारी की दर भिन्न - भिन्न राज्यों में अलग - अलग है ।

निष्कर्षतः

हम कह सकते हैं कि भारत में गरीबी, असमानता व बरोजगारी की समस्या अति भीषण रूप धारण करती चली जा रही है। इन समस्याओं के समाधान की दिशा में अति गम्भीर प्रयास किये जाने चाहिए अन्यथा युवा शक्ति में बढ़ता हुआ असन्तोष ज्वालामुखी के रूप में फट पड़ेगा और क्रोध तथा आवेश धनिक व सशक्त वर्ग का विनाश कर देगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1. डॉ एम.डी. अग्रवाल एवं
डॉ. ओ.पी. गुप्ता | भारत के आर्थिक पर्यावरण | रमेश बुक डिपो जयपुर |
| 2. डॉ. पी.डी. माहेश्वरी एवं
डॉ. व्ही.डी. जोशी | भारत में आर्थिक विकास एवं
नियोजन | विवेक प्रकाशन |
| 3. रुद्रदत्त एवं के.पी.एम. सुंदरम | भारतीय अर्थव्यवस्था | एस. चन्द एंड कंपनी |
| 4. डॉ. वी.सी. सिन्हा एवं
डॉ. पुष्पा सिन्हा | व्यावसायिक पर्यावरण | एस.बी.पी.डी. पब्लिसिंग
हाउस |



मुक्त परंपरा के सवाहक कवि : सुरेश चन्द्र शुक्ल

डॉ. गणेश शंकर पाण्डेय
सहायक प्राध्यापक (हिन्दी)
दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर

सुरेश चन्द्र शुक्ल समसामयिक हिन्दी कविता के ऐसे हस्ताक्षर हैं जिसमें समसामयिक हिन्दी कविता का अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों एक साथ प्रासंगिक होता दिखाई देता है। कविता की मुक्त परम्परा के ऐसे संवाहक कवि हैं जिनमें वह सब कुछ है जो एक मुक्त कवि के लिए आवश्यक शर्त है, वह किसी खेमे या गुट वाले कवि नहीं है।

नवाबों कि नगरी में जन्में सुरेश चन्द्र शुक्ल ऐसे कवि हैं जिनका काव्य केवल स्वान्त सुखाय काव्य नहीं बल्कि उनका भोगा हुआ यथार्थ है। अप्रवासी हिन्दी कविता के ऐसे भीष्म कवि हैं जिनका काव्य वेदना (1976), रजनी (1984), दीप जो बुझते नहीं (1988), सम्भावनाओं की तलाश (1993), नीड में फंसे पंख (1999) से होता हुआ गंगा से गलोमा तक (2010) आकर इतना प्रौढ़ हो चुका है कि उसमें काव्य के अनेक रंग देखे जा सकते हैं।

सुरेश जी की कविता कल्पना लोक की कविता नहीं है बल्कि भोगे हुए यथार्थ की कविता है। इस कारण कविता का रूप गढ़ते समय इनका मन मस्तिष्क बिल्कुल योग साधना रूप लिए हुए दिखाई देता है। उन्होंने जितना भोगा है, देखा है, एहसास किया है उसे ही अपने कविता में उतारा भी है। जिस तरह जीवन जीना एक कला है उसी तरह कविता करना भी एक योग साधना है, उसी साधना के एक भीष्म सुरेश 'शरद आलोक' जी भी हैं। कभी राहुल साकृत्यायन ने 'बोल्गा से गंगा तक' जो परिकल्पना पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत की थी उसी प्रवृत्ति उसी योग के संवाहक सुरेश चन्द्र शुक्ल जी भी हैं-घूमना उनका यायावारी स्वभाव है। कभी-कभी ऐसा लगता है कि राहुल जी की घुमक्कड़ी स्वभाव का उन पर पूरा प्रभाव दिखलायी पड़ता है।

सुरेश जी की कविता के यथार्थ का सच्चा दस्तावेज है वह प्रकृति प्रेमी कवि हैं उनका अब तक का सम्पूर्ण काव्य इन्हीं बिन्दुओं के इर्द-गिर्द घूमता नजर आता है। 'गंगा से गलोमा तक' की अधिकांश कविताएं इसकी प्रमाणिकता सिद्ध करती हैं। वह कवि मुक्तिबांध की तरह कविता में सब कुछ कहने के आदी हैं उनकी कविता 'कवि-कविता' की प्रत्येक पंक्ति कुछ इसी तरह का संदेश देती है। इस संदर्भ में कविता की कुछ पंक्तियों दृष्टव्य है -

'कवि वही जो समय का सच कहे,
व्यर्थ की बात में कभी न बहे।'¹

सुरेश जी ने अपनी कविताओं में स्वदेश प्रेम को भी रेखांकित किया है उनका स्वदेश प्रेम उनका अन्तर्चेतना का प्रेम है जो स्वयं जन गण मन में अधिनायक बाद तक संचारित एवं प्रफुल्लित हुआ है। उनका स्वदेश प्रेम उन्हें मातृ संस्कृति से जोड़ता है जो स्वयं अन्तः हृदय में अपने आप बिना आवाज के झंकृत हो उठता है जिसमें स्मृतिमा, सांस्कृतियों सब कुछ एक सुनहरे गुलदस्ते में रखी हुई दिखाई देती है उनका प्रेम काल्पनिक स्वदेश प्रेम नहीं है। उनकी कविता 'स्वदेश प्रेम' की कुछ पंक्तियाँ इस सन्दर्भ में दृष्टव्य है -

जीवन नया देती है
संस्कृति जहाँ की नदियाँ

कविता की प्रत्येक पंक्तियों कहीं न कहीं बराबर उन्हें स्वदेश प्रेम की याद दिलाती है।

सुरेश जी का अप्रवासी जीवन बड़ा ही सुखमय है वह नार्वे में रहते हुए आल्सो की सैर पर जब निकलते हैं तो निष्पद भाव का उनका मानवीय कविरूप भी मांगते हुए भीखारी को प्रतिनिधित्व राष्ट्ररूप जो प्रस्तुत किया है वह अत्यन्त गम्भीर है वह भीखारी को भीख देना सही न मानते क्योंकि वह मजबूरी में भीख नहीं मांग रहा बल्कि नशे हेतु भीख मांग कर अपनी तृप्ति कर रहा है। कवि सुरेश कहते हैं कि भीख मांगना भीखारी की स्वयं की अभिव्यक्ति हो सकती है - किन्तु इससे राष्ट्र का अहित न हो उसे विश्व पटल पर हेय की दृष्टि से न देखा जाये-इससे प्रमाणिक है कि कवि की सोच राष्ट्रहित की सोच है। कविता 'आल्सो की सैर पर' भीख मांगता दर-दर कुछ पंक्तियों इसी ओर संकेत करती है -

ओल्सो की सैर पर
भीख मांगता दर-दर
हकलाता स्वर!³

शुक्ल जी की कविता मात्रा संवेदनाओं का एक ऐसा पुंज है जो स्वयं अपनी गाथा बयान करती है। जैसा कि उन्होंने गंगा और गोल्मा दोनों को जीवनी-संजीवनी शक्ति माना है उनके लिए गंगा भारत की पावन पयस्विनी है और दूसरी तरफ गोल्मा नार्वे (ओल्सो) की पुनीत सरिता-दो देशों की नदियों का जो सामागम रूप उन्होंने अपनी कविता में प्रस्तुत किया है वह अन्यन्त प्रशंसनीय है।

कवि सुरेश प्रकृति के धरोहर राष्ट्र भारत में जन्में हैं जहाँ प्रकृति के अनेक रूप हैं और उसके हर मौसम में उनका नाता जन्म जन्मान्तर का है। मातृ-भूमि का बसन्त उन्हें हर समय याद आता है चाहे वह भारत में हो या नार्वे में, उनका बसन्त हर समय उन्हें बुलाता है। इस कारण उन्होंने 'भारत और नार्वे दोनों देशों के बसन्त का तुलनात्मक स्वरूप अपनी कविताओं में उतारा

है, उनकी कविता की कुछ पक्तियां इसका प्रमाणिक दस्तावेज है -

‘महुआ महके
फूल उठे आमो के बौर
खिलते है कचनार और कनेर
पीले-पीले सरसों के फूलों ने
खेतों में पीले किये हाथ बन्धु’ (भारत के बसन्त का रूप)4

कवि की उत्कंठा मौसम के उस रूप से जुड़ने का जो उसे अच्छा लगता है इस कारण कवि बार-बार कभी मौसम के बहाने कभी नदियों के बहाने, आदि कई ऐसे प्रसंगों से जुड़ता है जिसमें दोनों देश (भारत एवं नार्वे) का रूप दिखाई दे।

सुरेश जी मातृभूमि के प्रति गहरी श्रद्धा रखने वाले कवि है इस कारण वह उसके अतीत को भी अपनी कविता में जगह देते हैं। वह केवल मातृभूमि के प्रकृति एवं सरिताओं का बखान ही नहीं करते हैं बल्कि मातृभूमि के आजादी के दीवानों को भी उन्होंने अपनी कविताओं में प्रमुख स्थान दिया है। ‘चन्द्रशेखर आजाद की स्मृति में’ कविता के बहाने राष्ट्र की स्वतंत्रता में शहीद वीरों को उन्होंने नमन किया है।

पूर्ण आजादी के मतवाले
भारत मां के लाल।5

कवि सुरेश जी केवल आजादीह के दीवानों के प्रति श्रद्धा नहीं प्रस्तुत किया है वह अपनी कविता में ‘दूर देश से आई चिट्ठी’ में देश में बिताये क्षणों, बचपन की यादों को, प्रकृति और मिट्टी की सौधी खुशबू, आदि कई प्रसंगों को जो जीवान्त रूप प्रस्तुत किया है वह एक प्रकार से कवि के श्रद्धावन्त भाव का वह रूप है जो किसी ने सुनी नहीं है बल्कि स्वयं भोगा है। कविता ‘दूर देश की आई चिट्ठी की कुछ पंक्तियों इसका सच्चा रूप है।

पत्र तुम्हारा रोज पढ़ा करते हैं।
भूल न जाना उनको जल्दी
यही आस रखते हैं -6

कवि सुरेश ‘शरद आलोक’ को ‘गंगा से ग्लोमा तक’ कविता संग्रह में ‘पत्रों’ पर दो कविताएं लिखी एक ‘दूर देश से आयी चिट्ठी’ और दूसरा ‘प्रवासी युवती का पत्र नार्वे के नाम’ पहली कविता (दूर देश से आयी चिट्ठी में उनकी यह संवेदना है जो स्वदेश छोड़ने पर जब वह अपने लोगों की खोज-खबर लेते हैं तो दूरी कविता में ‘प्रवासी युवती के पत्र’ के माध्यम से वह युवती के शरणार्थी जीवन के उन आनखुओं पहलुओं पर प्रकाश डाला है जो युवती ने शरणार्थी

शिविर में बिताये थे। कविता का हर पैराग्राफ युवती के उन विचारों का स्फुट भाव है जो उसने तिल-तिल कर शरणार्थी शिविर में जीये थे। तुम्हारी आंखे से लेकर, नयनों से बहने वाले झरने, नंगे विज्ञापनों को निहारने, कागज, कलम, डाक टिकट के लिए विवश होने तक तो रूप जो कवि ने रेखांकित किया है वह आज की समसामयिक कविताओं में नये प्रयोग रूप में दिखलायी दे रहा है। उनकी कविता की कुछ पंक्तियां इस संदर्भ में दृष्टव्य है -

तुम मुझे जानते हो ?
नहीं, तुम सत्य कहते हो
तुम मुझे नहीं जानते।
मैं वह युवती हूं
जो कभी बालिक शरणार्थी बनी थी
तुम्हारे देश में !'

कवि सुरेश 'शरद आलोक' कविता के बहाने अपनी सोच की प्रत्येक विचारधारा जब तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं क्योंकि वह जन के कवि हैं और उनकी कवितायें जन के लिए ही हैं।

कवि सुरेश नबावों की नगरी लखनऊ में जन्में हैं, प्रत्येक कवि का यह स्वभाव है कि वह जन्म स्थल से पृथक् नहीं हो पाता है। उसी प्रकार कवि सुरेश 'शरद आलोक' भी अपने लखनऊ की चाशनी को भूल नहीं पाते और साथ ही साथ लखनऊ की सदी उन्हें नार्वे में भी याद आती है। 'लखनऊ की चाशनी कहां गयी' और 'लखनऊ में सदी है' में उनका वही कवि भाव उमड़ा है जैसे कवि सर्वेश्वर 'कुआनों नदी' कविता में बहाने अपनी जन्म भूमि बस्ती को याद करते हैं। उनकी कविता की कुछ पंक्तियां इसका प्रमाण हैं -

लखनऊ का पान
वह शऊर, प्रेम पकवान
जहां बेला, चमेली, सितारा और चांदनी
यहां गरीब माध्यम और अमीर एक है
यहां महंगाई की गुण्डागर्दी है
हां लखनऊ में सदी है। (लखनऊ में सदी है)⁸

कवि सुरेश 'शरद आलोक' का काव्य रचना संसार जीवन की अनेक परतों को समयानुसार उतारता चलता है उनका काव्य मन स्वभाव हर समय एक सचेत कवि की भांति नये विषय, नये शिल्प, नये बिम्ब गढ़ता है यही कारण है कि आज कविता के बदलते परिदृश्य और प्रतिमानों में उनके काव्य को स्थान मिला है वह अप्रवासी हिन्दी कविता के ऐसे भीष्म कवि हैं

जो एक पूरे शताब्दी के कवि है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले नये वर्ष में कवि सुरेश 'शरद आलोक' नई कविता में नये विषयों को लेकर हम पाठकों को सोचने एवं समझने के लिए नया ताना-बाना बुनेंगे।

संदर्भ -

1. गंगा से ग्लोमा तक, सुरेश चन्द्र शुक्ल, कवि कविता, कविता से पृ. 103
2. गंगा से ग्लोमा तक, सुरेश चन्द्र शुक्ल, स्वेदश प्रेम कविता से पृ.54
3. गंगा से ग्लोमा तक, सुरेश चन्द्र शुक्ल, ओस्लो की सैर पर भीख मांगता दर-दर, कविता से पृ.76
4. गंगा से ग्लोमा तक, सुरेश चन्द्र शुक्ल, चन्द्रशेखर आजाद की स्मृति कविता से, पृ. 88
5. गंगा से ग्लोमा तक, सुरेश चन्द्र शुक्ल, दूर देश से आयी चिट्ठी कविता से, पृ. 55-66
6. गंगा से ग्लोमा तक, सुरेश चन्द्र शुक्ल, प्रवासी युवती का पत्र नार्वे के नाम कविता से पृ. 55-56
7. गंगा से ग्लोमा तक, सुरेश चन्द्र शुक्ल, लखनऊ की चासनी कहाँ गयी कविता से पृ. 34
8. गंगा से ग्लोमा तक, सुरेश चन्द्र शुक्ल, लखनऊ में सर्दी है, पृ. 36



छत्तीसगढ़ राज्य में वनों पर आधारित उद्योगों के विकास की सम्भावनाएँ

प्रो. दिव्या शुक्ला
दुर्गा महाविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ औद्योगिक दृष्टि से एक सम्पन्न राज्य है। यहाँ विभिन्न उद्योगों के विकास हेतु नैसर्गिक संसाधन उपलब्ध है। विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों की उपलब्धता के कारण राज्य में जहाँ एक ओर खनिज आधारित उद्योगों का विकास हुआ है, वहीं दूसरी ओर वन-सम्पदा में धनी होने के कारण राज्य में वन आधारित कई उद्योग स्थापित हुए हैं। खनिज आधारित एवं वन आधारित उद्योग के अलावा राज्य में कृषि आधारित उद्योगों का भी विकास हुआ है। राज्य के प्रमुख उद्योगों को हम निम्नलिखित तीन श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं :-

- (1) खनिज आधारित उद्योग।
- (2) वन आधारित उद्योग।
- (3) कृषि आधारित उद्योग।

यहाँ पर हम वन आधारित उद्योगों के विकास की सम्भावनाओं का अध्ययन करेंगे।

छत्तीसगढ़ प्रदेश के निवासी मुख्यतः आदिवासी एवं पिछड़े वर्ग के लोगों का बाहुल्य है। अशिक्षा, आर्थिक-पिछड़ापन, विपणन-व्यवस्था तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं का अभाव इनकी जीवन शैली में प्रतिबिम्बित होता है। आर्थिक एवं सामाजिक विकास की संभावनाओं को टटोलें तो वनों की पर्याप्त सघनता के चलते वन आधारित उद्योग विशेषकर कुटीर उद्योगों के विकास की सम्भावनाएँ अधिक उज्ज्वल हैं। वन आधारित उद्योगों की स्थापना से एक ओर जहाँ जंगलों के संरक्षण को भरपूर बल मिलेगा, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के रहवासियों की आर्थिक-स्थिति को मजबूती देने में भी सहायता मिलेगी, साथ ही वनवासियों को पर्याप्त मात्रा में रोजगार उपलब्ध हो पाएगा। वहीं वनों का विनाश भी रूकेगा। इस प्रदेश में वन आधारित लघु एवं कुटीर उद्योग सफलतापूर्वक चलाए जा सकते हैं। लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना एवं विकास के दृष्टिकोण से निम्न उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए :-

- (1) बाँस आधारित कुटीर उद्योग :-

बाँस आधारित कुटीर उद्योग जैसे सूपा, टोकरी, चटाई, चन्द्रिका, छावड़ा, फर्नीचर,

खिलौने, शो-पीस, अगरबत्ती, कांडी आदि के निर्माण की स्थापना की जा सकती है जिससे धनवार एवं बंसोड़ जैसे कमजोर वर्ग के लोगों की आर्थिक-स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। प्रदेश के बाँस वन अत्यधिक जैविक-दबाव के कारण बिगड़े स्वरूप में हैं। संयुक्त वन प्रबंधन के माध्यम से इन वनों को पुनर्स्थापित कर बाँस आधारित कुटीर उद्योग हेतु लोगों को कच्चा माल निरंतर प्रदाय किया जा सकता है। गैर वन-क्षेत्र में भी बाँस रोपण को अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है, तथा बंसोड़ जनजाति के उद्धार हेतु बाँस एवं उससे बनने वाली सामग्री के उत्पादन को प्राथमिकता देते हुए इन उद्योगों की स्थापना की जा सकती है। स्थानीय बाजार उपलब्ध होने से इन्हें बेचने की समस्या भी नहीं होगी। इसी उद्देश्य से प्रदेश में बंसोड़ों के लिए उत्पादन को ध्यान में रखते हुए बाँस खरीदी में उन्हें विशेष छूट के दायरे में रखा गया है। उनके द्वारा बनायी गयी सामग्रियों पर किसी प्रकार का टैक्स भी सरकार द्वारा नहीं लगाया जा रहा है।

(2) पैकिंग डिब्बे एवं फोटो फ्रेम उद्योग :-

इस प्रकार की सामग्री की माँग वर्ष पर्यन्त बने रहने से इसका उत्पादन करने वालों को संबल मिलता है। कच्ची सामग्री के रूप में बाँस का प्रयोग होने से लागत भी अधिक नहीं आती है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में बंसोड़ों अथवा धनवारों द्वारा बनायी जा सकने वाली पैकिंग डिब्बे और फ्रेम जैसी आकर्षक सामग्री की माँग बाजार पूरे भारत वर्ष में विस्तृत रूप से फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ के उत्पादित बाँस में गुणवत्ता होने से बनायी जाने वाली वस्तुएँ भी गुणवत्ता के साथ बाजार में उतारी जा रही हैं, इससे और अधिक उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है। यह कहा जा सकता है कि इस प्रदेश के उत्पाद को बेचने के लिए बाजार की तलाश नहीं करनी पड़ती है, बल्कि ग्राहक स्वयं इन्हें ढूँढते हुए उत्पादकों तक पहुँचते हैं। बाँस के अलावा ऐसी सामग्रियाँ सरई, मोयन, केवट, भँवरमाल आदि प्रजातियों के वृक्ष से भी तैयार की जा सकती हैं। इन प्रजातियों के वृक्ष प्रदेश के वनों में बहुतायत में उपलब्ध होने से कच्ची सामग्री की समस्या भी नहीं है, साथ ही आसानी से और कम कीमत पर उपलब्ध होने से उत्पाद भी सस्ते में बेचे जा सकते हैं। इस प्रकार का उद्योग छत्तीसगढ़ में तेजी से विकास कर सकता है। इस उद्योग के पनपने की प्रबल सम्भावना है।

(3) काष्ठ - खिलौना उद्योग :-

छत्तीसगढ़ के वनों में हल्दू दूधी, मुण्डा, खम्हार, आदि प्रजातियों के वृक्ष काफी संख्या में उपलब्ध हैं। इन वृक्षों की लकड़ियाँ नरम होने के साथ चिकनाई लिए होती हैं। अतः खिलौने आदि बनाने में काफी आकर्षक रूप निखर कर आता है। आसानी से उपलब्ध इन लकड़ियों के कच्चे माल के रूप से प्राप्त होने से कारीगरों को भी इस क्षेत्र में काम करने का हौसला मिलता

है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ काष्ठ खिलौनों का उद्योग छत्तीसगढ़ राज्य में तेजी के साथ फल-फूल सकता है एवं उपलब्ध विभिन्न प्रजातियों के उपयोग से काष्ठ खिलौना उद्योग के विकास की प्रबल सम्भावनाएँ हैं।

(4) ऑक्जेलिक एसिड उत्पादन :-

विभिन्न प्रकार के घरेलू वस्तुओं के उत्पादन के साथ बच्चों को रिझाने वाले खिलौनों के उत्पादन के साथ ही साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश में ऑक्जेलिक एसिड उत्पादन की संभावनाएँ भी उज्ज्वल दिखाई पड़ती हैं। इस एसिड के उत्पादन में साल वृक्ष की छाल उपयोगी होती है। ऑक्जेलिक एसिड के उत्पादन में साजा छाल का प्रयोग कच्चे माल के रूप में होता है। छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल के 43 प्रतिशत भू-भाग में लगे वनों में साल वृक्षों की संख्या सबसे अधिक होती है। अतः ऑक्जेलिक एसिड के उत्पादन हेतु कच्चे माल की उपलब्धता अच्छी है। इसलिये यह कहा जा सकता है कि एसिड निर्माण अथवा उत्पादन में छत्तीसगढ़ प्रदेश अग्रणी हो सकता है। यदि इस प्रकार के उद्योगों के प्रति शासन गंभीर हो और इसे स्थापित करने की इच्छा रखने वाले उद्योगपतियों को अनुदान सहित वित्तीय सहायता प्रदान करे, तो इस क्षेत्र में यह उद्योग भारत वर्ष को एक अलग पहचान दिला सकता है। सरकार चाहे तो सहकारी समितियों के माध्यम से इस प्रकार के उद्योग को बढ़ावा दे सकती है। फलस्वरूप ऑक्जेलिक एसिड निर्माण की इकाई सुगमता से चलाई जा सकती हैं।

(5) लाख-उद्योग :-

छत्तीसगढ़ प्रदेश के वनों में कुसुम, पलाश तथा बेल के वृक्ष भी बहुतायत में उपलब्ध हैं। इन वृक्षों पर लाख के कीड़े का पालन करके लाख का उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। चूँकि लाख के वृक्षों की संख्या कम नहीं है अतः कीड़ों का पालन भी बड़ी मात्रा में हो सकेगा और इस प्रकार उनकी सहायता से लाख का उत्पादन भी बड़ी मात्रा में हो सकता है। लाख की पर्याप्त उपलब्धता के साथ ही दाई तथा चूड़ी व्यवसाय तथा अन्य बनायी जा सकने वाली सामग्री के उद्योग को नया जीवन मिलने के साथ राजस्व में वृद्धि भी की जा सकती है।

(6) कोसा-उद्योग :-

छत्तीसगढ़ के वनों में अर्जुन एवं साजा प्रजाति के वृक्षों की प्रचुरता के कारण कोसा का उद्योग आसानी से कुटीर उद्योग के रूप में विकसित किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के जाँजगीर-चाँपा, बिलासपुर, बस्तर एवं रायगढ़ में कोसा का उत्पादन विगत कई वर्षों से किया जा रहा है। यहाँ का कोसा गुणवत्ता के मामले में विश्वस्तरीय पहचान रखता है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में इस प्रकार के उद्योगों को और अधिक विकसित किया जा सकता है। प्रदेश के वनों में

इस उत्पादन से संबंधित अर्जुन एवं साजा प्रजाति के वृक्षों की प्रचुरता के कारण कोसा का उद्योग आसानी से कुटीर उद्योग के रूप में विकसित किया जा सकता है। रायगढ़ और जाँजगीर-चाँपा के साथ ही बिलासपुर और बस्तर के कुछ क्षेत्रों में भी वर्तमान में कोसा का उत्पादन किया जा रहा है, किन्तु कच्ची सामग्री की प्रचुर मात्रा की तुलना में लिया जाने वाला उत्पादन काफी कम है।

रेशम-विभाग द्वारा वन भूमि पर कई स्थानों पर कोसा-कृमिपालन के केन्द्र स्थापित किए गए हैं, जहाँ पर कोसा कृमि का कार्य किया जा रहा है तथा ग्रामीणों को कोसा कृमि पालन हेतु प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वन विभाग द्वारा वन क्षेत्रों में कोसा - कृमिपालन हेतु अर्जुन रोपण किया गया है। यद्यपि कोसा उत्पादन में छत्तीसगढ़ की पहचान बनी हुई है, किन्तु शासन के प्रयास से इस व्यवसाय को और अधिक विकसित किया जा रहा है।

(7) बीड़ी-उद्योग :-

छत्तीसगढ़ प्रदेश के वनों से पाया जाने वाला तेंदूपत्ता बीड़ी उद्योग की दृष्टि से सबसे अच्छा माना जाता है। तेंदूपत्ता संग्रहण आदिवासी परिवारों का मुख्य कार्य है। प्रदेश में तेंदूपत्ता संग्रहण ग्रामीण आदिवासी परिवारों की आय का प्रमुख साधन है, चूँकि इस क्षेत्र में तेंदूपत्ता प्राकृतिक रूप में उत्कृष्ट गुणवत्ता का होता है, अतः यहाँ पर बीड़ी निर्माण उद्योग स्थापना की भी प्रबल सम्भावनाएँ हैं। यद्यपि रायपुर, धमतरी आदि नगरों में बीड़ी निर्माण कार्य निजी तौर पर होता है, पर यहाँ का अधिकतर बीड़ी पत्ता बाहर चला जाता है और इसका प्रमुख केन्द्र जबलपुर में है। बीड़ी उद्योग वर्षभर चलने वाला उद्योग है। इससे ग्रामीण आदिवासियों की बेरोजगारी की समस्याओं को खत्म किया जा सकता है तथा उनके आर्थिक-स्थिति को मजबूती प्रदान किया जा सकता है। अतः अत्यधिक उत्पादन को ध्यान में रखते हुए उद्योगों की संख्या में वृद्धि करके तेंदूपत्ता आधारित उद्योगों की स्थापना की जा सकती है। बीड़ी उद्योग स्थापना की प्रबल संभावनाएँ छत्तीसगढ़ राज्य में परिलक्षित होती हैं।

(8) त्रिफला-एक्सट्रेक्ट :-

प्रदेश के वनों में आँवला, बहेरा तथा हर्षा प्रजातियों के वृक्ष उपलब्ध हैं जिनके फलों का उपयोग करके त्रिफला एक्सट्रेक्ट निर्मित किया जा सकता है।

(9) दोना-पत्तल निर्माण उद्योग :-

साल तथा माहुल के पत्तों से बनने वाले दोना पत्तल का व्यवसाय इस प्रदेश के विकास में अपना योगदान कर सकता है। यहाँ के जंगलों में साल तथा माहुल प्रजाति के वृक्ष प्रचुर संख्या में हैं। इन वृक्षों के पत्तों का उपयोग करते हुए उच्च श्रेणी के दोना-पत्तलों का उत्पादन

आसानी से किया जा सकता है, चूँकि इस प्रदेश में आदिवासी और जनजातियों का बाहुल्य है। अतः दोना-पत्तल आधारित कुटीर उद्योग आसानी से स्थापित किए जा सकते हैं। इन जातियों में होने वाले विवाह कार्यक्रम से लेकर अन्य सामाजिक आयोजनों में सामूहिक भोज अनिवार्य माना जाता है। भोजन ग्रहण करने के लिए इन दोना-पत्तल का ही प्रयोग किया जाता है। अतः दोना-पत्तल व्यवसाय के फलने-फूलने की संभावनाओं पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाए जा सकते हैं।

(10) साल तेल एवं कोको बटर उद्योग :-

साल बीज से तेल प्राप्त होता है तथा तेल से कोको बटर प्राप्त होता है जिसकी माँग देश-विदेश में अधिक है।

(11) रस्सी निर्माण उद्योग :-

छत्तीसगढ़ प्रदेश के वनों में सवाई घास प्राकृतिक रूप से मिलती है साथ ही सवाई के रोपण भी आसानी से किए जा सकते हैं। वन विभाग द्वारा विगत वर्षों से रोपणों की खन्ती के मेढ़ों पर रोपित किए जा रहे हैं जिसका कच्चे माल के रूप में उपयोग करके रस्सी निर्माण का उद्योग सफलतापूर्वक चलाया जा सकता है।

(12) टैनिन-उद्योग :-

हरा से टैनिन बनाने का कारखाना विकसित किया जाता है।

(13) कागज-उद्योग :-

राज्य में कागज उद्योग हेतु कच्चे माल की पर्याप्त उपलब्धता के कारण इस उद्योग के विकास की पर्याप्त संभावनाएँ मौजूद हैं। राज्य में मध्य-भारत पेपर मिल चांपा का तथा बुक बॉण्ड इंडिया लिमिटेड पेपर एवं पल्प का उत्पादन करती है। बस्तर एवं बिलासपुर में कागज उद्योग के विकास पर ध्यान दिया जा रहा है।

(14) लकड़ी चीरने का उद्योग :-

इस उद्योग के अंतर्गत इमारती लकड़ी के लट्ठे को कारखानों में लाकर चीरे जाते हैं। इमारती लकड़ी हेतु रायपुर बड़ा बाजार के रूप में विकसित हुआ है। राज्य के राजनाँदगाँव, दुर्ग, कवर्धा, डोंगरगढ़, खैरागढ़, रायपुर के समीपवर्ती क्षेत्रों में यह उद्योग फैला हुआ है। दण्डकारण्य क्षेत्र में साल, सागौन, बीजा आदि लकड़ियाँ अधिक होती हैं, जो फर्नीचर हेतु उपयुक्त हैं। राज्य में लकड़ी चीरने के कारखाने मुख्यतः जगदलपुर, कोंडागाँव, काँकर, नारायणपुर तथा दंतेवाड़ा में स्थित हैं।

(15) कत्था-उद्योग :-

राज्य में कत्था उद्योग का विकास सरगुजा जिले में हुआ है। सरगुजा वुड प्रोडक्ट्स, अम्बिकापुर द्वारा कत्था का उत्पादन होता है।

(16) हरी निकालने का उद्योग :-

राज्य में हरी निकालने का कारखाना धमतरी और रायपुर जिलों में स्थापित है। हरी का उपयोग स्याही बनाने, चमड़ा साफ करने आदि में होता है।

छत्तीसगढ़ में वनाधारित कुटीर उद्योगों की विपुल सम्भावनाएँ हैं। अधिकांश उद्योगों के लिए कच्चे माल का स्रोत प्राकृतिक वन है। छत्तीसगढ़ में विगत कई वर्षों में आबादी के प्रसार से जहाँ वन-क्षेत्रों में कमी आई है, वहीं वनोपजों की उपलब्धता में भी गिरावट आई है। अतः संयुक्त वन प्रबंध के अंतर्गत गठित वन समिति एवं वन सुरक्षा समितियों को इस प्रकार प्रशिक्षित किए जाने की आवश्यकता है कि उनको आंबटित वन क्षेत्रों से प्राप्त होने वाली वनोपजों का विदोहन इस प्रकार प्रबंधित हो कि वनों को बिना नुकसान पहुँचाये ही वनोपज निरन्तरता में उपलब्ध हो सके। साथ ही बिगड़े वन-क्षेत्रों की सुरक्षा एवं संवर्धन करके उनको भविष्य में वनोपज उत्पादन योग्य बनाया जा सकता है।

इस प्रकार हम उपरोक्त अध्ययन कर निष्कर्षतः कह सकते हैं छत्तीसगढ़ राज्य में वन आधारित उद्योगों के विकास की प्रबल सम्भावनाएँ हैं। आज वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में वनोपज पर आधारित 10 हजार औद्योगिक इकाईयाँ हैं। जो कि किसी भी प्रदेश के आर्थिक-विकास के लिए महत्वपूर्ण संकेतक है। अतः इस प्रदेश में संचालित लघु एवं कुटीर उद्योग के विकास के लिए हमें दृढ़-संकल्पित हो इन पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

स्रोत :-

1. छत्तीसगढ़ भाग - 1 प्राकृतिक, मुस्कान - पब्लिकेशन।
2. छत्तीसगढ़ - वृहद्-संदर्भ, उपकार - प्रकाशन।
3. संसाधन और पर्यावरण-भूगोल, साहित्य भवन पब्लिकेशन, डॉ. चतुर्भुज मामोरिया।
4. छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, ल्यूसेन्ट पब्लिकेशन, नीरज चौधरी, संजीव चौधरी।
5. इंटरनेट - वेबसाइट्स।



Role and Impotance of Management

Shivam dixit
Asst.Professor management

Definition of management-It is difficult to define management .In fact no definition of management has been universally accepted. One popular definition is by mary parker Follett.management she says is the "art of getting things done through people."This definition calls attention to the fundamental difference between a manager and other personnel of an organization. A manager is one who contributes to the organisation's goals indirectly by directing the efforts of others-not by performing the task himself. On the other hand a person who is not a manager makes his contribution to the organisation's goals directly by performing the task himself.

IMPORTANCE OF MANAGEMENT-

Formerly the word "management" was used mostly in relation to circuses and restaurants. But of late it has acquired much glory and significance. Let us discuss the reasons which have made it so important.

According to **Peter Drucker**,

"Management is what the modern world is all about."

This statement means that all the development that has taken place in the world is due to efficient management.

The points below bring out the **significance** or importance of management.

1. Encourages Initiative

Management encourages initiative. Initiative means to do the right thing at the right time without being told or influenced by the superior. The employees should be encouraged to make their own plans and also to implement these plans. Initiative gives satisfaction to employees and success to organisation.

2. Encourages Innovation

Management also encourages innovation in the organisation. Innovation brings new ideas, new technology, new methods, new products, new services, etc. This makes the organisation more competitive and efficient.

3. Facilitates growth and expansion

Management makes optimum utilisation of available resources. It reduces wastage and increase efficiency. It encourages team work and motivates employees. It also reduces absenteeism and labour turnover. All this results in growth, expansion and diversification of the organisation.

4. Improves life of workers

Management shares some of its profits with the workers. It provides the workers with good

working environment and conditions. It also gives the workers many financial and non-financial incentives. All this improves the quality of life of the workers.

5. Improves corporate image

If the management is good, then the organisation will produce good quality goods and services. This will improve the goodwill and corporate image of the organisation. A good corporate image brings many added benefits to the organisation.

6. Motivates employees

Management motivates employees by providing financial and non-financial incentives. These incentives increase the willingness and efficiency of the employees. This results in boosting productivity and profitability of the organisation.

7. Optimum use of resources

Management brings together the available resources. It makes optimum (best) use of these resources. This brings best results to the organisation.

8. Reduces wastage

Management reduces the wastage of human, material and financial resources. Wastage is reduced by proper production planning and control. If wastage is reduced then productivity will increase.

9. Increases efficiency

Efficiency is the relationship between returns and cost. Management uses many techniques to increase returns and to reduce costs. Higher efficiency brings many benefits to the organisation.

10. Improves relations

Management improves relations between individuals, groups, departments and between levels of management. Better relations lead to better team work. Better team work brings success to the organisation.

11. Reduces absenteeism and labour turnover

Absenteeism means the employee is absent without permission.

Labour Turnover means the employee leaves the organisation.

Labour absenteeism and turnover increases the cost and causes many problems in the smooth functioning of the organisation. Management uses different techniques to reduce absenteeism and labour turnover in the organisation.

12. Encourages Team Work

Management encourages employees to work as a team. It develops a team spirit in the organisation. This unity bring success to the organisation.

Role of management

A manager's role is very crucial in an organization. The success of organization depends upon manager's ability in utilizing the resources for achieving the pre determined goals. Henry Mintzberg suggested three areas where a manager has to work -

- 1} Interpersonal role
 - 2} Informational role
 - 3} Decisional role
- 1} Interpersonal roles of a manager are concerned with his interacting with people both inside the organization and outsiders.
 - 2} Informational role involves receiving, collecting, and distributing information as required.
 - 3} Decisional role is a very important role. A manager has to take decisions daily.

Reference

BOOK-

P.C. TRIPATHI AND P.N. REDDY - PRINCIPLES OF MANAGEMENT WEB SITE -
WWW.GOOGLE.COM



भाषा की परिवर्तनशीलता

डॉ. मोती लाल शाकार
सहायक प्राध्यापक
भाषा विज्ञान
दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर

प्रस्तावना:-

परिवर्तन सृष्टि का नियम है। संसार की प्रत्येक वस्तु में परिवर्तन है। परिवर्तन ही जीवन है, चेतना, विकास और उल्लास है। जहाँ परिवर्तन नहीं है, वहाँ जीवन भी नहीं है, मानव में जीवन है, चेतना है, अतः परिवर्तन भी स्वभाव सिद्ध है। मानव की भाषा मानव का एक अंग है, उसमें भी सृष्टि के नियमानुसार परिवर्तन, परिवर्धन, क्षरत्व और नित-नूतन रमणीयत्व है। आचार्य यास्क ने निरुक्त में आचार्य वार्ष्पायणि का मत उद्धृत किया है प्रत्येक भौतिक तत्व में षड्विध विकार होता है-उत्पत्ति, स्थिति विकास, वृद्ध, क्षय और विनाश।¹ परिवर्तन के आधार पर ही इस सृष्टि के जगत् और संसार नाम पड़े हैं।

परिवर्तन संसार के प्रत्येक पदार्थ में प्रतिदिन दृष्टिगोचर होता है। फूल कली के रूप में आता है, खिलता है, मुरझाता है, नष्ट हो जाता है। बालक जन्म लेता है, युवा होता है, वृद्ध होता है नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार भाषा भी उत्पन्न होती है, बढ़ती है और परिवर्तित होती जाती है जिस प्रकार 'मनुष्य' वासांसि जीर्णानि यथा विहाय के अनुसार पुराने वस्त्र के तुल्य पुराने भाषा भी परिवर्तन के इस क्रम में अपना पुराना चोला उतार कर नया चोला पहन लेती है जैसे - संस्कृत: पालि प्राकृत अपभ्रंश और वर्तमान आर्य भाषा हिंदी के रूप में अभिनय के लिए प्रस्तुत हुई है।²

भाषा की उपमा नदी के प्रवाह से दी जाती है जिस प्रकार नदी अपने उद्गम स्थल से निकलकर निरंतर बहती जाती है। उसमें अनेक नाले, स्रोत, नदी और नद् मिलते जाते हैं, उसके स्वरूप में परिवर्तन और परिवर्तन होता जाता है, परंतु उसका नाम वही प्रचलित रहता है। जैसे- गंगा, गंगोत्री से प्रादुर्भूत होती है, असंख्य छोटे स्रोतों का पानी उसमें मिलता जाता है फिर भी वह गंगा के नाम से जाना जाता है।

विकास के कारण स्वयं भाषा में विद्यमान रहते हैं-

"भाषा के विकास अथवा परिवर्तन के कारण स्वयं भाषा में विद्यमान है। मनुष्य, भाषा समाज के संसर्ग में सीखता है। इस सांसारिक परिवेश में परिवर्तन के साथ ही भाषा में भी परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है। संसर्ग अथवा परिवेश की भिन्नता के अतिरिक्त शारीरिक गठन

और अभ्यास में अंतर के कारण भी भाषा में परिवर्तन हो जाता है। विभिन्न व्यक्तियों के उच्चारणों में भिन्नता के कारण भी भाषा में विकास हो जाता है।"³

स्थान काल और परिस्थिति भेद से भिन्नता-

स्थान भेद, काल भेद और परिस्थिति भेद से उसमें परिवर्तन या भिन्नता दृष्टिगोचर होती है। भारतीय आर्यभाषाएँ एक ही मूल भाषा से निकली हैं। परंतु स्थान भेद से वे आज हिंदी, बंगला, गुजराती, मराठी, पंजाबी आदि विभिन्न रूपों में प्रचलित हैं। परिस्थिति की विभिन्नता राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों से होती है। प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण प्राचीन यज्ञ परंपरा नष्ट हो जाने से सैकड़ों यज्ञ संबंधी पारिभाषिक नाम और पात्र आदि के नाम नष्ट हो गए हैं।

"अवस्थादेशकालानां भेदाद्भिन्नासु शक्तिषु।"⁴

भाषा परिवर्तन के कारण-

भाषा परिवर्तन के कारणों के संबंध में भाषाओं में गहरा मतांतर है। फिर भी अधिसंख्य भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा में बदलाव के लिए मोटे तौर पर दो कारण माने हैं- 1. आंतरिक कारण 2. बाह्य कारण

आंतरिक कारण-

1. प्रयत्न लाघव-

आटो येस्पर्सन ने प्रो. ह्विटनी का कथन उद्धृत किया है कि मानव की प्रवृत्ति रही है कि वक्तव्य के लिए वाग्यंत्र सुकर होना चाहिए। इससे समय व श्रम की बचत होती है।"⁵ मनुष्य की उक्त प्रवृत्ति भाषा प्रयोग में भी साथ लगी रहती है। कम से कम बोलकर पूर्ण अभिव्यक्ति की अकांक्षा ही प्रयत्न लाघव को जन्म देती है। भाषा परिवर्तन के आंतरिक कारणों में प्रयत्न लाघव को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया गया है। श्रम से बचने की इस मनोवृत्ति के फलस्वरूप ही लोग शुक्ल दिवस को सुदी, बहुल दिवस को बदी, टेलीफोन को फोन, अहमदाबाद को अमदाबाद कहते हैं।

2. बलाघात -

किसी शब्द के उच्चारण में कभी-कभी ध्वनि पर अधिक तथा किसी ध्वनि पर कम बल दिया जाता है। उक्त प्रक्रिया को बलाघात कहते हैं। बलाघात से ध्वनियों के लुप्त हो जाने के

कारण शब्द रूप परिवर्तित हो जाते हैं यथा-सुवर्णकार से सोनार, चर्मकार से चमार, कुंभकार से कुम्हार, निम्ब से नीम, लोहकार से लुहार आदि।

भावातिरेक-

‘भाषा परिवर्तन में भावातिरेक का भी योगदान रहता है। प्रेम, शोक, घृणा, क्रोध आदि भाषा कभी-कभी मनुष्य को अपने में इस कदर निमग्न कर डालते हैं कि व्यक्ति आत्मविभोर हो जाता है। ऐसी स्थिति में मनुष्य की जुबान से उच्चारित शब्दों की फिसलन का घनत्व ज्यादा बढ़ जाता है। आत्मविभोरी व्यक्ति विचित्र ढंग से शब्दों का उच्चारण करने लगता है, जिससे उसके मुख से उच्चारित ध्वनियाँ और शब्द परिवर्तित हो जाते हैं। कभी-कभी प्रेम और दुलार के कारण लोग अपने बच्चों के नामों को परिवर्तित कर देते हैं-‘बीर बहादुर का बीरू, मनोरमा का मन्नू नरेन्द्र को नरेन्द्रा रूप में उच्चारित करता है।’

शारीरिक विभिन्नता-

वैयक्तिक विभिन्नता भी भाषा परिवर्तन में कुछ अंशों में सहायक होती है। भाषा मानव की अर्जित संपत्ति है। भाषा अर्जन में व्यक्ति अनेक भाषिक तत्वों को ग्रहण करता है तथा अनेक तत्व उससे छूट भी जाते हैं। उक्त ग्रहण तथा परित्याग का मूल कारण व्यक्ति की व्यक्तिगत क्षमता एवं उसकी निजी विशेषता है। डॉ. पी.डी. गुणे के अनुसार से-‘भाषा एक उपलब्धि है उसे अर्जित करने में ही कुछ भाषिक तथ्य दूर हो जाते हैं और कुछ नए जुड़ जाते हैं, क्योंकि एक सफल उपलब्धि व्यक्ति की श्रवण एवं उच्चारण क्षमता तथा उसके वातावरण एवं परिस्थितियों पर निर्भर करती है।”⁶

सादृश्य-

किसी शब्द के बहुप्रचलित प्रयोग के मूलाधार के संबंध में बिना सोचे-समझे उसके समान दूसरे शब्दों को रच देना। मनुष्य की उक्त प्रवृत्ति से भी शब्दों के रूप बदल जाते हैं, जिससे भाषा में परिवर्तन उपस्थित होता है। उदाहरणार्थ-सृष्टि के अनुकरण पर सृष्टा का सृष्टि, दृष्टि का दृष्टा, दपिचहत्तर का पिचासी के भ्रष्ट प्रयोग से भी भाषा में परिवर्तन हो रहा है।

वागिन्द्रिय की विभिन्नता-

प्रत्येक व्यक्ति की वागिन्द्रिय समान नहीं होती है। पुरुषों और स्त्रियों के उच्चारण अवयवों में यह अंतर स्पष्ट देखा जा सकता है। अतएव किसी की ध्वनि मोटी, किसी की पतली, किसी की सुरीली और किसी की बेसुरी होती है। "अग्निपुराण का कथन है कि निम्नलिखित वाग्यंत्र आदि के दोष के कारण स्पष्ट रूप से वर्णोच्चारण नहीं कर पाते हैं-विकृत

मुखवाले, लंबे ओष्ठवाले, अज्ञानग्रस्त, नाक से बोलने वाले, भावावेश के कारण गद्गद् ध्वनि वाले या रूद्ध कंठ और बद्धजिह्वा अर्थात् जिनकी जीभ पूरी खुली हुई नहीं है।”⁷

न करालो न लम्बोष्ठो नाथक्तो नानुनासिकः ।
गद्गदो बद्धजिह्वश्च न वक्तुमर्हति ।। अग्निपुराण ।

बाह्य कारण-

जो भाषा को बाहर से प्रभावित करते हैं, उन्हें बाह्य कारण कहा जाता है, बाह्य कारण भौगोलिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि हैं।

भौगोलिक कारण -

भौगोलिक पर्यावरण की भिन्नता भी भाषा परिवर्तन का प्रमुख कारण है, स्थान, वातावरण, जलवायु का सीधा असर मनुष्य के शरीर पर पड़ता ही है, वह भाषा को भी प्रभावित करता है। जिन देशों की जलवायु ऊष्ण होती है वहाँ के लोगों का वाग्यंत्र अत्यंत मुखर और स्पष्ट होता है जिससे वे सरलता से सभी ध्वनियों को उच्चरित कर लेते हैं। उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के लोग किसी भी ध्वनि का उच्चारण अति सुगमता से कर लेते हैं वहीं शीतल जलवायु में निवास करने वाले अंग्रेज लोग तालव्य ध्वनियों का उच्चारण ठीक प्रकार से नहीं कर पाते वे ‘तराजू’ को टराजू, तेल को टेल, दिल को डिल कहते हैं। ‘स’ ध्वनि भी उनसे स्पष्ट उच्चरित नहीं हो पाती, जिससे वे इसका उच्चारण ‘श’ के रूप में करते हैं, यथा तुम किश राश्ट्रे से जाओगे? पाश्चात्य विद्वान हाइनरिख मेयर बेन्फी और कालित्स ने जहाँ भौगोलिक कारणों से भाषा परिवर्तन में विश्वास किया है वहीं येस्पर्सन ने इनकी धारणा का प्रबल खंडन किया है।⁸

राजनीतिक कारण -

‘राजनीति ने भी समय-समय पर अपने आक्रमणों तथा क्रांतिकारी विप्लवों द्वारा भाषाओं की चौहद्दी को पार कर उसमें अपने संकर शब्द बीज बोकर भाषा को परिवर्तित किया है। संसार भर की भाषाओं में इन कारणों से परिवर्तित हुए हैं।’⁸ जब कोई राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र को पराजित कर वहाँ अपना शासन स्थापित करता है तो उस विजेता राष्ट्र की भाषा विजित राष्ट्र की भाषा को प्रभावित करती है। फल यह होता है कि विजित राष्ट्र की भाषा के शब्द-रूपों में बदलाव शुरू हो जाता है, किंतु यदि विजित राष्ट्र की भाषा को भी प्रभावित करती है। उदा. मुसलमानों के शासनकाल में यहाँ की राज्य भाषा फारसी थी। उसके प्रभाव से संयुक्त अक्षरों के उच्चारणों में अंतर आ गया, यथा-प्रभात की जगह ‘परभात’, प्रताप की जगह ‘परताप’, प्रसाद की जगह ‘परसाद’, कृष्ण की जगह ‘किसन’ रूप लिखे-पढ़े जाने लगे।

धार्मिक कारण-

धार्मिक प्रचार भी भाषा में फेर-बदल के लिए काफी जिम्मेदार होता है। जब किसी धर्म के अनुयायी अपने धर्म प्रचार के लिए अन्य राष्ट्रों में जाते हैं तो उनके धर्म के साथ उनकी धार्मिक शब्दावली भी उस राष्ट्र में चली जाती है तथा उस धर्म के अनुयायियों की भाषा को प्रभावित करती है। वैदिक धर्म के प्रचारकों ने यूनान में जब अपने धर्म का प्रचार किया तो वैदिक देवताओं के नाम वहाँ की भाषा में समाहित हो गए, समाहित हुए शब्दों का रूप विचित्र ढंग से बदल गया, जैसे-देव का थिओस, द्योसपिटर 'का जुपीटर' असुरमेधस् का 'अहुरमन्द' हो गया बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार से भारत में ही संस्कृत शब्द पालि में रूपांतरित हो गए जैसे- 'कात्यायन' के स्थान पर 'कच्चायन', धर्म की जगह 'धम्म', भिक्षु के स्थान पर 'भिक्षु' रूप प्रचलित हो गए। इस्लाम तथा ईसाई मत के प्रचार से क्रमशः अरबी, फारसी, तुर्की तथा फ्रेंच, अंग्रेजी, पुर्तगाली आदि भाषाओं के शब्द हिंदी में प्रवेश कर गए। अतः धार्मिक प्रचार-प्रसार भी भाषाई परिवर्तन को बहुत अंशों तक प्रभावित करता है।

समाजिक कारण-

"भाषा को समय-समय पर विभिन्न सामाजिक बदलाव की प्रतियोगिताओं से गुजरना होता है। अतः भाषा को समाज के अनुसार ही अपना रूप-रंग गुण धर्म बदलना पड़ता है। मध्ययुग में किए जाने वाले संबोधन आज कहाँ सुनने को मिलते हैं। न वे 'जहाँपनाह' बाकी है, न वे 'अन्नदाता' ही दिखाई देते हैं। आज के अध्यापक अपने शिष्यों से और कुलाधिपति अपने वंशजों से न 'दंडवत' सुन पाते हैं, न साष्टांग।"

संसर्ग का बहुत असर होता है- 'संसर्गजाः दोषगुणा भवन्ति'। भारतीय समाज जब मुस्लिम समाज के निकट आया तो भारतीय समाज पर मुस्लिम समाज तथा उसकी संस्कृति का गहरा प्रभाव पड़ा। अंग्रेजी समाज ने भी भारतीय समाज पर अपना गहरा प्रभाव डाला। यही कारण है कि बहुत से अंग्रेजी भाषा के शब्द हिंदी भाषा की संपत्ति बन गए हैं।

साहित्यिक कारण-

साहित्य ने कभी-कभी भाषिक बदलाव उपस्थित किया है। हमारे देश में लगभग एक छोर से दूसरे छोर तक संस्कृत भाषा का साम्राज्य बहुत दिनों तक रहा है। संस्कृत भाषा के विपुल भंडार को देखकर हैरान रह जाना पड़ता है कि कलान्तर में भक्ति आंदोलन ने जन-सामान्य में संस्कृत भाषा के प्रति ऐसी अरुचि उत्पन्न की, जिसमें सबके साथ-साथ कवि और लेखक भी अपनी-अपनी लोक भाषाओं में साहित्य रचना करने लगे।

सांस्कृतिक कारण-

समाज के अभिष्ट विकास का दूसरा नाम संस्कृति है। इस संस्कृति अथवा अनूकूल विकास से भाषा प्रभावित होती है। सांस्कृतिक संस्थाएँ प्राचीन शब्दों को पुनः प्रचलित करने में सहायक होती है। आर्य समाज जैसी संस्थाओं के कारण संस्कृत के कितने ही अप्रचलित शब्द मेघा, मनीषा, सुधांसु पुनः प्रचलित हो गए हैं।

भाषा के परिवर्तन में समर्थ व्यक्तियों का भी योगदान रहता है। गोस्वामी तुलसीदास ने संस्कृत के जिन शब्दों को छंदोबंधन के कारण कुछ तोड़-मरोड़कर प्रयुक्त किया उनका वही रूप प्रचलित हो गया। किसी समाज की विशेष शांति और व्यवस्था अथवा अशांति और संघर्ष भी भाषा के विकास का कारण बनती है।

भाषा परिवर्तन की पाँच प्रमुख नियम-

भाषा में परिवर्तन स्वाभाविक है यह उसका धर्म है। भाषिक परिवर्तन चाहे तीव्र गति से हो अथवा मंदगति से हो, लेकिन यह होता है अवश्य। इस दृष्टि से भाषा-परिवर्तन की पाँच प्रमुख नियम स्थापित होते हैं। उक्त नियम इस प्रकार है :-

ध्वनि परिवर्तन-

भाषा के मूल आधार ध्वनि चिह्न है ध्वनि चिह्नों की समष्टि ही भाषा है। भाषा में जो कुछ परिवर्तन होता है उसका प्रथम सूत्रपात ध्वनि परिवर्तन से होता है। प्रयत्नलाघव, मिथ्यासादृश्य, अपूर्ण अनुकरण आदि कारणों से ध्वनियों में परिवर्तन होता है जैसे अनाज का नाज, अवगाहन का वगाहन, मीरजापुर का मिर्जापुर, मेघ का मेह, स्तन का थन आदि।

शब्द परिवर्तन-

अनेक ध्वनियों के समन्वय से शब्द बनता है। सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। जिस प्रकार ध्वनियों में परिवर्तन से भाषा में परिवर्तन होता है, उसी प्रकार शब्दों में परिवर्तन से भाषा में परिवर्तन की दिशा का संकेत मिलता है। संस्कृत के सैकड़ों शब्द प्राकृत, अपभ्रंश में परिवर्तित होते हुए आज हिंदी में सर्वथा नए परिवर्तित रूप में प्राप्त होते हैं, यथा-अग्नि-आग, घृत-घी, ग्राम-गाँव चक्र-चाक हो गए हैं।

पद परिवर्तन -

जब तक कोई शब्द पद का रूप ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक वह किसी भी वाक्य में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। आचार्य पाणिनि ने पद की अति स्पष्ट व्याख्या करते हुए सुबन्त

और तिङन्त को पद कहा है-"सुप्तिङन्त पदम्"। 'सुबन्त का अर्थ है कि विभक्ति सहित शब्द तथा तिङन्त का अर्थ है प्रत्यय, यथा रामः रावणं हन्ति (राम रावण को मारता है)। इस वाक्य में 'राम' में सु विभक्ति के योग से कर्ता पद बनाया गया है और अंत में 'हन्ति' क्रिया में 'ति' क्रिया में 'ति' क्रिया में चिह्नः (प्रत्यय) के योग से वर्तमान कालीन क्रिया पद बनाया गया है।¹⁰

वाक्य परिवर्तन-

पदों के संयोग से वाक्य बनते हैं। संस्कृत में वाक्य रचना परिष्कृत एवं व्यवस्थित है, अतः किसी भी पद को आगे या पीछे कर देने पर भी अर्थ में कोई अंतर नहीं आता है। अन्य भाषाओं में यह स्थिति नहीं है। उनमें कर्ता, कर्म, क्रिया आदि का स्थान निर्धारित है। यथा रामः पुस्तकं पठति, पुस्तक रामः पठति इन वाक्यों का अर्थ एक ही है। हाथी शेर मारता है अथवा शेर हाथी मारता है। यही कारण है कि हिंदी वाक्य रचना में प्रथमतः कर्ता को फिर कर्म को और अंत में क्रिया को रखने का विधान है।

अर्थ परिवर्तन-

अर्थ परिवर्तन के द्वारा भी भाषा में परिवर्तन की दिशा का बोध होता है। प्रायः देखा जाता है कि जो शब्द मूलरूप में जिस अर्थ के बोधक थे, वे कालांतर में अपने मूल अर्थ को छोड़कर दूसरे अर्थ में प्रयुक्त होने लगते हैं। कहीं पर अर्थ में विस्तार होता है, कहीं पर अर्थ का मुख्य अर्थ बदल जाता है, कुशों को काटने की योग्यता, कुश-छेदन में चतुरता। अतः बाद में कुशल शब्द चतुर का पर्यायवाची हो गया।

तैल का अर्थ था तिल का सारभाग परंतु अर्थ विस्तार से यह सभी द्रवों के सार के लिए प्रयुक्त होने लगा है, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल हो गया है। वेद में 'मृग' शब्द पशुमात्र का वाचक था वह बाद में केवल हिरन के अर्थ में प्रयुक्त होता है, यह संकोच है। इस प्रकार अर्थ परिवर्तन से भी भाषा परिवर्तन होता है।

निष्कर्ष-

कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि उक्त कुछ और अन्य कारणों से भाषा-परिवर्तन साक्षात्- असाक्षात् जिस रूप में हो किन्तु देर-सबेर होता है। यह आवश्यक नहीं है कि भाषा परिवर्तन के उक्त सभी कारण एक साथ सक्रिय ही हों। परिवर्तन की नकेल इन्हीं कारणों के हाथ में होती है अतः भाषा भी इनके अनुसार ही अपना वर्ण तथा कलेवर बदलती चली जाती है।

संदर्भ सूची:-

1. द्विवेदी, डॉ. कपिलदेव: भाषाविज्ञान एवं भाषा शास्त्र, विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी पृ.91
2. द्विवेदी, डॉ. कपिलदेव: भाषाविज्ञान एवं भाषा शास्त्र, विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी पृ.92
3. तिवारी, डॉ. पारसनाथ: भाषाविज्ञान हिंदी भाषा और लिपि, प्रकाशन, लखनऊ पृ.66
4. द्विवेदी, डॉ. कपिलदेव: भाषाविज्ञान एवं भाषा शास्त्र, विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी पृ.93
5. otto Jespersen, language p 261
6. पांडेय, डॉ. कैलाशनाथ: भाषाविज्ञान का अनुशीलन, जय प्रकाशन गाजीपुर पृ.60
7. द्विवेदी, डॉ. कपिलदेव: भाषा विज्ञान एवं भाषा शास्त्र, विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी पृ.97
8. Language its nature, Development and origin p.257
9. कौशिक, डॉ. देवदत्त: भाषाविज्ञान पृ.38
10. पांडेय, डॉ. कैलाशनाथ: भाषाविज्ञान का अनुशीलन, जय प्रकाशन गाजीपुर पृ.55



लोक संस्कृति का दर्शनशास्त्र मड़ई-मेला

डॉ. लोकेश्वर प्रसाद सिन्हा

सहायक प्राध्यापक

हिन्दी विभाग

दुर्गा महाविद्यालय रायपुर (छ.ग.)

मो.नं. 9770197877

छत्तीसगढ़ में धान की मिजाई पूरी हो जाने के बाद मड़ई या मेले का पारंपरिक आयोजन किया जाता है, वैसे तो छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों में वर्ष भर साप्ताहिक बाजार और हाट लगते रहते हैं, किन्तु मेले और मड़ई का महत्व ही कुछ और है। प्रकृति प्रदत्त असीम उपहार का आभार मानने और उस अज्ञात शक्ति की अराधना का एवं उसकी कृपा को हमेशा प्राप्त करने के लिये मेले और मड़ई के आयोजन के प्रतीक स्वरूप ग्रामीण देवी-देवता तथा अपने ईष्ट देवों की पूजा उपासना के क्षण भी सम्मिलित रहते हैं। लोगों की मान्यता है कि मड़ई के आयोजन के पीछे धार्मिक पृष्ठभूमि होती है, वहीं दूसरी ओर नई फसल पाने की स्वाभाविक खुशी निहित होती है, लोक परंपराओं के जीवित रहने का कारण यही है कि वे ग्राम जीवन की अभिव्यक्ति के सशक्त माध्यम हैं।

प्राचीन ग्रन्थों में भी लोक और लोक परंपराओं की व्याख्या की गई है। आज दुख-सुख, क्रोध, घृणा आदि भावों की अभिव्यक्ति के कई साधन हैं, ग्राम अंचल में संगठन बनाना, सद्भावना जाग्रत करना एवं आपस में सहनुभूति व्यक्त करना। मड़ई आयोजन के पहले मड़ई का हाका मुनियादी पड़ते ही आयोजन की पूर्व तैयारियां प्रारंभ हो जाती हैं। निर्धारित समय पर दुकानों के लिये जगह घेर ली जाती है। और समय पर उन्हें साज-संवार दिया जाता है और मेजबान बैगा ही आसपास के ग्रामीणों को यथाविधि नियंत्रण दे आता है, आसपास के ग्रामीण कुछ निर्धारित डांग को लेकर मड़ई में भाग लेने पहुंच जाते हैं, मड़ई में पहुंचने पर ध्वजधारी और एवं मेजबान बैगा समाज के पात्र होते हैं। मेजबान बैगा यथाशक्ति उसका स्वागत करता है, इस अवसर पर मेहमानों को नारियल, कपड़े एवं फूल, मालाएं भेंट दी जाती हैं, स्वागत के पश्चात सभी डांगधारी मड़ई का फेरा लगाने के लिये भीड़ में कूद पड़ते हैं, फेरे के समय लोक वाद्य एवं राऊतों के दोहे की भारी- भीड़ को चीर कर रख देते हैं-

- (1) तुलसा जागे घुरवा में,
तुलसा के नये दोश।
महिमा घटे समुंदर के,
वहां रावण बसे पड़ोस।।

(2) मुनगा फूले रिमझीम,
गोंदा फुले चकनार।
एक रानी सेनवा में,
उदल बांधे तलवार।।

गांवों में आयोजित होने वाली मड़ई से संबंधित श्री दानेश्वर शर्मा के ये पंक्तियाँ -

"चल मोर जवांरा मड़ई देखे जाबे,
संझकेरहा जाबो और संझकेरहा आबो।"

मड़ई के आयोजन में सबसे बड़ा महत्व ग्राम देवी-देवताओं का है, जितने गांव के देवता, उतने ही मड़ई के डांग मड़ई के दिन सभी देवताओं का आह्वान किया जाता है एवं उनसे विनती कि जाती है कि वे सब मिलकर गांव की विध्व बाधाओं को दूर करें एवं जन-जीवन में खुशहाली की रोशनी भर दें, यह उपक्रम बैगा ही करता है, वह देवी-देवताओं के नाम बनाये गये विभिन्न ध्वजों का रूप सौंदर्य निखारता है, मड़ई में निर्धारित स्थान पर पूजा-अर्चना करने के लिए भीड़ के सात फेरे लिये जाते हैं। ग्राम के वृद्ध एवं बैगा बताते हैं कि मड़ई के आयोजनों में पहले कंदई डांग आवश्यक अंग माना जाता था, पर अब दिखाई नहीं देता, फिर कंदई डांग के बनने में भी पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है, जिसकी कभी जन-जीवन को सालती है।

मड़ई का ग्राम्य जीवन में सीधा संबंध होता है मड़ई एक लक्ष्य होता है जिसका लोगों के रहन-सहन से है, कोई शुभारंभ कार्य शुरू करने या समाप्त करने के लिए मड़ई का प्रतीक होता है। छत्तीसगढ़ी नाचा मड़ई का एक आकर्षण होता है। गांवों की प्रतिस्पर्धा की भावना बलवती होने के कारण एक से बढ़कर एक बढ़िया नाच-गम्मत रात्रि में प्रदर्शन किया जाता है, जितना प्रसिद्ध नाचा, उतनी ही मड़ई में चमक ज्यादा, मड़ई के दिन सम्पूर्ण ग्रामीण महौल में ही थिरकन भरी होती है।

ग्रामीण जन रोजगार की तलाश में गांवों से अन्यत्र चले जाते हैं, जब उन्हें मालूम होता है कि गांव में मड़ई है, तो वह अपने गांव चला आता है जहां वह असीम आनंद की अनुभूति करता है। मड़ई मेला वह संगम स्थल है जहां बचपन के संग-संगवारी, सखी-सहेलियों से मेल-मिलाप होता है और अपने सुख-दुःख आचार-विचार का आदान-प्रदान करते हैं।

अंचल का कृषक सामुहिक रूप से मेले और मड़ई के आयोजनों में रात भर पूजा अर्चना के पश्चात जब अपने ईष्ट देवी-देवताओं को स्मरण कर लेता है, तब वह अपने आसपास बिखरी हुई प्रकृति की समस्त रंगीनियों को अपना सहचर बनाते हुए उनमें खो जाता है। अमोद-प्रमोद के क्षणों को वह जी भरकर भोगता है, और अपनी थकान को उतारने का प्रयास

करता है। मेले और मड़ईयों की रात ग्रामीणों के लिये रात्री जागरण की रात होती है, और वह मेले और मड़ईयों में इन अवसरों पर होने वाले नाच, नाटक, स्वांग चैत परब एवं अन्य विभिन्न मनोरंजनों के साधनों में ऐसे खो जाता है कि रात कब हुई व सबेरा कब हुआ यह उसे मालूम भी नहीं पड़ता।

घर की आवश्यकता की पूर्ति एवं अन्य घर-गृहस्थी के सामान, बर्तन, स्वर्ण व रजत के आभूषण कपड़े लत्ते आदि खरीदने का भी उन मेलों में एक अलक आकर्षण होता है और इस समय में इनकी ग्रामीणों को आवश्यकता भी होती है, इसलिये मेले व मड़ई छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध रहे हैं। कुछ मेले तो अंचल की सीमा लांघ बाहर के क्षेत्रों में प्रसिद्ध हो रहे हैं और आज भी है, जैसे-शिवरीनारायण, गिरौधपुरी, राजिम कुंभ, सिरपुर महोत्सव, महादेवघाट रायपुरा, कवर्धा, बिलासपुर, रायगढ़ नारायणपुर, चारामा, जगदलपुर का दशहरा का मेला कोण्डागांव, कांकेर, बस्तर, रामाराम, दंतेवाड़ा आदि स्थानों के मेले आज भी बाहर के सैलानियों एवं व्यापारियों को अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति रखती है। मेले व मड़ईयों का सिलसिला युवक व युवतियों को भी सर्वाधिक प्रिय है, यही एक समय तो उन्हें ऐसा मिलता है, जहां वे स्वच्छता पूर्वक एक दूसरे को भाते हैं, और मिलन के मधुर क्षणों में डूबते हुए भावी वैवाहिक जीवन का आधार भी स्थापित करते हैं। मेले व मड़ई में उनके योग्य व सूक्ष्म मनोरंजन के साधन होते हैं, साथ ही रहता है प्रकृति के असीम साहचर्य का अभाव, प्रकृति के ये पुत्र मनोरंजन के क्षणों में भी मर्यादा की सीमा कभी नहीं लांघते और अपने परंपरा संस्कृति व लोक व्यवहार का हमेशा ध्यान रखते हैं। छत्तीसगढ़ में मेले व मड़ई केवल आमोद-प्रमोद के क्षणों को प्रदान नहीं करता वरन यह छ.ग. का प्रकृति के प्रति असीम प्यार स्नेह व उनके द्वारा दिये गये उपहार के बदले आभार प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है।

घोषणा प्रमाण पत्र

मैं घोषणा करता हूं कि प्रस्तुत शोध-पत्र "लोक संस्कृति का दर्शनशास्त्र मड़ई-मेला" मौलिक एवं अप्रकाशित है।

डॉ. लोकेश्वर प्रसाद सिन्हा

New Modern Woman in Nissim Ezekiel's 'Nalini'

Dr. Jaya Tiwari
Professor & Head
Department of English
Govt.D.B.Girls' P.G.College, Raipur

ABSTRACT-

The image of woman has always been a matter of serious discussion .The Indo-Anglian post-independence writings have offered some new dimensions to women perspective. The spread of education and economic independence has given woman confidence to judge things on her own. Nissim Ezekiel, primarily known for his poetry, has written some plays too. The paper attempts to focus on his famous play, Nalini, published in 1969, as it presents a fascinating picture of the new modern woman who wants to find her own way in the chauvinistic social set-up.

Keywords: Indo-Anglian, hypocrisy, new woman.

PAPER-

Nissim Ezekiel, a prominent name in English poetry, began writing plays rather late in 1968. Of the three plays published in 1969, Nalini, Marriage and The Sleepwalkers, Nalini satirically unfolds the hypocrisy of advertising executives- Bharat and Raj. In the background of, art and films, ad agency tactics, its pretentious ways, the drama significantly exposes the emergence of new modern woman .

So far as his dramas are concerned, Nissim Ezekiel seems to be directly influenced by George Bernard Shaw. The satiric tone that one comes across in Shavian plays regarding follies and pretentious behaviour of uppermiddle class people is also evident in Ezekiel's plays.

In his portrayal of Nalini ,he seems to follow the footsteps of Shaw and has portrayed a kind of NEW modern woman quite similar to what Shaw has presented in his dramas.

Nalini is a play in three acts that revolves around three characters Raj, Nalini and Bharat. Nalini desires to hold an exhibition of her paintings and Raj asks Bharat to plan and organize the show. Ezekiel presents a scrutiny of the established institutions of society like art and marriage. He explores the world of art and the treatment given to a woman artist in "Nalini". The hollowness and pretensions of the two young men Raj and Bharat working as advertising executive who actually have no knowledge of what they pretend –understanding of films, books and paintings. Ezekiel's drama presents two Nalini's-one of fantasy and the other of reality. Raja Rao observes in "Nissim Ezekiel: The Authorized Biography"... one of the themes of the play is the dispelling of stereotypes by presenting the real Nalini as a woman of greater intelligence and substance than Raj or Bharat" (1)

Ezekiel takes an indirect way and ironically suggests that men are careful about projecting themselves as the advocates of freedom and progression of women but only so far as it suits them.

They take more interest in Nalini the woman than in arranging an exhibition of her paintings. Nalini as an artist is nowhere in their mind but she fits into the fantasies of both Raj and Bharat

The dramatist introduces her in Act ii :

Nalini enters briskly, pauses for a moment then moves in a fluttering walk into the spotlight. She is slender and sweet, tall, fair completely modern in style .Her hair done up in a bee-hive, her choli short, low-cut and backless, revealing a figure of some splendor. She wears her sari like a tight skirt and walks in with casual elegance.” (Nalini, 25)

The description continues-She is groomed up in such a way to please man. She exists just to please a man's eye. She is their dream girl of Raj and Bharat about whom they read in fashion magazines. (Nalini, 48)

But yes, there appears to be two types of new modern woman in the two Nalinis painted by Ezekiel. He very adroitly painted them -the first traditional one seems to be aware of man's weakness and knows how to get things done and therefore takes advantage of dumb men like Bharat and Raj, as one sees in Act III of the play . She says:

“I think both of you are cute . . . Now I am certain you will help me with the publicity for my exhibition (. (Nalini p.50)

And men like Bharat and Raj easily fall to the seductive ways of Nalini.

She is the 'perfect' traditional girl and as she visited America she found the uninhibited atmosphere truly thrilling. Her aspirations end with either a career in films or in modelling. She is the most sought after model for brands of cosmetics, mattresses and lingerie. She wears expensive perfume. She is an accomplished cook, loves to design jewelry, writes poems and unpublished short stories. Her educational qualification ends with a graduation in Home Science.

The description is the perfect commodification of a woman Ezekiel's use of words like to 'beans' or 'pineapple juice'for woman is ironic. Her existence is justified in how well she fulfils the desires of a man; her salvation lies only in the company of man. She is absolutely chained into a framework in which her body becomes the sole important thing. Even when she works as a model, the brands that she is supposed to endorse are those of cosmetics and lingerie, perfect accessories to groom herself into a perfect vamp figure to 'trap' most eligible bachelors like Bharat and Raj and mattresses to show her where she actually belongs to in a man's world.

The twist is given to the plot by Ezekiel in the second Nalini – the new real one who visits Bharat is a total opposition and antithesis of the first enticing Nalini. She is the new modern woman in every sense of the term modern. She is intelligent, skilled and excels in her field. This new woman is clear about her goals ,wants to lead a life of her own, place over her male colleagues and they are over-awed. In a conversation to Raj, Bharat admits-

“She is serious damn her. She's probably a good painter, damn her. She has ideas, damn her. You can't fool her. She provokes, she challenges, she questions, she contradicts... she's an

independent woman, with the intelligence of a man and the determination of an orthodox mother-in-law. She's a living insult to me and you, to all of us. Damn her.” (Nalini, 45).

The dramatist hints that it is rather difficult for man like Bharat to accept a woman like her and is terrified because she thinks and behaves like a 'man'. To men like him, she is a living insult. It is very convenient for them to accept woman with some trace of modernity but do not want to accept them as equals, leave aside as superiors.

Ezekiel makes Bharat treat and think women good for simply entertainment purposes and even visits abroad to entertain himself with the western women. He is also of the view that the urban Indian woman has changed and finds them wonderful too like their western counter part:

The new Indian woman I meet here in the city are wonderful.

They are not disgusting Sitas or Savitris. (Nalini, p.13-14)

It needs to be noted here that what Bharat tries to seek in a relationship with the dream-Nalini and he wishes to have a woman submitted to a man

Bharat : O Nalini you are delightful. Absolutely delightful. (put his hand around her)

Nalini : Take it off.

Bharat : O very well. If you are going to be a prude

Nalini : Prude! For not surrendering to your desires.

When Bharat wants to use her acquaintance, Nalini straight away asserts her individuality and refuses to accept his moves:

Nalini : I am not a woman. I am a woman.

Bharat : I can understand a woman too.

Nalini : No you can't, you have a formula. You can't imagine an individual woman. You can't believe that a woman may want to create a world of her own just as a creative man does, a woman with a will to explore herself and the world around. (Nalini p.38)

The second Nalini is modern in the real sense of the term. This is a focused, skilled, independent and woman of knowledge who is very down to earth and can reject if she does not approve an idea-

“You expect me to consider you honest because you admit your weakness. Its sheer hypocrisy”
(Nalini, p.36)

Ezekiel has very meticulously presented this new modern woman who says,

I'm not a scholar or a learned person, at home in the world

of concepts. . . . I want to take up a position, generally

speaking, which is related to my experience. It is this.

Things change and things remain the same. Events can

be predicted and events can be unpredictable. We can repeat or we can explore, discover, invent. Generally speaking, I want to be on the side of change, the unpredictable, exploration, discovery, invention, in short the future, the evolution of the other woman within me, who must one day become me. (Nalini p.78)

Nalini is independent and has the ability to break conventions, traditions and everything that seems irrelevant to her. The new woman is aware of the hypocritical social set-up and orthodox mind-set of their male counterparts who under the mask of a very modern progressive human being try to deceive her but now she has the ability and courage to refuse and reject them in a strong straightforward manner.

References-

1. R.Raja Rao : Nissim Ezekiel : The Authorised Biography. Viking 2000 Delhi.
2. Ezekiel, Nissim. Three Plays : Writers Workshop. Calcutta, 1969.
3. Myles Anita. Contemporary English Drama : An Overview. Sarup Book Publisher, New Delhi, 2010.



A study on negative trade balance in India and its impact on Indian economic

Dr Ashish Dubey

Assistant Professor
Vivekanand Mahavidyalaya

Abstract :-

This paper analyse the impact of trade policy reforms in India and its negative balance. Before the end of 20th century the world wide deflation has affected the market, employment & income of all stable economy. All economy applied too many policies to control it, but they are failure. The economic theories explain that inflection and deflation is a part of economic function and for the growth it is essential to control it. We tried to find out, how Indian economy is successful to control the world wide deflation for their world trade.

Keywords :- Indian economy, trade, trade balance

Introduction :

After completing 25 years of trade globalization policy in Indian-economy, here it is required to analysis its impacts on various sectors of Indian-economy and make changes on those policies to get better on those sectors.

On general observation it is found that the impacts of those policies are not as per requirement. In the initial stage these policy are quickly raising our fund of foreign currency and also create new sectors of employment and services which helped us to make a new signature in world economy, but at present our economy suffers by many obligations which are implemented for us by various international trade organisations and these things are highly affecting our various economic field, and due to its causes economic employment is decreasing, foreign currency fund are reduced and also our economy formed negative balance in world trade.

Objectives :-

The basic objectives of this study is to find out the major causes of negative balance on Indian economy and also how it is affecting the various sectors of economy.

Foreign Trade -

Foreign trade affects the domestic trade of Indian market and other countries too. After globalization, the impact of foreign trade has increasing in India. The causes are- quantity of global bond are increasing after globalization after 1991 India is following global socialist democratic approach which added foreign countries for trading purpose.

For the year 2015-20 the govt of India has framed new foreign trade policies in the period 2009-14 the previous trade policy is completed its time. At present India is the 19th largest export & 10th largest importer in the world.

On a per capita income basis India ranked 140th by nominal GDP and 129th by GDP (PPP) in 2011 Economic growth rate stood at around 6.5% for the year 2011-12 fiscal years.

For the duration of 2009-15 we have added 26 new markets and achieving the growth target in export 15% for the 1st two years.

The other aims of the policy are to double India export of goods and services by 2014 & to double Indians' share in global merchandise trade by 2020.

Trade Policy

For the fulfilment of above study we can make changes in our present foreign trade policies and try to make more effective for improvement & participation in global market in Indian economy.

To make easy taxation policies notified goods under MEIS (Merchandise Exports from India Scheme) and making easy taxation policies for those goods that are registered in MEIS.

For the increase of participation of service sector in marking policies says SEIS (Services Exports from India Scheme).

Exported services which are rewarded under SEIS are getting additional benefits and rewards under this act both policies are part of SEZ (Special Economic Zone) which are established for the purpose of increasing of export from India.

Services and goods which are registered under those schemes are getting many relaxation for export activities provided by Indian govt a part of it another policies is to improve the domestic traditional production by traditional process and provides facilities to create global market for them.

In the process of export activities traders are trying to reduce the paper activities and improve it by processing it by on-line, which will save the time and remove hurdles in trade process. For the smooth procedure of import and export make a planning of e-govt which will save the time and also spread the area of international trade in India.

For the purpose of spread of export from our country, market has been classified into global market in various categories:-

- Categories A - Traditional Market 30
- Categories B - Emerging & focus market 139
- Categories C - As other markets 70

Methodology :- This study is based on secondary data.

Analysis :-

Table 1: Import and Export of India during August 2014-15

(Amount is in 100 million Dollars)

Export			Import		
August 2014	26.80		August 2014	37.47	
August 2015	21.27		August 2015	33.74	
Difference in %	-20.66%		Difference in %	-9.95%	

Source- Patrika daily news paper dated 29/9/15 Pg-8

The data shows in the above table gives the details of import and export of India during August 2014-15.

The export and import of our economy has reduced and reduction in export is higher than the import and it is not a positive growth for our economy, the basic causes for the reduction in export is reducing the prices of crude oil it is reduced to 42.6% in import of petroleum product.7.01% increase in the import of non-petroleum product, in this duration negative trade balance has increased, it is increased from 10.67 (100 million dollars) to 12.48 100 million dollars). In our total import 14.69 % is a part of gold import and which is not used for the capital formation.

The data of 2015-16 shown up to Sept 2015, our total export is approximately 560878 corer dollars and import is approximately 855993 corer dollars , here around 15.26% is negative trade balance found in the international trade, which increased our fiscal loss.

Increasing prices of essential agriculture products and reduction of agriculture production is increasing the negative trade balance in India in international trade market and it is the biggest challenge for our economy. This cause also effect the home market of India and it is also face the deflation condition, to control it too many tools are used by RBI and controlling authority by using to reduce the interest, but as per my opinion it is not permanent solution to control their conditions. For it, is required to generate the additional employment opportunity which will increase the income of citizens and create stable demand in economy.

The present study show negative trade balance also affect by the condition of home market, interest and employment status of economy and dependency only on international trade is highly harmful for any economy and it is the result of our liberation policies, which is completed the duration of 25 years. If we don't improve our home market, we step up towards economy staginess'.

Conclusion :

All the measures which are used before the 20th century to control the negative trade balance were failure to control it. Dependency on foreign market is harmful for our country's economy here it is important to make a strong domestic market and produce domestic products to fulfil the requirement of internal economy and make it also possible for export. "Make in India" is a developing concept to

develop the international market and technology for establishment in international market and result of it is awaited. Our economy is continuously showing negative trade balance after independency before globalization policy. It was controlled by deflation budget & foreign loans. This is damaged basic financial infrastructure of Indian economy here the borrowing burden is highly increasing and international financial institution are refused to support us continuously to control it. Globalization policy adopted by us, invited foreign capitals for capital formation directly and after completion of 25 years yet it is beyond control and every time we try to stable it in our economy. This is continuously making negative trade balance in India, now it is required that we have a stable and strong domestic market, technology and supported policy to stable our country in global market.

References-

Source- Patrika Date- 29/9/2015

www.slideshare.net/shikhagupta31/Indiantrade accessed on 3/10/15

<http://dfat.gov.au/trade/Pages/trade-and-investment.aspx> accessed on 5/10/15

<http://www.saylor.org/site/textbooks/International%20Trade%20-%20Theory%20and%20Policy.pdf> accessed on 5/10/15

<http://internationalecon.com/Trade/T-toc.php> accessed on 5/10/15



Financial Facilities Given by Commercial Bank to Small Scale Industries

Dr. Harjeet Singh Bhatiya
Asst. Professor
Dep. of Commerce
Govt. Digvijay College
Rajnandgaon (C.G.)

Miss Divya Pawar
Dept. of Commerce
Govt. Digvijay College
Rajnandgaon (C.G.)

Introduction :

Banking occupies one of the most important positions in the modern economic world. It is necessary for trade and industry. Hence it is one of the great agencies of commerce. Although banking in one form or another has been in existence from very early times, modern banking is of recent origin. It is one of the results of the Industrial Revolution and the child of economic necessity. Its presence is very helpful to the economic activity and industrial progress of a country. The Commercial Bank of India, also known as Exchange Bank was a bank which was established in Bombay Presidency (now Mumbai), in 1845 of the British Raj period. The bank failed in the crash of 1866, after successfully operating for 20 years. The bank had eight branches, exclusive of the head office at Bombay,

Aim :

The small scale industries sectors have recorded significant growth and impressive performance. The study aims to identify the problem encountered by small and tiny industries and thereby to suggest some measures by commercial bank that would resolve the problem and to identifying and analyzing the factors responsible for successful survival by providing required funds for their business also helping the government in formulating small scale industries policy to revive the sick units by promoting better performance.

Areas :

My research work area comes under Rajnandgaon Block.

Hypothesis :

1. All the commercial bank of Rajnandgaon district is given loans to small scale industries according to the target wise.
2. Loan taken from banks is the main reason that small scale industries are increasingly developed.
3. With the help of development of small scale industries the employment opportunities are also increasingly.

Research Methodology :

This study is empirical in nature. The empirical data have been collected for analyzing

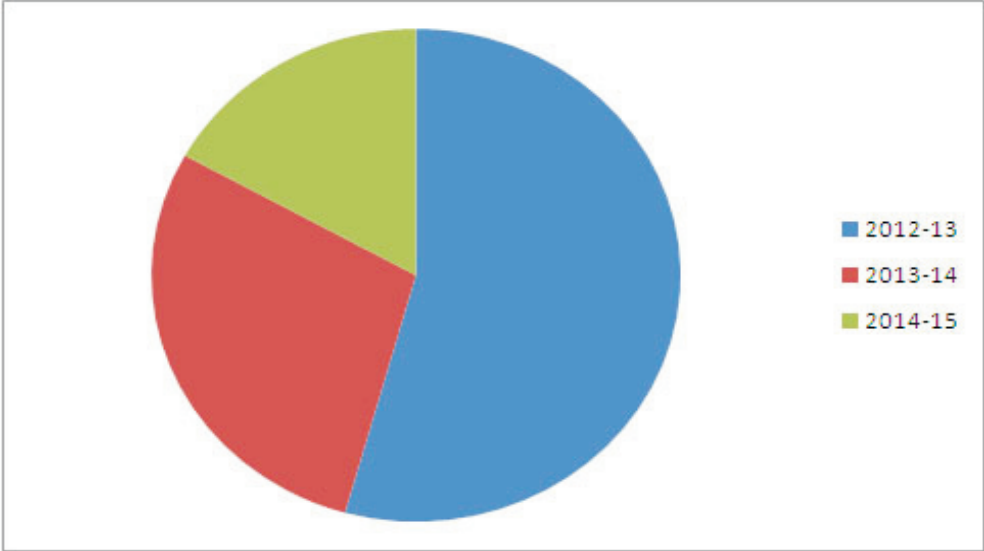
performance of small scale industries by conducting a survey by using an interview schedule. Primary data are collected by using a per tested and pre coded schedule by personal interview and questionnaire with the help of the entrepreneurs. Secondary data are also collected from published and unpublished sources.

Financial facilities given by commercial banks to Small Scale Industries

Loan distributed by SBI Bank in last 3 year (amount in thousand)

Years	Target			Achievement		
	Total amount of loan to be distributed	Amount of loan to be distributed to ssi	Percentage	total loan amount distributed	Amount of loan distributed to ssi	Percentage
2012-13	163710	55007	33.60%	134815	40040	29.70%
2013-14	698292	124000	17.76%	2948654	923071	31.30%
2014-15	1752933	183583	10.47%	1361918	568423	41.74%
TOTAL	2614935	362590	61.83%	4445387	1531534	102.74%

Sources - Annual credit plan 2014-2015



1. State Bank of India

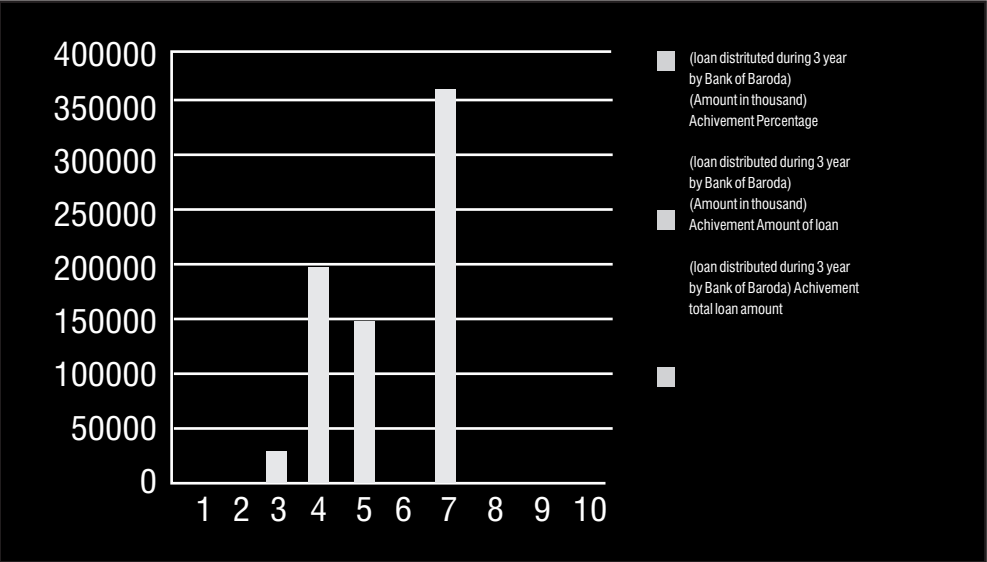
The total loan of distribution during 3 year of SBI is 2614935 to sanctioned. A part from this loan sanctioned to ssi is 1531534 we can see in the table in the graphical presentation in year 2012 the

achievement of loan is 40040 means 29.07% & in the 2013 is 923071 means 31.30% & in 2014 is 568423 means 41.74%. By with the help off this figure and percentage we can see that in the year 2013 the achievement is less then target and in 2013-2014 the achievement is more than target so, we can say that there is up and down in fulfillment of target to accomplished the goal.

Loan distributed during last 3 year by Bank of Baroda (amount in thousand)

Years	Target			Achievement		
	Total amount of loan to be distributed	Amount of loan to be distributed to ssi	Percentage	total loan amount distributed	Amount of loan distributed to ssi	Percentage
2012-13	3500	571	16.30%	2824	293	13.90%
2013-14	40000	17000	42.50%	107644	40000	37.16%
2014-15	56550	8000	14.15%	74316	9415	12.67%
TOTAL	100050	25571	72.95%	184784	49708	63.73%

Sources - Annual credit plan 2014-2015



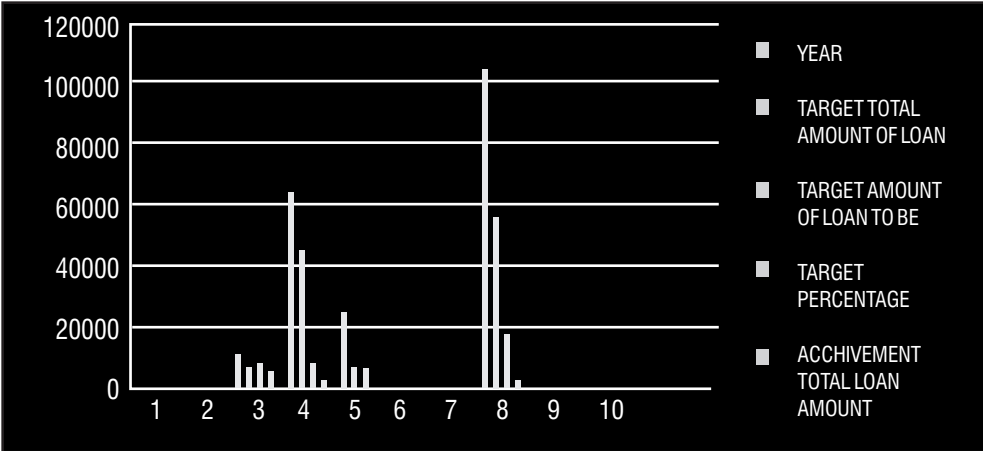
2. BANK OF BARODA

Target of loan distributed by BOB during is 100050 and the loan given to ssi is 49708 means only 72.95% and the achievement of ssi is 63.73% by seeing this we can analysis the there is not much difference to achieve the target. By seeing this figure it is clearly that in 2011-2012 - 2013 the target is approx the achievement so, we can say that there is up and down in achievements in target.

Loan distributed during last 3 year by Bank of India (amount in thousand)

Years	Target			Achievement		
	Total amount of loan to be distributed	Amount of loan to be distributed to ssi	Percentage	total loan amount distributed	Amount of loan distributed to ssi	Percentage
2012-13	7850	2198	28%	5212	1173	22.50%
2013-14	66310	46900	71.00%	7258	1450	20.00%
2014-15	28938	6000	21.00%	5994	0	0.00%
TOTAL	103098	55098	120%	18464	2623	42.50%

Sources - Annual credit plan 2014-2015



2. BANK OF INDIA

Every branches of this bank is finance to ssi in year 2012 to 2013 the target of distribution of loan and the achievement of that target is shown in the above table. By with the help of this table we can see that the target of total loan is 103098 and the loan is distribution to ssi 18464 during 3 year means 42.50% we can see that in year 2012-12-14 at least target Is trying to fulfillment and in the year 2013-14 the banks is not financing to ssi it is its performance is zero towards ssi.

Conclusion :

At last we can say that government have to focused on the facilities of commercial bank to wards industrial development for the betterment of economy condition of rajnandgaon. While doing so that their will increasing in the employment condition of rajnandgaon block. Because still there is more to work on facilities commercial bank because still small scale industries is running in second gear.



A STUDY OF RETAIL INDUSTRY FORMATS IN INDIA

Dr. H. S. Bhatiya
Assistant Professor
Govt. Nehru College
Dongargarh (C.G.)

Ms. Shweta Tiwari
Assistant Professor
Maharaja Agrasen International
College Raipur (CG)

ABSTRACT

The India Retail Industry has emerged as one of the most dynamic and fast-paced industries due to the several few players. It accounts for over 22 percent of the country's Gross Domestic Product (GDP) and around 8 percent of the total employment. India is the world's fifth-largest global destination in the retail space. The Indian Retail Industry is the fifth largest in the world. Comprising of organised and unorganised sectors, Indian Retail Industry is one of the fastest growing industries over the last few years. Though initially the retail industry in India was mostly unorganised, however with the change of taste and preferences of consumer, the industry is getting more popular these days and getting organised as well. This paper focused on changing face of Retail Industry, organised and unorganised retail industry and retail industry format in India.

INTRODUCTION

Retailing in India is one of the pillars of its economy and accounts for about 22 percent of its GDP. The Indian retail market is estimated to be US\$ 500 billion and one of the top five retail markets in the world by economic value. India is one of the fastest growing retail markets in the world, with 1.2 billion people. On 14 September 2012, the government of India announced the opening of FDI in multi-brand retail, subject to approvals by individual states. This decision was welcomed by economists and the markets. On 20 September 2012, the Government of India formally notified the FDI reforms for single and multi brand retail, thereby making it effective under Indian law. The recent waves of reforms by the Government to incentivize Foreign Direct Investment (FDI) in various sectors is bringing a new zeal to the investment culture in India. One of the most debated reforms of policy for allowing 51 percent FDI in Multi-Brand Retail. The Foreign Direct Investment inflows in single brand retail during April 2000 to December 2012 stood at US dollar 95.36 million, as per the data released by Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP).

Retail classification

Retail industry can be broadly classified into two categories namely- organised and unorganised retail.

- **Organized retail** - Organised traders/retailers, who are licensed for trading activities and registered to pay taxes to the government, refers to trading activities undertaken by licensed retailers, that is, those who are registered for sales tax, income tax, etc. These include the

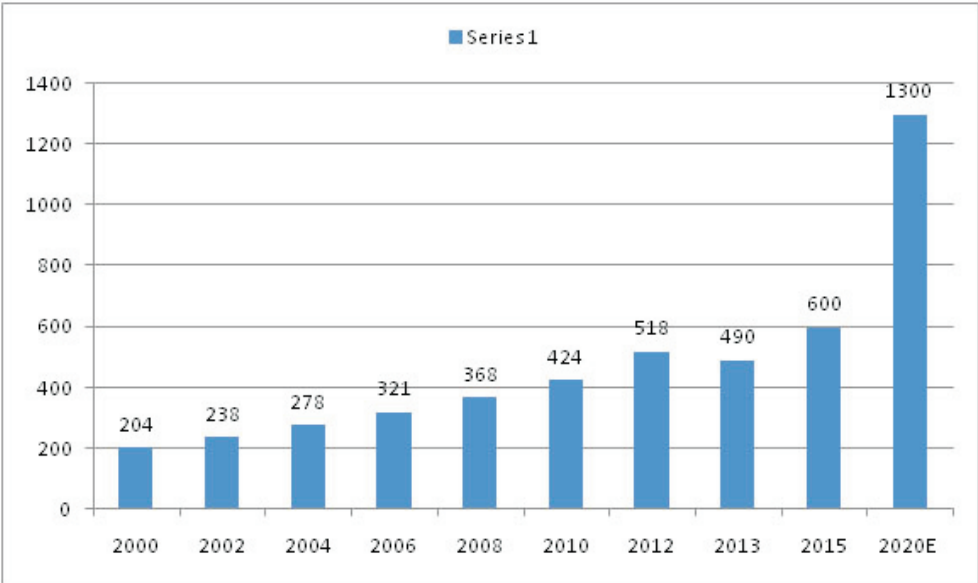
publicly traded supermarkets, corporate-backed hypermarkets and retail chains, and also the privately owned large retail businesses. Organised retailing was absent in most rural and small towns of India in 2010. Supermarkets and similar organised retail accounted for just 4% of the market.

- **Unorganized retail** - It consists of unauthorized small shops - conventional Kirana shops, general stores, corner shops among various other small retail outlets - but remain as the radiating force of Indian retail industry. Unorganised retailing, on the other hand, refers to the traditional formats of low-cost retailing, for example, the local corner shops, owner manned general stores, paan/ beedi shops, convenience stores, hand cart and pavement vendors, etc.

Importance of Retail Market:

1. **Fast Income growth:** Consumer have best ability to spend.
2. **Help to Urbanization :** Larger urban population that value convenience, coupled with the higher propensity of the urban consumers to spend.
3. **Growing young population :** Growth of the post-liberalization maturing population, with the attitude and willingness to spend.
4. **Spend and save :** Consumers are willing to borrow for present consumption, which has resulted in the emergence of big retail chain in most metors, mini metros ans towns.

Market Size Over Last Few Years (US Doller)



Source: The Boston Consulting Group and Retailers Of India published a report titled, "Retail 2020: Retrospect, Reinvent, Rewrite".

Evaluation of Indian Retail Market :

Retailing is one of the biggest sectors and it is frame of developing India. India's retail market is expected to excellent grow in next few years. The window of opportunity shows that Retailing India was at opening stage in 1995 and now it is in peaking stage in 2006. The origins of retailing in India can be traced back to the emergence of Kirana Stores. These stores used to carter to the local people. The Government supported to the rural retail and many indigenous franchise store came up with the help of khadi & Village Industries Commission. The economy began to open up with the 1980's resulting in the change of retailing. The first few companies to comeup with detail chans were in textile sector. For example Bombay Dyeing, Skumar's, Raymond's etc. Later Titan launchedretail showrooms in the organised retail sector.

Retail outlets such as Food World in FMCG, Cross World in Book entered in market before 1995. Shopping mall emerged in the urban areas giving a world class experience to the customers. Hypermarket and Supermarket emerged. The evaluation of the sector includes the continious improvement in the supply chain management, distribution channel, technology, back-end operations this would finnaly lead to more of consolidation, mergers, acquisitions and big investments. India's retail market is expected to grow 10% a year, with modern retailing just beginning. In India the most market in retail sectors is unorganised. Unorganised retailing has been there in India for centuries. The main advantage in unorganised retailing is consumer familiarity that runs from generation to generation. It is low cost structure, they are mostly operated by owners, have very low real estate and labor cost and have low tax to pay. Organised retail business in India is very small but has tremendous scope.

Retatail Formats In India-

1. **Supermarkets:** Self sevicig outlets offering products from a different variety froom different category.
2. **Mom-And-Pop Stores:** This is a family owned business holding to small sactions they are invidually handled retail outlets and have a personal touch.
3. **Departmental Stores:** They are general retail merchandisers offering quality products ans services.
4. **Convenience Stores:** They are located in residential areas with slightly higher prices goods due to the convenience offered.
5. **Shopping Malls:** The biggest form of retaiul in India, Malls offers customers a mix of all types of products and services including entertainment and food under a single roof.
6. **E-Trailers:** They are providing online buying and selling of product and services.
7. **Discount Stores:** These are factory outlets that give discount on MRP.
8. **Vending:** It is a relatively new entry in the retail stores. Here beverages, snacks and other small items can be baught via vending machines.

9. **Category Killers:** Small speciality stores that offers a variety of categories. They are known as category killers they are focus on specific categories, such as electronics and sporting goods. This is also known as Multi Outlets or MBO's.
10. **Speciality Stores:** They are retail chains dealing in specific categories and provides deep assortment. Crossworld Book Store is example of speciality stores.

Key drivers of the Indian Retail Market

- Emergence of nuclear families
- An increase in the double-income households trend
- Large working population
- Reasonable Real estate prices
- Increase in disposable income and customer aspiration
- Demand as well as increase in expenditure for luxury items
- Growing preference for branded products and higher aspirations
- Growing liberalization of the FDI policy in the past decade
- Increasing urbanisation,
- Rising affluence amid consumers

Challenges Faced by the Retail Industry:

1. **International Standards:** Even though India has well over 5 million retail outlets of different sizes and styles, it still has a long way to go before it can truly have a retail industry at par with International standards. This is where Indian companies and International brands have a huge role to play.
2. **Inefficient supply chain management:** Indian retailing is still dominated by the unorganized sector and there is still a lack of efficient supply chain management. India must concentrate on improving the supply chain management, which in turn would bring down inventory cost, which can then be passed on to the consumer in the form of low pricing.
3. **Lack of Retail space:** Most of the retail outlets in India have outlets that are less than 500 square feet in area. This is very small by International Standards.
4. **Cultural Diversity:** India's huge size and socio economic and cultural diversity means there is no established model or consumption pattern throughout the country. Manufacturers and retailers will have to devise strategies for different sectors and segments which by itself would be challenging.
5. **Real estate issues:** The enormous growth of the retail industry has created a huge demand for real estate. Property developers are creating retail real estate at an aggressive pace. With over

1,000 hypermarkets and 3,000 supermarkets projected to come up by 2011, India will need additional retail space of 700,000,000 sq ft (65,000,000 m²) as compared to today.

6. **Human resource problems:** Trained manpower shortage is a challenge facing the organized retail sector in India. The Indian retailers have difficulty in finding trained person and also have to pay more in order to retain them. This again brings down the Indian retailers profit levels.
7. **Frauds in Retail:** It is one of the primary challenges the companies would have to face. Frauds, including vendor frauds, thefts, shoplifting and inaccuracy in supervision and administration are the challenges that are difficult to handle. This is so even after the use of security techniques, such as CCTVs and POS systems. As the size of the sector would increase, this would increase the number of thefts, frauds and discrepancies in the system.
8. **Challenges with Infrastructure and Logistics:** The lack of proper infrastructure and distribution channels in the country results in inefficient processes. This is a major hindrance for retailers as a non-efficient distribution channel is very difficult to handle and can result in huge losses. Infrastructure does not have a strong base in India. Urbanization and globalization are compelling companies to develop infrastructure facilities. Transportation, including railway systems, has to be more efficient. Highways have to meet global standards. Airport capacities and power supply have to be enhanced. Warehouse facilities and timely distribution are other areas of challenge. To fully utilize India's potential in retail sector, these major obstacles have to be removed.

Suggestions for retail sector in India:

Many agencies have estimated differently about the size of organized retail market in 2011. The one thing that is common amongst these estimates is that Indian organized retail market will be very big in 2011. The status of the retail industry will depend mostly on external factors like Government regulations and policies and real estate prices, besides the activities of retailers and demands of the customers also show impact on retail industry. As the retail market place changes shape and competition increases, the potential for improving retail productivity and cutting costs is likely to decrease. Therefore it is important for retailers to secure a distinctive position in the market place based on values relationships or experience. Finally, it is important to note that these strategies are not strictly independent of each other; value is function of not just price quality and service but can also be enhanced by personalization and offering a memorable experience.

Conclusion

The Indian retail sector has experienced high growth rate over the last decade with a visible shift towards unorganised retailing to organized retailing formats. The retailing industry is moving towards a modern concept. The size of India's retail market was estimated at US\$ 435 billion in 2010. Out of which, 92% of the market was traditional or unorganised retail and 8% of the market was organized retail. India's retail market is expected to grow at 7% over the next 10 years, reaching a size of US\$ 850 billion by 2020. Traditional retail is probable to grow at 5% and reach a size of US\$

650 billion while organized retail is probable to grow at 25% and reach a size of US\$ 200 billion by 2020. Modern retail sector in India could be worth US\$ 175- 200 billion by 2016. The Food Retail Industry in India also growing rapidly. The Mobile phone Retail Industry in India has already a US\$ 16.7 billion business, growing from rate of 20 per cent annually.

References

1. "Retail reality." 7 November 2007. "ICRIER Begins Survey of Indian Retail Sector." 19 March 2007. "Retailing in India Unshackling the chain stores".
2. "India Retail Forum 2008" "Business standard dec26,2010." Hindustan Times dec26,2010" www.Business Maps of India.com www.ibff.org.com www.articlebase.com/ retail industry in India,
3. RETAILING IN INDIA. A Review of Present Scenario, Chapter 4 (2011).
5. "Indian Retail Sector Report May 2014". Retailers upbeat on Center's FDI moves" India Today November 2014.
6. <http://www.idc-ri.com/getdoc>
7. <http://www.indiaretailing.com>

